



दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
DEENDAYAL PORT AUTHORITY



वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट और
ततसंबंधी कारवाई से संबंधित टिप्पणियाँ

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR 2023-24 AND AUDIT
REPORT WITH ACTION TAKEN NOTE THEREON

नोट : वार्षिक लेखा तथा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के हिंदी अनुवाद में यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में जारी प्रतिवेदन मान्य होगा।

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
INDEX		
Sr. No.	Description	Page Nos.
A	<u>ANNUAL ACCOUNTS (CONSOLIDATED)</u>	
1	Balance Sheet	1
2	Schedule of Balance Sheet	2-7
3	Profit and Loss Account	8
4	Schedule of Profit and Loss Account	9-12
5	Accounting Policies and Notes forming parts of Accounts	13-40
B	Balance Sheet, Income Expenditure & Receipt Payment Account of Kandla Port Employees Gratuity Fund for 2023-24	41-45
C	Balance Sheet, Income Expenditure & Receipt Payment Account of Kandla Port Superannuation Scheme for 2023-24	46-49
D	Separate Audit Report & Action Taken Note	50-60

<p style="text-align: center;">दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</p> <p style="text-align: center;">विषय सूची</p>		
क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
क)	वार्षिक लेखा (समेकित)	
1	तुलनपत्र	1
2	तुलनपत्र की अनुसूची	2-7
3	लाभ और हानि लेखा	8
4	लाभ और हानि लेखा की अनुसूची	9-12
5	लेखांकन नीतियाँ तथा लेखों के भाग रूप में टिप्पणियाँ	13-40
ख)	वर्ष 2023-24 हेतु कंडला पत्तन कर्मचारी उपदान निधि का तुलनपत्र, आय, व्यय और प्राप्ति भुगतान लेखा	41-45
ग)	वर्ष 2023-24 हेतु कंडला पत्तन अधिवर्षिता योजना का तुलनपत्र, आय, व्यय और प्राप्ति भुगतान लेखा	46-49
घ)	अलग ऑडिट रिपोर्ट और की गई कार्रवाई नोट	50-60

DRAFT BOARD NOTE

SUB : ANNUAL ACCOUNTS OF DPA FOR THE YEAR 2023-24

The Annual Accounts of the Deendayal Port Authority for the year 2023-24 have been drawn up in the prescribed formats as required under section 44 (1) of the Major Port Authorities Act 2021. The Annual Accounts are to be submitted to the Office of the Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai for statutory audit, duly approved by Board. Accordingly, the Annual Accounts are prepared and attached herewith. The salient features of the financial performance are as under:

1. Traffic

The year 2023-24 witnessed a decrease of 3.77 % in cargo throughput. The Port has handled 1323.74 Lakh tonnes of cargo during 2023-24 as against 1375.61 lakh tonnes in 2022-23. The traffic at Kandla and Vadinar is tabulated below:

(In lakh tonnes)				
SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
I.	KANDLA			
1	Dry Cargo	551.02	486.37	569.19
	(a) Port	456.02	386.06	483.59
	(b) BOT Operators	95.00	100.32	85.60
2	Liquid Cargo	162.16	169.96	171.95
3	Container (BOT)	89.25	84.5	85.56
	(TEUs in Lakhs)	(5.25)	(4.63)	(4.90)
4	Transshipment	0.05	1.89	0.16
	Transshipment – TEU (CONTAINERS)	0.00	0.05	(0.02)
	Total	802.48	742.72	826.86
II.	VADINAR			
1	Crude Oil	423.64	474.17	449.20
2	POL	93.88	106.85	99.55
	Total	517.52	581.02	548.75
	OVERALL	1320.00	1323.74	1375.61
	GRT in lakhs tonnes	1062.35	1037.32	1107.11
	Number of Vessels	3967	3320	3354
	BOT BREAKUP			
3	Tuna Tekra	90.00	96.71	81.47
4	Barge Jetty	5.00	3.60	4.13
5	Container Terminal	89.25	85.02	85.72
	Total	184.25	185.33	171.32

मंडल की टिप्पणी का मसौदा

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वार्षिक लेखा

वर्ष 2023-24 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वार्षिक लेखा, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44(1) के अधीन अपेक्षित विहित प्रारूपों में तैयार किया गया है। बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (पोत परिवहन), मुंबई के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। तदनुसार वार्षिक लेख तैयार कर लिए गए हैं और इसके साथ संलग्न हैं। वित्तीय कार्यनिष्पादन के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं:-

1. यातायात

वर्ष 2023-24 के दौरान यातायात में 3.77% की कमी दर्ज की गई। पत्तन ने वर्ष 2022-23 के 1375.61 लाख टन की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 1323.74 लाख टन नौभार संभाला। कंडला तथा वाडीनार संबंधी यातायात नीचे सारणी में दिए गए हैं:

(लाख टन में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
I.	कंडला			
1	शुष्क नौभार	551.02	486.37	569.19
	(क) पत्तन	456.02	386.06	483.59
	(ख) बीओटी प्रचालक	95.00	100.32	85.60
2	तरल नौभार	162.16	169.96	171.95
3	कंटेनर (बीओटी)	89.25	84.5	85.56
	(टीईयू लाख में)	(5.25)	(4.63)	(4.90)
4	यानान्तरण	0.05	1.89	0.16
	यानान्तरण - टीईयू (कंटेनर)	0.00	0.05	(0.02)
	कुल	802.48	742.72	826.86
II.	वाडीनार			
1	क्रूड तेल	423.64	474.17	449.20
2	पीओएल	93.88	106.85	99.55
	कुल	517.52	581.02	548.75
	सकल	1320.00	1323.74	1375.61
	जीआरटी लाख टन में	1062.35	1037.32	1107.11
	जलयानों की संख्या	3967	3320	3354
	बीओटी ब्यौरा			
3	तूणा टेकरा	90.00	96.71	81.47
4	बजरा जेटी	5.00	3.60	4.13
5	कंटेनर टर्मिनल	89.25	85.02	85.72
	कुल	184.25	185.33	171.32

2. Financial Result

The summary of the financial performance of the Port for the year 2023-24 is as under: -

(All Amount mentioned in the note are in Rupees lakhs unless otherwise stated)

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Operating Income	256918.18	249315.03	261147.94
2	Operating Expenditure	101324.00	98927.53	94901.77
3	Operating Surplus	155594.17	150387.51	166246.17
4	Non-Operating income	36547.41	61109.05	53111.34
5	Non-Operating exp.	26414.01	14348.30	4780.91
6	Profit before tax	165727.57	197148.25	214576.60
7	Provision for Income tax & Deferred tax	54433.10	63678.88	71536.94
8	Profit / (-) Loss after tax	111294.48	133469.37	143039.66
9	Add:- Income Tax Refund of prior period	0	64900.61	0
9	Less: Income Tax for prior period	0.00	66314.18	35576.13
10	Net Profit /(-) Loss after tax	111294.48	132055.81	107463.53

2.1 Operating Income - The activity wise details of operating income are as follows: -

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Cargo Handling & Storage	89926.41	86700.59	83544.33
	(a) DPA	68710.48	64658.90	65140.88
	(b) BOT	21215.93	22041.69	18403.46
2	Port & Dock Facility	133761.38	127091.39	128436.33
3	Estate Rentals	31294.42	34009.20	47419.50
	(a) DPA	25060.70	28063.64	41716.88
	(b) BOT	6233.72	5945.56	5702.62
4	Township	942.55	899.96	694.42
5	Railway Earnings	993.42	613.90	1053.37
	Total	256918.18	249315.03	261147.94

The operating income has decreased by Rs. 11832.91 lakhs (4.53%) compared to last year due to: -

- Decrease of Rs. 1344.93 lakhs in Port and Dock charges due to decrease in Port dues, Berth Hire, pilotage charges due to decrease in GRT
- Decrease of Rs. 13204.76 Lakhs in Estate & Township Income due to one time transfer fee amounting to Rs.132.00 Cr was received as an exception.
- Decrease in Railway Earnings by Rs 439.47 lakhs due to decrease in Cargo Handled through rails.

2. वित्तीय परिणाम:

वर्ष 2023-24 के दौरान पत्तन के वित्तीय निष्पादन का सार निम्नवत है :-

(जब तक अन्यथा न कहा जाए टिप्पणी में दी गई सभी राशि लाख रुपए में हैं)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	परिचालन आय	256918.18	249315.03	261147.94
2	परिचालन व्यय	101324.00	98927.53	94901.77
3	परिचालन अधिशेष	155594.17	150387.51	166246.17
4	गैर परिचालन आय	36547.41	61109.05	53111.34
5	गैर परिचालन व्यय	26414.01	14348.30	4780.91
6	कर से पूर्व लाभ	165727.57	197148.25	214576.60
7	आयकर तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान	54433.10	63678.88	71536.94
8	कर के पश्चात लाभ/(-)हानि	111294.48	133469.37	143039.66
9	जोड़ें:- पूर्व अवधि की आयकर धनवापसी	0	64900.61	0
10	घटाएँ:- पूर्व अवधि हेतु आयकर	0.00	66314.18	35576.13
11	कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(-)हानि	111294.48	132055.81	107463.53

2.1 परिचालन आय - गतिविधिवार परिचालन आय का विवरण निम्नवत है:-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	नौभार प्रहस्तन एवं भंडारण	89926.41	86700.59	83544.33
	(क) डीपीए	68710.48	64658.90	65140.88
	(ख) बीओटी	21215.93	22041.69	18403.46
2	पत्तन एवं गोदी सुविधा	133761.38	127091.39	128436.33
3	संपदा किराया	31294.42	34009.20	47419.50
	(क) डीपीए	25060.70	28063.64	41716.88
	(ख) बीओटी	6233.72	5945.56	5702.62
4	नगरक्षेत्र	942.55	899.96	694.42
5	रेलवे अर्जन	993.42	613.90	1053.37
	कुल	256918.18	249315.03	261147.94

पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन आय में रु.11832.91 लाख (4.53%) की कमी हुई है:-

- पत्तन बकाया, घाट किराया, पोतचालन प्रभारों में जीआरटी में कमी के कारण पत्तन और गोदी प्रभारों में रु.1344.93 लाख की कमी हुई है।
- एक बार देय अंतरण शुल्क के कारण संपदा और नगरक्षेत्र आय में 13204.76 लाख रुपए की कमी हुई जिसकी राशि अपवाद के रूप में प्राप्त रु.132.00 करोड़ की थी।
- रेल द्वारा संभाले गए नौभार में कमी होने के कारण रेलवे की आय में रु.439.47 लाख की कमी हुई है।

2.2 Operating Expenditure - The breakup of the operating expenditure is as follows

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Salary and wages	25154.08	24061.52	26873.34
2	Stores	1375.61	938.94	680.86
3	Office & administration expenses	4085.92	2584.43	3075.02
4	Dredging	12225.00	11780.06	13024.73
5	Operation & maintenance expenses	36906.59	34259.01	29904.12
6	CISF & other security	5452.05	5253.91	4960.56
7	Medical	3118.06	3123.94	2388.65
8	Depreciation	13000.00	14789.19	12373.49
9	Other expenditure	6.70	2136.53	1621.00
	Total	101324.00	98927.53	94901.77

There is an increase in operating expenditure by Rs. 4035.63 lakhs (4.25%) as compared to the previous year due to reason as below: -

- Increase in stores expenses by Rs. 258.08 lakhs due to procurement of Uniform and spares for repairs and maintenance of equipments.
- Increase in operation & maintenance expenses by Rs. 4354.90 lakhs due to:
 1. Increase in hire charges of crafts by Rs. 2925.94 lakhs mainly due to hire of additional crafts at Kandla and Vadinar and payment of escalation of Rs.873.96 lakhs as per CSC report.
 2. Increase in hire charges of vehicles by Rs. 280.13 lakhs.
 3. Increase in Repairs & maintenance cost of equipment, craft, cranes and special repairs to roads, expenses on electric installations, RoRo jetty, and other expenses related to maintenance of infrastructural facilities inside & outside CJA by Rs. 2721.64 lakhs.
 4. The above increase has been offset by decrease of reduction in fuel expense by Rs.1428.13 lakhs and Maintenance dredging expenditure by Rs.1244.67 respectively.
- Increase in security expenditure by Rs. 293.35 lakhs due to increase in deployment cost of additional CISF personnel during the year 2023-24 and deployment of private security.
- Increase in Medical expenditure of regular, retired employees and outside reference by Rs.735.29 lakhs
- Increase in Depreciation expense by Rs. 2415.69 lakhs due to capitalisation of assets of Rs. 105458.36 Lakhs during FY 2023-24.
- There is decrease of Rs.2811.82 lakhs in Salary and Wages which includes reduction of Rs.1534.15 lakhs in Overtime expenditure, mainly due to stoppage of OT to CHD workers and reduction of OT by all divisions. Legal expenses have been reduced by Rs.385.19 lakhs.

2.2 परिचालन व्यय - परिचालन व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	वेतन तथा मजदूरी	25154.08	24061.52	26873.34
2	भंडार	1375.61	938.94	680.86
3	कार्यालय और प्रशासन व्यय	4085.92	2584.43	3075.02
4	निकर्षण	12225.00	11780.06	13024.73
5	प्रचालन और अनुरक्षण व्यय	36906.59	34259.01	29904.12
6	कै.औ.सु.बल तथा अन्य सुरक्षा	5452.05	5253.91	4960.56
7	चिकित्सा	3118.06	3123.94	2388.65
8	मूल्यहास	13000.00	14789.19	12373.49
9	अन्य व्यय	6.70	2136.53	1621.00
	कुल	101324.00	98927.53	94901.77

निम्नलिखित कारणों से परिचालन व्यय में गत वर्ष की तुलना में रु.4035.63 लाख (4.25%) की वृद्धि हुई है:-

- यूनिफॉर्म की खरीद और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कल-पुर्जों की खरीद के कारण भंडार खर्च में 258.08 लाख रुपए की वृद्धि।
- निम्नलिखित के कारण परिचालन और अनुरक्षण व्यय में रु. 4354.90 लाख की वृद्धि:
 1. जलयानों के भाड़ा प्रभार में, मुख्य रूप से कंडला और वाड़ीनार में अतिरिक्त जलयानों को किराए पर लेने से सीएससी रिपोर्ट के अनुसार 873.96 लाख रुपए की वृद्धि के भुगतान के कारण रु.2925.94 की वृद्धि हुई।
 2. वाहनों के किराये में 280.13 लाख रुपए की वृद्धि।
 3. उपस्करों की मरमत और अनुरक्षण लागत के कारण जलयानों, क्रेनों और सड़कों की विशेष मरम्मत, विद्युत अधिष्ठानों पर व्यय, रो-रो जेट्टी और सी.जे.ए. के अंदर और बाहर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अनुरक्षण से संबंधित अन्य व्यय में रु.2721.64 लाख की वृद्धि हुई।
 4. उपर्युक्त वृद्धि की भरपाई ईंधन व्यय में 1428.13 लाख रुपए तथा रखरखाव ड्रेजिंग व्यय में 1244.67 लाख रुपए की कमी से की हुई है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान कै.औ.सु.बल के अतिरिक्त कार्मिकों और निजी सुरक्षादल की तैनाती लागत में रु.293.35 लाख की वृद्धि के कारण सुरक्षा व्यय में वृद्धि हुई।
- नियमित, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और बाहरी संदर्भ के चिकित्सा व्यय में 735.29 लाख रुपए की वृद्धि।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 105458.36 लाख रुपए की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण मूल्यहास व्यय में 2415.69 लाख रुपए की वृद्धि।
- वेतन और मजदूरी में 2811.82 लाख रुपए की कमी आई है, जिसमें समयोपरि व्यय में 1534.15 लाख रुपए की कमी शामिल है, जिसका मुख्य कारण सीएचडी कर्मचारियों के लिए समयोपरि बंद करना और सभी प्रभागों द्वारा समयोपरि व्यय में कमी करना है। कानूनी व्यय में 385.19 लाख रुपए की कमी आई है।

2.3 Non-Operating Income - The major sources of non-operating income are:

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Interest on investment	20000.00	30970.53	19593.95
2	Interest on advance to staff	91.95	74.23	78.82
3	Dividend	0.00	0.00	0.00
4	Interest on Income Tax refund	0.00	7104.48	0.00
5	Prior Period Income	15325	12825.87	31504.59
6	Overhead Income (Supervision of Pipeline & Capital Works)	225.50	1094.65	440.41
7	Other receipts and penalties	904.96	9039.29	1493.56
	Total	36547.41	61109.05	53111.34

The F&M income increase by Rs. 7997.72 lakhs as compared to the previous year, due to:

- Increase in interest on investment by Rs. 11376.58 lakhs due to increase in rate of interest.
- Receipt of interest on refunds of Income Tax of Rs. 7104.48 lakhs.
- Increase in Overhead income by Rs.654.23 lakhs due to capitalization of work in progress amounting to Rs.105458.36 lakhs in 2023-24.
- Increase of Rs.7311.93 due to sale of Duty Scripts and other receipt.
- The above increase is offset by decrease in prior period income by Rs. 18678.72 lakhs. Prior period income had increased in 2022-23 due to receipt of payment of disputed land dues by various parties viz IOCI ,IFFCO etc.

2.4 Non-Operating Expenditure - The finance & miscellaneous expenditure comprises the following major items.

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Contribution to Pension	20000.00	4219.00	1000.00
2	Contribution to gratuity	1250.00	0.00	0.00
3	Welfare expenditure	158.18	114.26	108.17
4	Contribution to CSR	2150.00	2149.00	1104.70
5	Contribution to Leave Encashment	300.00	920.89	343.33
6	Contribution to NPS	520.00	523.64	774.05
7	Technical Advisory Fees & Others	1056.33	2640.33	1167.30
8	Prior Period & other expenditures	979.5	3781.18	283.35
	Total	26414.01	14348.30	4780.91

2.3 गैर परिचालन आय - गैर-परिचालन आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

क्रसं..	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	निवेश पर ब्याज	20000.00	30970.53	19593.95
2	कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिम पर ब्याज	91.95	74.23	78.82
3	लाभांश	0.00	0.00	0.00
4	आयकर वापसी पर ब्याज	0.00	7104.48	0.00
5	पूर्व अवधि आय	15325	12825.87	31504.59
6	उपरिशेष आय(पाइपलाइन औरपूंजीगत कार्यों का पर्यवेक्षण)	225.50	1094.65	440.41
7	अन्य प्राप्तियां तथा शास्तियां	904.96	9039.29	1493.56
	कुल	36547.41	61109.05	53111.34

गत वर्ष की तुलना में वित्त एवं विविध आय में निम्नलिखित कारणों से रु.7997.72 लाख की वृद्धि हुई है:

- ब्याज दर बढ़ने से निवेश पर ब्याज में रु.11376.58 लाख की वृद्धि,
- आयकर धनवापसी पर रु.7104.48 लाख की ब्याज की प्राप्ति,
- वर्ष 2023-24 में रु.105458.36 लाख के प्रगति पर कार्यों के पूंजीकरण के कारण ऊपरी आय में रु. 654.23 लाख की वृद्धि,
- इयूटी स्क्रिप्ट की बिक्री और अन्य प्राप्तियों के कारण 7311.93 रुपए की वृद्धि,
- पूर्व अवधि की आय में 18678.72 लाख रुपए की कमी से उपरोक्त वृद्धि प्रतिसंतुलित है। विभिन्न पक्षों जैसे आईओसीएल, इफको आदि द्वारा विवादित भूमि बकाया का भुगतान प्राप्त होने के कारण 2022-23 में पूर्व अवधि की आय में वृद्धि हुई थी।

2.4 गैर परिचालन व्यय- वित्त तथा विविध व्यय में निम्नलिखित प्रमुख मदें समाविष्ट हैं:-

(लाख रुपए में)

क्रसं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	पेंशन में अंशदान	20000.00	4219.00	1000.00
2	उपदान में अंशदान	1250.00	0.00	0.00
3	कल्याणकारी व्यय	158.18	114.26	108.17
4	सीएसआर में अंशदान	2150.00	2149.00	1104.70
5	अवकाश नकदीकरण में अंशदान	300.00	920.89	343.33
6	एनपीएस में अंशदान	520.00	523.64	774.05
7	तकनीकी परामर्शी शुल्क एवं अन्य	1056.33	2640.33	1167.30
8	पूर्व अवधि तथा अन्य व्यय	979.5	3781.18	283.35
	कुल	26414.01	14348.30	4780.91

The F&M expenditure has increased by Rs. 9567.39 lakhs as compared to the previous year, on account of:

- Increase in contribution to Pension Trust by Rs.3219.00 lakhs and Leave Encashment Fund by Rs.577.56 lakhs based on Actuarial Valuation Report. Contribution to CSR Fund has increased by Rs. 1044.30 lakh.
- Increase in prior period and other expenditure by Rs. 2116.57 lakhs mainly due to increase of Rs.2522.76 lakhs in prior period depreciation offset in decrease in NPS contribution Rs. 250.41 lakhs and other prior period expenses.
- Increase in Technical Advisory Fees and others by Rs.1473.03 lakhs.
- Increase in loss on disposal of assets by Rs.1136.93 lakhs.

The profit before tax for the current year, thus, stands at Rs.197148.25 lakhs as against Rs. 214576.60 lakhs of previous year.

2.5 The provision for income tax for current year comes to Rs 63678.88 lakhs, as against of Rs. 71536.94 lakhs of last year. Income Tax refunds of prior period amounting to Rs.64900.67 lakhs has been adjusted against the Income Tax demands of prior period amounting to Rs.66314.18 lakhs. Hence, there is net profit after tax of Rs.132055.81 lakhs, as against Rs.107463.53 lakhs during previous year.

2.6 The appropriation of Rs. 20022.35 lakhs made to the following reserves and funds as under:

(Rs. in lakhs)

1	Profit on disposal of Capital Asset	283.61
2	Two 3% MPC reserves	19738.74
	Total	20022.35

3 Financial Position:

The financial position of the Port Authority is tabulated below: -

A.	LIABILITIES	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
a)	Capital Reserve	385518.00	385234.39
b)	Revenue Reserve	520748.41	386488.67
d)	Capital debt	0.00	0.00
e)	Current Liability & Provisions	651990.66	525786.12
	Total Liability	1558257.07	1297509.18
B.	ASSETS		
a)	Fixed asset less depreciation	313722.14	241836.70
b)	Capital work in progress	97343.62	110727.05
c)	Investment	472143.62	90645.11
d)	Current asset	667247.45	845941.12
	Total Asset	1550456.82	1289149.98
C.	Working capital	15256.78	320155.00
D.	Capital employed	328978.92	561991.70
E.	Net Worth	906266.41	771723.06
F.	ROR on Capital employed	40.57%	25.45%
G.	Operating ratio	39.68%	36.34%
H.	Cost per tonne	70.12	65.89

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त एवं विविध व्यय में 9567.39 लाख रुपए की वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है:

- बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंशन ट्रस्ट में योगदान में 3219.00 लाख रुपए और अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान में 577.56 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। सीएसआर फंड में योगदान में रुपए 1044.30 लाख की वृद्धि हुई है,
- पूर्व अवधि एवं अन्य व्यय में 2116.57 लाख रुपए की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पूर्व अवधि मूल्यहास में 2522.76 लाख रुपए की वृद्धि थी, जिसकी भरपाई एनपीएस अंशदान में 250.41 लाख रुपए की कमी एवं अन्य पूर्व अवधि व्यय से हुई,
- तकनीकी सलाहकार शुल्क और अन्य में 1473.03 लाख रुपए की वृद्धि,
- परिसंपत्तियों के निपटान पर हानि में 1136.93 लाख रुपए की वृद्धि।

इस प्रकार चालू वर्ष में कर से पूर्व लाभ गत वर्ष के रु. 214576.60 लाख की तुलना में रु.197148.25 लाख रहा।

2.5 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान 63678.88 लाख रुपए है, जबकि पिछले वर्ष यह 71536.94 लाख रुपए था। पिछली अवधि के आयकर धनवापसी की राशि 64900.67 लाख रुपए थी, जिसे पिछली अवधि के आयकर मांगों की राशि 66314.18 लाख रुपए के विरुद्ध समायोजित किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष के 107463.53 लाख रुपए की तुलना में कर पश्चात शुद्ध लाभ 132055.81 लाख रुपए है।

2.6 निम्नलिखित आरक्षितों तथा निधियों में रु. 20022.35 लाख का विनियोजन किया गया है:-

(रु.लाख में)

1	पूंजीगत परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ	283.61
2	दो 3% एम. पी. सी. आरक्षित	19738.74
	कुल	20022.35

3. वित्तीय स्थिति:

पतन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:-

(रु. लाख में)

क.	देयताएं	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
क)	पूंजीगत आरक्षित	385518.00	385234.39
ख)	राजस्व आरक्षित	520748.41	386488.67
ग)	पूंजीगत ऋण	0.00	0.00
घ)	चालू देयता तथा प्रावधान	651990.66	525786.12
	कुल देयता	1558257.07	1297509.18
ख.	परिसंपत्तियां		
क)	स्थायी परिसंपत्ति मूल्यहास घटाकर	313722.14	241836.70
ख)	चालू पूंजीगत कार्य	97343.62	110727.05
ग)	निवेश	472143.62	90645.11
घ)	चालू परिसंपत्ति	667247.45	845941.12
	कुल परिसंपत्ति	1550456.82	1289149.98
ग.	कार्यशील पूंजी	15256.78	320155.00
घ.	नियोजित पूंजी	328978.92	561991.70
ड.	शुद्ध मूल्य	906266.41	771723.06
च.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर	40.57%	25.45%
छ.	परिचालन अनुपात	39.68%	36.34%
ज.	प्रति टन लागत	70.12	65.89

4. Capital Expenditure:

The capital expenditure incurred on plan and non-plan work is shown below: -

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2023-24	ACTUAL 2023-24	ACTUAL 2022-23
1	Construction/Strengthening of Berth	9626.53	9570.23	17103.00
2	Procurement of Craft/Equipment	7116.90	5203.41	0.00
3	Rail & Road connectivity	18538.00	14837.46	12932.00
4	Green Energy Project	0.00	0.00	0.00
5	Smart Industrial Port City	110.00	4.89	662.00
6	RO-RO/RO-Pax Projects	2781.06	1486.55	4016.00
7	Sagarmala schemes	1955.65	2435.34	3497.00
8	Other Works above 5 crores	38353.00	41552.51	26518.00
9	Other Works upto 5 crores	3230.80	1705.99	2371.00
	Total	81711.94	76796.38	67099.00

The capital expenditure has been funded out from the internal resources of the Port and Financial assistance under Sagarmala programme towards "Dredging in Approach channel, turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat", "Construction of RO-RO ROPAX ferry at Muldwarka, "Construction of RO-RO ROPAX ferry at Hazira". The Work-in progress, amounting to Rs. 105434.55 lakhs, has been capitalized during the year.

4. पूंजीगत व्यय:

योजनाबद्ध तथा गैरयोजनाबद्ध कार्य पर हुआ पूंजीगत व्यय नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपए में)


क्रसं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2023-24	वास्तविक आंकड़े 2022-23
1	घाट का निर्माण/सुदृढ़ीकरण	9626.53	9570.23	17103.00
2	जलयानउपकरण की खरीद/	7116.90	5203.41	0.00
3	रेल और सड़क सम्पर्क	18538.00	14837.46	12932.00
4	हरित ऊर्जा परियोजना	0.00	0.00	0.00
5	स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट सिटी	110.00	4.89	662.00
6	रो-रो/रो-पैक्स परियोजना	2781.06	1486.55	4016.00
7	सागरमाला योजना	1955.65	2435.34	3497.00
8	रु. 5 करोड़ से अधिक के अन्य कार्य	38353.00	41552.51	26518.00
9	रु. 5 करोड़ तक के अन्य कार्य	3230.80	1705.99	2371.00
	कुल	81711.94	76796.38	67099.00


सागरमाला कार्यक्रम के तहत घोघा रो-रो टर्मिनल, गुजरात में "एप्रोच चैनल में निकर्षण, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास "मूलद्वारका में रो-रो रोपेक्स फेरी का निर्माण," "हजीरा में रो-रो रोपेक्स फेरी" के लिए पूंजीगत व्यय की धनराशि पत्तन के आन्तरिक संसाधनों और वित्तीय पोषण से वित्तपोषित की गई है। वर्ष के दौरान रु.105434.55 लाख की राशि चालू कार्य में पूंजीकृत की गई।

DEENDAYAL PORT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

(Rs. In lakhs)

	Sch. No.	As at 31st March, 2024			As at 31st March, 2023		
SOURCES OF FUNDS							
RESERVES AND SURPLUS	1						
Capital reserve			385518.00			385234.39	
Revenue reserves			465962.35			353928.90	
Statutory reserves			23844.98			3814.81	
Infrastructure reserve			30941.08	906266.41		28744.97	771723.06
LOAN FUNDS	2						
Loans				0.00			0.00
TOTAL				906266.41			771723.06
APPLICATION OF FUNDS							
FIXED CAPITAL ASSETS	3						
Gross block		459397.01			373961.58		
Less Depreciation provision		145582.64	313814.37		131549.33	242412.25	
Add: Capital work in progress			97251.39	411065.75		110727.05	353139.30
INVESTMENTS	4						
General Fund investment			472143.62			90645.12	
Leave Encashment Fund Investment (LIC)			7800.25	479943.87		7783.65	98428.77
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	5						
Current assets							
i) Accrued interest			18640.40			14846.90	
ii) Inventories			54.16			58.81	
iii) Sundry debtors			63884.36			57523.13	
iv) Cash and bank balances			20770.90			336190.41	
v) Provident fund investments			28900.00			31357.00	
			132249.81			439976.26	
LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES	6						
iv) Advances & debit balance		115818.77			48546.65		
vi) Deposits		965.38			1205.53		
vii) Advance tax, Demand & TDS		418213.49	534997.63		356212.67	405964.85	
			667247.45			845941.12	
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	7		651990.66			525786.12	
NET CURRENT ASSETS				15256.78			320155.00
TOTAL				906266.41			771723.07


CHAIRPERSON
DEENDAYAL PORT AUTHORITY


FA & CAO
DEENDAYAL PORT AUTHORITY

// 1 //

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 31 मार्च, 2024 को तुलनपत्र

(रु. लाख में)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2024 को			दिनांक 31 मार्च, 2023 को		
निधि के स्रोत							
आरक्षित तथा अधिशेष	1						
पूँजीगत आरक्षित			385518.00			385234.39	
राजस्व आरक्षित			465962.35			353928.90	
सांविधिक आरक्षित			23844.98			3814.81	
अवसंरचनात्मक आरक्षित			30941.08	906266.41		28744.97	771723.06
ऋण निधियाँ	2						
ऋण				0.00			0.00
कुल				906266.41			771723.06
निधियों का प्रयोग							
स्थायी पूँजीगत परिसंपत्तियाँ	3						
सकल खंड		459397.01			373961.58		
घटाएँ : मूल्यहास प्रावधान		145582.64	313814.37		131549.33	242412.25	
जोड़ें : चालू पूँजीगत कार्य			97251.39	411065.75		110727.05	353139.30
निवेश	4						
सामान्य निधि निवेश			472143.62			90645.12	
अवकाश नकदीकरण निधि निवेश (एलआईसी)			7800.25	479943.87		7783.65	98428.77
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	5						
चालू परिसंपत्तियाँ							
i) प्रोद्भूत ब्याज			18640.40			14846.90	
ii) वस्तु-सूची			54.16			58.81	
iii) विविध देनदार			63884.36			57523.13	
iv) रोकड़ तथा बैंक शेष			20770.90			336190.41	
v) भविष्य निधि निवेश			28900.00			31357.00	
			132249.81			439976.26	
ऋण, अग्रिम तथा नामे शेष	6						
iv) अग्रिम तथा नामे शेष		115818.77			48546.65		
vi) जमा राशि		965.38			1205.53		
vii) अग्रिम कर, मांग तथा टी डी एस		418213.49	534997.63		356212.67	405964.85	
घटाएँ, वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7						
			667247.45			845941.12	
			651990.66			525786.12	
निवल; वर्तमान संपत्तियाँ				15256.78			320155.00
कुल				906266.41			771723.07

अध्यक्ष

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

DEENDAYAL PORT AUTHORITY							
SCHEDULE TO BALANCE SHEET				ANNUAL ACCOUNTS 2023-24			
SCHEDULE 1 - RESERVES & SURPLUS							
(Rs. In lakhs)							
Reserves & Surplus	Capital Reserve	Capital Assets Re- placement Reserve	Infra- structure Reserve	General Reserve	Employees Welfare Fund	3% Reserve for Replacement Re- habilitation & Modernisation	3% Reserve for Development Re- payment of Loans & Contingencies
Balance as on 1st April, 2023	385234.39	2000.00	28744.97	351928.40	0.50	1829.60	1985.20
Add/Less: Transfer from Revenue Account		0.00		112033.45		9869.37	9869.37
Add PY Transfer	0.00				35.13		
Transfer from other Funds & Reserves							
Receipts (Interest)			2196.12			139.77	151.66
Capital Receipts	283.61						
Total	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	35.63	11838.75	12006.23
Less: Transfer to other Reserves & Funds							
Capital Reserve	0	0.00		0.00		0.00	0.00
Other transfers					35.13		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	0.00	0.00
Balance as on 31st March,2024	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	0.50	11838.75	12006.23

SCHEDULE 2 - LOAN FUNDS		
(Rs. in lakhs)		
Particulars	As on 31.3.2024	As on 31.3.2023
Secured Loan against the pledge of F.D.R.	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

The Port Trust was formulated under MPT Act, 1963 on 29.2.1964. Under the provisions of the MPT Act an amount of Rs.161162478 was determined as initial capital debt which was exhibited in the balance sheet as capital debt. During FY 20-21, the matter was taken up with Ministry and Committee was constituted by Ministry to examine the premature repayment of Government Loan including capital debt to DPT. Based on the recommendation by the committee, Capital Debts has been treated as Capital Reserve.

॥ 2 ॥							
दीनदयाल पतन प्राधिकरण							
तुलनपत्र की अनुसूची						वार्षिक लेखा 2023-24	
अनुसूची - 1 आरक्षित तथा अधिशेष							
							(रु. लाख में)
आरक्षित तथा अधिशेष	पूँजीगत	पूँजीगत	अवसंरचना	सामान्य	कर्मचारी	प्रतिस्थापन, पुनर्वास	आकस्मिकताओं,
	आरक्षित	परिसंपत्तियां	आरक्षित	आरक्षित	कल्याण	और आधुनिकीकरण	ऋण वापसी और
		प्रतिस्थापन			निधि	हेतु 3% आरक्षित	विकास के लिए 3%
		आरक्षित					आरक्षित
1 अप्रैल, 2023 को जमा शेष	385234.39	2000.00	28744.97	351928.40	0.50	1829.60	1985.20
जोड़ें/घटाएँ: अंतरण		0.00		112033.45		9869.37	9869.37
राजस्व लेखा से							
जोड़ें - पीवाई अंतरण							
अन्य निधियां और आरक्षित	0.00				35.13		
से अंतरण							
प्राप्तियां (व्याज)			2196.12			139.77	151.66
पूँजीगत प्राप्तियां	283.61						
कुल	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	35.63	11838.75	12006.23
घटाएँ:							
अन्य निधियों और आरक्षितयों							
में अंतरण							
पूँजीगत आरक्षित	0	0.00		0.00		0.00	0.00
अन्य अंतरण					35.13		
कुलयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	0.00	0.00
31 मार्च 2024 को जमा शेष	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	0.50	11838.75	12006.23
अनुसूची 2 - ऋण निधियां							
							(रु. लाखों में)
विवरण				31.3.2024 को		31.3.2023 को	
एफडीआर को गिरवी रखकर सुरक्षित ऋण				0.00		0.00	
कुल				0.00		0.00	

पतन न्यास का गठन 29.2.1964 को महापतन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था। महापतन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत रु.161162478 की राशि प्रारंभिक पूँजी ऋण के रूप में निर्धारित की गई थी जिसे तुलन पत्र में पूँजी ऋण के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वित्त वर्ष 20-21 के दौरान, इस मामले को मंत्रालय के समक्ष उठाया गया और मंत्रालय द्वारा न्यास को पूँजी ऋण सहित सरकारी ऋण की समयपूर्व अदायगी की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिश के आधार पर, पूँजी ऋण को पूँजी आरक्षित माना गया है।

DEENDAYAL PORT AUTHORITY

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

SCHEDULE 3 - FIXED CAPITAL ASSETS

(Rs. In lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As on 1st April 2023	Additions	Deletions	As on 31st March. 2024	As on 1st April 2023	Deletions	Additions	As on 31st March, 2024	As on 1st April 2023	As on 31st March. 2024
Land	25913.14	0.00	17.24	25895.90					25913.14	25895.90
Capital Dredging	49380.82	0.00	0.00	49380.82	32047.20	0.00	2107.43	34154.63	17333.62	15226.19
Buildings, Sheds and Other Structures	34272.22	10414.21	1406.48	43279.95	11618.48	871.87	1316.62	12063.24	22653.74	31216.71
Wharves, Roads & Boundaries	82246.79	55906.71	178.47	137975.03	27260.18	0.71	4453.47	31712.93	54986.61	106262.09
Floating Crafts	14586.80	0.00	1210.41	13376.39	5874.18	1149.89	611.14	5335.43	8712.62	8040.96
Railway & Rolling Stock	13385.76	36629.09	15840.09	34174.76	5616.09	1464.71	3811.35	7962.74	7769.66	26212.02
Docks, Sea Walls, Piers Navigational Aids	93440.24	568.64	814.61	93194.27	17304.74	14.20	2121.58	19412.12	76135.50	73782.16
Cranes & Vehicles	22755.93	2.06	40.47	22717.53	13455.62	36.89	1320.96	14739.69	9300.31	7977.84
Plant & Machinery	20054.87	10.94	21.93	20043.88	6448.35	0.00	1125.95	7574.30	13606.52	12469.58
Installations of Water, Electricity, Telecom, Fire Fighting	16029.50	1926.72	9.93	17946.28	10666.67	5.46	704.91	11366.12	5362.83	6580.17
Oil Pipeline	1319.96	0.00	0.00	1319.96	1257.82	0.00	3.62	1261.44	62.14	58.52
Gross Block	373386.04	105458.36	19539.62	459304.77	131549.33	3543.72	17577.03	145582.64	241836.70	313722.14
Asset Held for disposal	575.55	0.00	483.32	92.23					575.55	92.23
Capital Works in Progress	110727.05	272930.71	286406.37	97251.39					110727.05	97251.39

Note: 1) The value of the assets is shown at original cost.

2) The total depreciation of Rs. 17577.03 lakhs addition during the year includes arrear depreciation of Rs. 2522.76 lakhs , which is charged to prior period expense.

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुसूची - 3 नियत पूंजीगत परिसंपत्तियाँ

(रु.लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				शुद्ध खंड	
	1 अप्रैल	वृद्धि	विलोपन	31 मार्च	1 अप्रैल			31 मार्च	1 अप्रैल	31 मार्च
	2023			2024	2023	विलोपन	वृद्धि	2024	2023	2024
	को			को	को			को	को	को
भूमि	25913.14	0.00	17.24	25895.90					25913.14	25895.90
पूँजीगत निकर्षण .	49380.82	0.00	0.00	49380.82	32047.20	0.00	2107.43	34154.63	17333.62	15226.19
भवन, शेड तथा अन्य अवसंरचनाएँ	34272.22	10414.21	1406.48	43279.95	11618.48	871.87	1316.62	12063.24	22653.74	31216.71
वार्फ,सड़कें तथा परिसीमाएँ	82246.79	55906.71	178.47	137975.03	27260.18	0.71	4453.47	31712.93	54986.61	106262.09
प्लावी जलयान	14586.80	0.00	1210.41	13376.39	5874.18	1149.89	611.14	5335.43	8712.62	8040.96
रेलवे एवं रोलिंग स्टॉक	13385.76	36629.09	15840.09	34174.76	5616.09	1464.71	3811.35	7962.74	7769.66	26212.02
गोदी,समुद्री दीवारें,प्रस्तंभ नौचालन सहायक सामग्री	93440.24	568.64	814.61	93194.27	17304.74	14.20	2121.58	19412.12	76135.50	73782.16
क्रेन तथा वाहन	22755.93	2.06	40.47	22717.53	13455.62	36.89	1320.96	14739.69	9300.31	7977.84
संयंत्र और मशीनरी	20054.87	10.94	21.93	20043.88	6448.35	0.00	1125.95	7574.30	13606.52	12469.58
जल,विद्युत, दूरसंचार, अग्निशमन संस्थापन	16029.50	1926.72	9.93	17946.28	10666.67	5.46	704.91	11366.12	5362.83	6580.17
तेल पाइप लाइन	1319.96	0.00	0.00	1319.96	1257.82	0.00	3.62	1261.44	62.14	58.52
सकल खंड	373386.04	105458.36	19539.62	459304.77	131549.33	3543.72	17577.03	145582.64	241836.70	313722.14
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	575.55	0.00	483.32	92.23					575.55	92.23
चालू पूंजीगत कार्य	110727.05	272930.71	286406.37	97251.39					110727.05	97251.39
टिप्पणी: 1) परिसंपत्तियों के मूल्य को मूल लागत पर दर्शाया गया है ।										
2) वर्ष के दौरान रु 17577.03 लाख के कुल मूल्यहास में रु. 2522.76 लाख का बकाया मूल्यहास शामिल है जिसे पूर्व अवधि व्यय में प्रभारित किया गया है ।										

DEENDAYAL PORT AUTHORITY						
SCHEDULE TO BALANCE SHEET			ANNUAL ACCOUNTS 2023-24			
SCHEDULE 4 - INVESTMENTS						
(Rs. In lakhs)						
Type of Investment	Capital Assets Replacement Reserve	Statutory Reserves	Infrastructure Reserve	General Reserve	Total as on 31/3/2024	Investments as on 31/03/2023
Long Term Investments						
Term Deposits with Banks	2000			423145.51	425145.51	58415.97
Equity Participation with M/s. India Ports Rail Corporation Ltd.-(Un-quoted)				720.00	720.00	720.00
Equity Participation with M/s. KRCL--(Un-quoted)				20046.00	20046.00	5200.00
Equity Participation with M/s. DCI Ltd. (Quoted)				25704.52	25704.52	25704.52
Equity Participation with Petronet -(Un-quoted)				500.00	500.00	500.00
Bonds in other PSUs/Long term deposits & Shares in SRC-(Un-quoted)				27.60	27.60	104.63
Total Investments (A)	2000.00	0.00	0.00	470143.63	472143.63	90645.12
Leave Encashment Fund Investment (LIC) (B)					7800.25	7783.65
TOTAL (A) +(B)					479943.88	98428.77

दीनदयाल पतन प्राधिकरण

तुलनपत्र की अनुसूची					वार्षिक लेखा 2023-24	
अनुसूची 4 - निवेश						
						(रु. लाख में)
निवेश का प्रकार	पूँजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	सांविधिक आरक्षित	अवसंरचना आरक्षित	सामान्य आरक्षित	31/3/2024 को कुल	31/03/2023 को निवेश
दीर्घावधि निवेश						
बैंकों में सावधि जमा	2000			423145. 51	425145. 51	58415. 97
मेसर्स इंडिया पोर्ट्स रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी अंश अनुद्धृत				720. 00	720. 00	720. 00
मेसर्स केआरसीएल में इक्विटी अंश अनुद्धृत				20046. 00	20046. 00	5200. 00
मेसर्स डीसीआई लि. में इक्विटी अंश अनुद्धृत				25704. 52	25704. 52	25704. 52
पेट्रोनेट में इक्विटी अंश अनुद्धृत				500. 00	500. 00	500. 00
अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में बंधपत्र/दीर्घावधि जमा एवं एसआरसी में शेयर्स अनुद्धृत				27. 60	27. 60	104. 63
कुल निवेश	2000. 00	0. 00	0. 00	470143. 63	472143. 63	90645. 12
अवकाश नकदीकरण निधि निवेश (एलआईसी) (ख)					7800. 25	7783. 65
कुल (क +ख)					479943. 88	98428. 77

DEENDAYAL PORT AUTHORITY				
SCHEDULE TO BALANCE SHEET		ANNUAL ACCOUNTS 2023-24		
SCHEDULE 5 - CURRENT ASSETS				
A. Current Assets		(Rs. In lakhs)		
Particulars		As on 31-3-2024	As on 31-3-2023	
Accrued Interest:				
Accrued interest on General Fund Investments		17654.90	13122.53	
Accrued interest on Swap Investments		13.32	187.04	
Accrued interest on Provident Fund Investments		972.18	1537.34	
Total		18640.40	14846.90	
Sundry Debtors:				
-More than six month		38485.64	31509.74	
a) Government		1670.40	1410.60	
b) Non-Government		36815.24	30099.14	
-Less than six month		25398.72	26013.39	
a) Government		289.40	218.60	
b) Non-Government		25109.32	25794.80	
Total		63884.36	57523.13	
Cash & Bank Balances with Scheduled Banks:				
<u>Balances with Banks:</u>		7753.34	6822.36	
EZ Card Balance		0.18	0.18	
Total		7753.52	6822.54	
<u>Short Term Investment with Bank</u>				
-Statutory Reserve		3814.81	3814.81	
-Infrastructure Reserve		9195.47	28744.97	
-General Reserve		0.00	296801.00	
Total		13010.27	329360.78	
Cash on hand & in transit				
Imprest Account with Officers		7.10	7.10	
Total		7.10	7.10	
Investment of Provident Fund		28900.00	31357.00	
Total		28900.00	31357.00	
Inventories:				
Particulars	Main Store	Marine Store	Workshop Store	Total
Opening balance as on 1.4.2023	47.59	8.77	2.46	58.81
Add : Purchases during the year	253.87	476.76	0.00	730.62
Less : Issues during the year	262.00	473.27	0.00	735.27
Closing balance as on 31.3.2024	39.45	12.26	2.46	54.16
Total Current Assets			132249.81	439976.26

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुसूची 5 - चालू परिसंपत्तियां

क. चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण			दिनांक 31/3/2024 को	दिनांक 31/03/2023 को
प्रोद्भूत ब्याज:				
सामान्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			17654.90	13122.53
परिवर्तित निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			13.32	187.04
भविष्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			972.18	1537.34
कुल			18640.40	14846.90
विविध देनदार:				
-छह माह से अधिक			38485.64	31509.74
क) सरकारी			1670.40	1410.60
ख) गैर-सरकारी			36815.24	30099.14
- छह माह से कम			25398.72	26013.39
क) सरकारी			289.40	218.60
ख) गैर-सरकारी			25109.32	25794.80
कुल			63884.36	57523.13
रोकड तथा बैंक शेष :				
बैंकों में जमा शेष:			7753.34	6822.36
ई जेड कार्ड शेष :			0.18	0.18
कुल			7753.52	6822.54
बैंक में अल्पकालिक निवेश				
सांविधिक आरक्षित			3814.81	3814.81
अवसंरचना आरक्षित			9195.47	28744.97
सामान्य आरक्षित			0.00	296801.00
कुल			13010.27	329360.78
हाथ में रोकड एवं मार्गस्थ रोकड				
अधिकारियों के पास अग्रदाय लेखा			7.10	7.10
कुल			7.10	7.10
भविष्य निधि का निवेश			28900.00	31357.00
कुल			28900.00	31357.00
वस्तुसूची:				
विवरण	मुख्य भंडार	समुद्री भंडार	कार्यशाला भंडार	कुल
दिनांक 1.4.2023 को अथशेष	47.59	8.77	2.46	58.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान क्रय	253.87	476.76	0.00	730.62
घटाएं: वर्ष के दौरान जारी	262.00	473.27	0.00	735.27
दिनांक 31.3.2022 को इतिशेष	39.45	12.26	2.46	54.16
कुल चालू परिसंपत्तियां			132249.81	439976.26

DEENDAYAL PORT AUTHORITY				
SCHEDULE TO BALANCE SHEET		ANNUAL ACCOUNTS 2023-24		
SCHEDULE 6 - LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES				
(Rs. In lakhs)				
Particulars	Opening Balance as on 1.4.2023	Addition	Deletion	Closing Balance as on 31.3.2024
Advances & Debit Balances:				
Marriage Advance	167.29	237.86	265.72	139.43
Conveyance Advance	166.33	130.34	144.97	151.70
House Building Advance	411.37	124.33	164.57	371.14
Festival Advance	635.55	1688.20	1695.58	628.17
Computer Advance	12.90	3.95	4.91	11.93
Service Tax Recoverable	8156.20	31.44	1086.55	7101.09
GST Recoverable	8240.47	1377.01	2718.29	6899.20
Pre-Paid Expenses	336.86	392.13	326.90	402.08
Loan to DCI	3600.00	0.00	0.00	3600.00
Advance to Suppliers, Contractor & Others	26819.69	118451.94	48757.59	96514.04
Total	48546.65	122437.20	55165.09	115818.77
Deposits				
Deposits with other Organisation	321.45	95.06	190.11	226.39
GST Input	884.08	22913.15	23058.24	738.99
Total	1205.53	23008.21	23248.35	965.38
Income Tax				
Advance tax, TDS, Demand and Refund	356212.67	76130.81	14130.00	418213.49
Total	356212.67	76130.81	14130.00	418213.49
Total Advances & Debit Balances	405964.85	221576.22	92543.44	534997.63

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुसूची 6 - ऋण, अग्रिम और नामे शेष


(रु. लाख में)


विवरण	दिनांक	वृद्धि	विलोपन	दिनांक
	1.4.2023 को			31.3.2024 को
	आरंभिक शेष			अंतिम शेष
अग्रिम और नामे शेष				
विवाह अग्रिम	167.29	237.86	265.72	139.43
वाहन अग्रिम	166.33	130.34	144.97	151.70
गृह निर्माण अग्रिम	411.37	124.33	164.57	371.14
त्यौहार अग्रिम	635.55	1688.20	1695.58	628.17
कम्प्यूटर अग्रिम	12.90	3.95	4.91	11.93
वसूली योग्य सेवाकर	8156.20	31.44	1086.55	7101.09
वसूली योग्य जीएसटी	8240.47	1377.01	2718.29	6899.20
पूर्व भुगतान व्यय	336.86	392.13	326.90	402.08
डीसीआई को ऋण	3600.00	0.00	0.00	3600.00
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों तथा अन्य को अग्रिम	26819.69	118451.94	48757.59	96514.04
कुल	48546.65	122437.20	55165.09	115818.77
जमा राशि				
अन्य संगठनों के पास जमा राशि	321.45	95.06	190.11	226.39
जीएसटी आमद	884.08	22913.15	23058.24	738.99
कुल	1205.53	23008.21	23248.35	965.38
आयकर				
अग्रिम कर, टीडीएस, मांग तथा प्रतिदाय	356212.67	76130.81	14130.00	418213.49
कुल	356212.67	76130.81	14130.00	418213.49
कुल अग्रिम और नामे शेष	405964.85	221576.22	92543.44	534997.63

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO BALANCE SHEET	ANNUAL ACCOUNTS 2023-24	
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	(Rs. In lakhs)	
Particulars	As at 31.3.2024	As at 31.3.2023
<u>Current Liabilities</u>		
Salaries & wages payable	1074.76	1100.66
Creditors for Stores	503.56	8.96
Accrued Expenses	30996.61	32286.09
<u>Miscellaneous Creditors & Credit Balances</u>		
Income Tax - TDS from employees	263.14	419.30
Income Tax - TDS from others	462.35	551.73
Society, Associations, Club and Union Recovery	39.98	43.19
Integrated Goods and Services Tax	119.98	174.16
Central Goods and Services Tax	1918.00	2635.57
State Goods and Service Tax	1918.00	2416.38
Professional Tax	55.05	55.35
Provision for Income Tax	483032.33	360039.27
Provision for contriution to KPTSS	7449.69	3232.00
Others	421.81	385.97
	495680.33	369952.93
Unadjusted Sales Proceeds of Capital Assets & Unclaimed Goods	2264.49	2873.51
Deposits from Merchants, Contractors & Others	68335.44	65803.02
KPT Employee Insurance	2.02	1.92
HBA Special Benefit Scheme	171.74	168.91
Leave Encashment Fund	7800.25	7783.65
Provisions for diminution in investments	527.60	604.60
Provisions for diminution in interest (PF)	13.32	187.04
Provisions for Bad Debts	470.50	470.50
Provision for Slow & Non Moving items of stores	55.52	55.52
New Pension Scheme	71.64	112.47
Provident fund	30853.47	32818.08
Fund for Corporate Social Responsibility	3327.85	1716.69
CSR fund National Maritime Heritage Complex Lothal (NMHC)	51.90	51.90
Provision for Deferred Tax Liability	9789.67	9789.67
Total	651990.66	525786.12

॥ 7 ॥		
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
तुलनपत्र की अनुसूची		वार्षिक लेखा 2023-24
अनुसूची 7 - चालू देयताएँ तथा प्रावधान		
		(रु. लाख में)
विवरण	31.3.2024 को	31.3.2023 को
चालू देयताएं:		
देय वेतन तथा मजदूरी	1074.76	1100.66
भंडार संबंधी लेनदार	503.56	8.96
प्रोद्भूत व्यय	30996.61	32286.09
विविध लेनदार और क्रेडिट शेष		
आयकर - कर्मचारियों से टीडीएस	263.14	419.30
आयकर - अन्यो से टीडीएस	462.35	551.73
सोसायटी, एसोसिएशन , क्लब तथा यूनियन संबंधी वसूली	39.98	43.19
एकीकृत माल तथा सेवाकर	119.98	174.16
केंद्रीय माल तथा सेवाकर	1918.00	2635.57
राज्य माल तथा सेवाकर	1918.00	2416.38
व्यवसाय कर	55.05	55.35
आयकर के लिए प्रावधान	483032.33	360039.27
केपीटीएसएस में अंशदान के लिए प्रावधान	7449.69	3232.00
अन्य	421.81	385.97
	495680.33	369952.93
पूँजीगत परिसंपत्ति तथा अदावाकृत माल के असमायोजित विक्रय आगम	2264.49	2873.51
व्यापारियों, ठेकेदारों तथा अन्यो की जमाराशि	68335.44	65803.02
कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी बीमा	2.02	1.92
गृह निर्माण अग्रिम विशेष लाभ योजना	171.74	168.91
अवकाश नकदीकरण निधि	7800.25	7783.65
निवेश में कमी हेतु प्रावधान	527.60	604.60
ब्याज में कमी के प्रावधान (पीएफ)	13.32	187.04
अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	470.50	470.50
धीमे और अचल भंडार मदों के लिए प्रावधान	55.52	55.52
नयी पेंशन योजना	71.64	112.47
भविष्य निधि	30853.47	32818.08
सीएसआर निधि	3327.85	1716.69
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल (एनएमएचसी) के लिए निधि	51.90	51.90
आस्थगित कर देयता संबंधी प्रावधान	9789.67	9789.67
कुल	651990.66	525786.12

<p style="text-align: center;">// 8 //</p> <p style="text-align: center;">DEENDAYAL PORT AUTHORITY</p> <p style="text-align: center;">PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR 2023-24</p> <p style="text-align: right;">(Rs. In lakhs)</p>			
Particulars	Schedule No.	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
Income			
Cargo Handling & Storage Charges	I	86700.59	83544.33
Port & Dock Charges	II	127091.39	128436.33
Railway Earnings	III	613.90	1053.37
Estate Rentals	IV	34909.16	48113.92
Total Operating Income		249315.03	261147.94
Expenditure			
Cargo Handling & Storage	V	30330.73	31056.09
Port & Dock Facilities	VI	36555.93	37310.91
Railway Workings	VII	1513.97	629.04
Rentable Land & Buildings	VIII	6112.51	4269.36
Management & General Administration	IX	24414.39	21636.37
Total Operating Expenditure		98927.53	94901.77
Operating Surplus / Deficit:		150387.51	166246.17
Add: Finance & Miscellaneous Income	X	61109.05	53111.34
Less: Finance & Miscellaneous Expenditure	XI	14348.30	4780.91
Profit Before Tax		197148.25	214576.60
Income Tax for the year		63678.88	71536.94
Profit after Tax		133469.37	143039.66
Add :-			
Income Tax Refunds for the prior period		64900.61	0.00
Less :-			
Income Tax for the prior period		66314.18	35576.13
Amount Available for Appropriation		132055.81	107463.53
Profit on disposal of Capital Assets	X	283.61	26.68
Contribution to Capital Assets Replacement Reserve	1	0.00	652.15
Contribution to Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernisation of Assets	1	9869.37	16859.75
Contribution to Reserve for Development, Repayment & Contingencies	1	9869.37	16859.75
Total Appropriations		20022.34	34398.34
Balance transferred to General Reserve		112033.46	73065.19


 CHAIRPERSON
 DEENDAYAL PORT AUTHORITY


 FA & CAO
 DEENDAYAL PORT AUTHORITY

<p style="text-align: center;">// 8 //</p> <p style="text-align: center;">दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</p> <p style="text-align: center;">वर्ष 2023-24 का लाभ तथा हानि लेखा</p> <p style="text-align: right;">(रु. लाख में)</p>			
विवरण	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष 2023-24	गत वर्ष 2022-23
आय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	I	86700.59	83544.33
पोर्ट तथा गोदी प्रभार	II	127091.39	128436.33
रेलवे अर्जन	III	613.90	1053.37
सम्पदा किराये	IV	34909.16	48113.92
कुल परिचालन आय		249315.03	261147.94
व्यय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण	V	30330.73	31056.09
पोर्ट तथा गोदी सुविधाएँ	VI	36555.93	37310.91
रेलवे कामकाज	VII	1513.97	629.04
किराये योग्य भूमि तथा भवन	VIII	6112.51	4269.36
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन	IX	24414.39	21636.37
कुल परिचालन व्यय		98927.53	94901.77
परिचालन अधिशेष / घाटा :		150387.51	166246.17
जोड़ें : वित्त तथा विविध आय	X	61109.05	53111.34
घटायें : वित्त तथा विविध व्यय	XI	14348.30	4780.91
कर पूर्व लाभ		197148.25	214576.60
वर्ष के लिए आयकर		63678.88	71536.94
कर पश्चात् लाभ		133469.37	143039.66
जोड़ें :-			
पूर्व अवधि के लिए आयकर वापसी		64900.61	0.00
घटायें :-			
पूर्व अवधि के लिए आयकर		66314.18	35576.13
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि		132055.81	107463.53
पूँजीगत परिसंपत्तियाँ के निपटान से लाभ	X	283.61	26.68
पूँजीगत परिसंपत्तियाँ प्रतिस्थापन आरक्षित में अंशदान	1	0.00	652.15
परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन,पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित में अंशदान	1	9869.37	16859.75
विकास, पुनर्भुगतान तथा आकस्मिकताओं हेतु आरक्षित में अंशदान	1	9869.37	16859.75
कुल विनियोजन		20022.34	34398.34
सामान्य आरक्षित में अन्तरित शेष		112033.46	73065.19

अध्यक्ष
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

DEENDAYAL PORT AUTHORITY
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT
OPERATING INCOME

(Rs. In lakhs)

Particulars	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
<u>Schedule - I</u>		
<u>Cargo Handling & Storage Charges</u>	64658.90	64740.38
Handling & Storage Charges	32713.29	35429.84
Warehousing Fees	509.66	534.49
POL Handling Charges	24994.21	20409.34
Demurrage Fees	552.08	1478.51
Weighment Charges	548.32	572.27
Entry Permit Fees	81.46	78.84
Collection charges of Fertilizer Baging Plant	728.93	1006.85
Revenue share for operating Mobile Harbour Crane	1076.46	1945.62
Royalty on Stevedoring and Shorehandling Activity	3223.67	3084.16
Miscellaneous handling income	230.82	200.46
<u>Royalty Income from BOT</u>	22041.69	18803.95
Nayara Energy Limited	10659.03	8894.55
Tuna Port - M/s. Adani Kandla Bulk Terminal	7792.93	6471.25
Container Terminal Kandla - M/s. KICTPL	2927.38	2752.99
Barge Jetty - M/s. IFFCO Kisan	662.35	685.16
Total	86700.59	83544.33
<u>Schedule - II</u>		
<u>Port & Dock Charges</u>		
Towage & Mooring Fees	14028.45	10782.39
Berth Hire Charges	20207.76	27804.11
Pilotage Fees	67533.78	63648.86
Port Dues	24824.98	25058.02
Drydocking Charges	317.08	474.20
Lighterage charges at OTB and Other Receipts	179.35	668.75
Total	127091.39	128436.33
<u>Schedule - III</u>		
Terminal Charges for Railway Rakes	613.90	1053.37
Total	613.90	1053.37
<u>Schedule - IV</u>		
<u>Estate Rentals</u>		
Township Land Rentals	178.85	71.35
Freehold Conversion Fees	466.04	355.47
Rent from Lands	30600.32	30413.24
Rent from Buildings, Sheds & Godowns	247.94	192.71
Premium on Leased Land	253.18	257.77
Water Charges	30.56	55.41
Electricity Charges	2473.32	2391.53
Mortgage Charges	0.00	19.56
Transfer Fees (Kandla Land)	0.00	13292.91
Transfer Fees (Gandhidham Land)	29.17	22.18
Mortgage Charges - SRC	2.89	3.35
Transfer Fees - SRC	48.11	36.71
Other Miscellaneous Income (Kandla Land)	489.55	906.19
Other Miscellaneous Income (Gandhidham Land)	89.25	95.54
Total	34909.16	48113.92
Total Operating Income	249315.03	261147.94

<div>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</div> <div>लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची</div> <div>परिचालन आय</div> <div>(रु. लाख में)</div>		
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2023-24	2022-23
अनुसूची - I		
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	64658.90	64740.38
प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	32713.29	35429.84
भंडारण शुल्क	509.66	534.49
पी ओ एल प्रहस्तन प्रभार	24994.21	20409.34
विलंब शुल्क	552.08	1478.51
भारण प्रभार	548.32	572.27
प्रवेश अनुज्ञप्ति शुल्क	81.46	78.84
उर्वरक बैगिंग प्लांट के लिए संग्रहण प्रभार	728.93	1006.85
घल हार्बर क्रेन के परिचालन हेतु राजस्व का हिस्सा	1076.46	1945.62
नौभरण और तट प्रहस्तन गतिविधि पर रॉयल्टी	3223.67	3084.16
विविध प्रहस्तन आय	230.82	200.46
बीओटी से रॉयल्टी आय	22041.69	18803.95
नायरा एनर्जी लिमिटेड	10659.03	8894.55
तूणा पोर्ट - मैसर्स अदानी कंडला बल्क टर्मिनल	7792.93	6471.25
कंटेनर टर्मिनल कंडला - मैसर्स केआईसीटीपीएल	2927.38	2752.99
बजरा जेट्टी - मैसर्स इफ्को किसान	662.35	685.16
कुल	86700.59	83544.33
अनुसूची - II		
पत्तन तथा गोदी प्रभार		
नौकर्षण तथा नौबंध शुल्क	14028.45	10782.39
घाट किराया प्रभार	20207.76	27804.11
पोतचालन कार्य शुल्क	67533.78	63648.86
पत्तन देय	24824.98	25058.02
शुष्क गोदीकरण प्रभार	317.08	474.20
ओटीबी पर लाईटरेज प्रभार तथा अन्य प्राप्तियां	179.35	668.75
कुल	127091.39	128436.33
अनुसूची - III		
रेल्वे रैकों पर टर्मिनल प्रभार	613.90	1053.37
कुल	613.90	1053.37
अनुसूची - IV		
सम्पदा किराए		
नगरक्षेत्र भूमि से किराया	178.85	71.35
फ्री होल्ड संपरिवर्तन-शुल्क	466.04	355.47
भूमि से किराया	30600.32	30413.24
भवनों, शेडों तथा गोदामों से किराया	247.94	192.71
पट्टाकृत भूमि पर प्रीमियम	253.18	257.77
जल संबंधी प्रभार	30.56	55.41
विद्युत संबंधी प्रभार	2473.32	2391.53
बंधक प्रभार	0.00	19.56
अंतरण शुल्क (कंडला भूमि)	0.00	13292.91
अंतरण शुल्क (गांधीधाम भूमि)	29.17	22.18
बंधक शुल्क - एसआरसी	2.89	3.35
अंतरण शुल्क - एसआरसी	48.11	36.71
अन्य विविध आय (कंडला भूमि)	489.55	906.19
अन्य विविध आय (गांधीधाम भूमि)	89.25	95.54
कुल	34909.16	48113.92
कुल परिचालन आय	249315.03	261147.94

DEENDAYAL PORT AUTHORITY SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT OPERATING EXPENDITURE			(Rs. In lakh)
Particulars	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23	
<u>Schedule - V</u>			
<u>Cargo Handling & Storage</u>			
Handling & Storage of General Cargo at Sheds & Wharves	13633.30	14571.90	
Warehousing	40.98	70.13	
Operation & Maintenance of Cranes	3836.09	3727.95	
POL Handling Expenses	730.45	198.36	
Expenditure on General Facilities (Jetties, Sanitation, Elect., Road, etc.)	3219.85	4183.89	
Administration & General Expenses	590.67	861.91	
Depreciation	8279.39	7441.94	
Total	30330.73	31056.09	
<u>Schedule - VI</u>			
<u>Port & Dock Facilities</u>			
Berthing & Mooring	2499.42	2649.88	
Pilotage & Towing	15846.93	14881.79	
Dry Docking Expenses	121.21	148.53	
Water Supply to Shipping	0.00	3.98	
Fire Fighting	788.08	945.59	
Dredging & Marine Survey	12202.45	13484.98	
Expenditure on 11th & 12th Cargo Berth	25.48	12.24	
Operation & Maintenance of Navigational Aids	425.94	290.52	
Salvage & Underwater Repairs	35.79	22.80	
Maintenance of Docks, Harbour Walls & Marine Structure	0.00	18.34	
Administration & General Expenses	1586.42	1769.59	
Depreciation	3024.22	3082.68	
Total	36555.93	37310.91	
<u>Schedule - VII</u>			
<u>RAILWAY WORKINGS</u>			
Maintenance of Yards & Sidings	33.03	157.66	
Depreciation	1480.94	471.39	
Total	1513.97	629.04	
<u>Schedule - VIII</u>			
<u>Rentable Lands & Buildings</u>			
Estate Maintenance	4330.03	3039.11	
Administration & General Expenses	775.00	769.77	
Depreciation	1007.48	460.48	
Total	6112.51	4269.36	
<u>Schedule - IX</u>			
<u>Management & General Administration</u>			
Management & Secretarial Expenses	10503.42	9003.32	
Accounting & Auditing	2699.98	1924.09	
Legal	536.23	926.78	
Medical Expenses	3847.12	3133.58	
Store Keeping	295.05	302.62	
Expenditure on Head Office Bldg. & Telephone	608.75	313.42	
Engineering & Workshop Overheads	5129.65	5005.35	
Sundry Expenses	10.98	276.88	
Depreciation	783.22	750.33	
Total	24414.39	21636.37	
Total Operating Expenditure	98927.53	94901.77	

// 10 //		
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची		
परिचालन व्यय (रु. लाख में)		
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2023-24	2022-23
अनुसूची - V		
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण		
शेडों तथा भरणघाटों में सामान्य नौभार का प्रहस्तन तथा भंडारण	13633.30	14571.90
भांडागार	40.98	70.13
क्रेनों का परिचालन तथा अनुरक्षण	3836.09	3727.95
पीओएल प्रहस्तन व्यय	730.45	198.36
सामान्य सुविधाओं पर व्यय (जेटी, सफाई, विद्युत्, सड़क आदि)	3219.85	4183.89
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	590.67	861.91
	8279.39	7441.94
कुल	30330.73	31056.09
अनुसूची - VI		
पत्तन तथा गोदी सुविधाएं:		
घाटायन तथा नौबंध	2499.42	2649.88
पोतचालन कार्य तथा नौकर्षण	15846.93	14881.79
शुष्क गोदीकरण व्यय	121.21	148.53
नौवहन जलापूर्ति	0.00	3.98
अग्निशमन	788.08	945.59
निकर्षण तथा समुद्री सर्वेक्षण	12202.45	13484.98
नौभार घाट सं. 11 तथा 12 संबंधी व्यय	25.48	12.24
नौसंचालन सहायक व्यक्तियों का परिचालन तथा अनुरक्षण	425.94	290.52
निस्तारण तथा जलगत मरम्मत	35.79	22.80
गोदी, पोताश्रय भित्तियों और समुद्री अवसंरचना का अनुरक्षण	0.00	18.34
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	1586.42	1769.59
मूल्यहास	3024.22	3082.68
कुल	36555.93	37310.91
अनुसूची - VII		
रेलवे कार्य		
यार्ड तथा साईडिंग का अनुरक्षण	33.03	157.66
मूल्यहास	1480.94	471.39
कुल	1513.97	629.04
अनुसूची - VIII		
किराये योग्य भूमि तथा भवन		
संपदा अनुरक्षण	4330.03	3039.11
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	775.00	769.77
मूल्यहास	1007.48	460.48
कुल	6112.51	4269.36
अनुसूची -IX		
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन तथा सचिवालयीन व्यय	10503.42	9003.32
लेखांकन तथा लेखा परीक्षा	2699.98	1924.09
विधिक	536.23	926.78
चिकित्सा व्यय	3847.12	3133.58
भंडार अनुरक्षण	295.05	302.62
प्रधान कार्यालय भवन तथा टेलिफोन पर व्यय	608.75	313.42
अभियांत्रिकी तथा कार्यशाला उपरिव्यय	5129.65	5005.35
विविध व्यय	10.98	276.88
मूल्यहास	783.22	750.33
कुल	24414.39	21636.37
कुल परिचालन व्यय	98927.53	94901.77

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT		
(Rs. In lakh)		
Particulars	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
<u>Schedule - X</u>		
<u>Finance & Miscellaneous Income</u>		
Interest on General & Other Reserve Fund Investments	30970.53	19593.95
Interest on Staff Advances & delayed Payments	74.23	78.82
Profit on Sale of Capital Asset	283.61	26.68
Sale of Unserviceable Materials	138.93	238.88
Lapsed & Forfeited Deposits	326.44	14.35
Sale of Unclaimed Goods	0.14	79.14
Testing Fees	23.77	37.30
Interest on refund of Income Tax	7104.48	0.00
Supervision Charges on laying of pipeline & Overhead Income	1094.65	440.41
Permit & License	44.31	40.79
Storage Charges	0.00	0.58
Fire Fighting Charges	75.44	75.35
Sale of Documents	21.83	128.56
Vehicle Hire Charges	0.17	0.17
Income from Collection for OPC	66.53	0.00
Medical Charges from Outsiders	1.68	107.23
Other Receipts	8056.45	744.52
Prior Period Income	12825.87	31504.59
Total F&M Income	61109.05	53111.34
Total Income	310424.09	314259.28
<u>Schedule - XI</u>		
<u>Finance & Miscellaneous Expenditure</u>		
Bank & Commission Charges	52.97	9.90
Interest on Delayed Payments	0.89	0.00
Kendriya Vidhayalaya Expenses	62.32	0.00
Loss on Sale of Assets	1145.04	8.11
Gratuity to Daily Rated /Prorata Gratuity Payment	17.88	3.92
Contribution to Pension Fund-For GAP Funding	4219.00	1000.00
Prorata Pension Contribution to deputationist	52.92	0.00
Retirement Travelling Allowance	33.67	31.42
Contribution to New Pension Scheme	523.64	774.05
Contribution to Leave Encashment Fund	920.89	343.33
Misc. Expenditure	2640.33	1167.30
Welfare Expense	114.26	108.17
Contribution to Corporate Social Responsibility	2149.00	1104.70
Prior Period Expenditure	2415.49	230.00
Total F & M Expenditure	14348.30	4780.91
Total Expenditure	113275.83	99682.68
Surplus before Tax	197148.25	214576.60
Income Tax (See Note No.B (1) of Notes on Accounts)	63678.88	71536.94
Net Surplus after Tax	133469.37	143039.66
Income Tax for the prior period (Net after adjustment against demand)-ref pg8	1413.57	35576.13
Amount Available for Appropriation	132055.81	107463.53

<div> <div>दीनदयाल पतन प्राधिकरण</div> <div>लाभ तथा हानि लेखों की अनुसूची</div> </div> <div>(रु. लाख में)</div>		
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2023-24	2022-23
अनुसूची - X		
वित्त तथा विविध आय		
सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों के निवेश पर ब्याज	30970.53	19593.95
कर्मचारियों को अग्रिम तथा विलंबित भुगतान पर ब्याज	74.23	78.82
पूँजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ	283.61	26.68
अनुपयोगी सामग्रियों का विक्रय	138.93	238.88
व्यपगत तथा समपहत जमा राशि	326.44	14.35
लावारिस सामान की बिक्री	0.14	79.14
परीक्षण शुल्क	23.77	37.30
आयकर वापसी पर ब्याज	7104.48	0.00
पाइपलाइन बिछाने और उपरिशीर्ष आय पर पर्यवेक्षण प्रभार	1094.65	440.41
अनुज्ञप्ति तथा परमिट	44.31	40.79
भंडारण प्रभार	0.00	0.58
अग्निशमन प्रभार	75.44	75.35
दस्तावेजों का विक्रय	21.83	128.56
वाहन भाड़ा प्रभार	0.17	0.17
ओ.पी.सी. के लिए संग्रह से आय	66.53	0.00
बाहरी व्यक्तियों से चिकित्सा प्रभार	1.68	107.23
अन्य प्राप्तियाँ	8056.45	744.52
पूर्वावधि आय	12825.87	31504.59
कुल वित्त तथा विविध आय	61109.05	53111.34
कुल आय	310424.09	314259.28
अनुसूची - XI		
वित्त तथा विविध व्यय		
बैंक तथा कमीशन प्रभार	52.97	9.90
विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.89	0.00
केन्द्रीय विद्यालय व्यय	62.32	0.00
परिसंपत्ति की बिक्री से हानि	1145.04	8.11
दैनिक कामगारों हेतु उपदान/यथानुपात उपदान भुगतान	17.88	3.92
जीएपी निधीकरण के लिए पेंशन निधि में अंशदान	4219.00	1000.00
प्रतिनियुक्त को यथानुपात पेंशन अंशदान	52.92	0.00
सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	33.67	31.42
नई पेंशन योजना में अंशदान	523.64	774.05
अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान	920.89	343.33
विविध व्यय	2640.33	1167.30
कल्याण संबंधी व्यय	114.26	108.17
कारपोरेट सामाजिक दायित्व में अंशदान	2149.00	1104.70
पूर्वावधि व्यय	2415.49	230.00
कुल वित्त तथा विविध व्यय	14348.30	4780.91
कुल व्यय	113275.83	99682.68
कर पूर्व अधिशेष	197148.25	214576.60
आयकर (लेखाओं पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या ख (1) देखें)	63678.88	71536.94
कर पश्चात शुद्ध अधिशेष	133469.37	143039.66
पूर्व अवधि के लिए आयकर (मांग के विरुद्ध समायोजन के बाद शुद्ध) -	1413.57	35576.13
- संदर्भ पृष्ठ 8		
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	132055.81	107463.53

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT		(Rs. In lakh)
Particulars	Current Year 2023-24	Previous Year 2022-23
<u>Schedule - XII</u>		
<u>A) Salaries & Wages</u>		
Salaries & Wages	20518.44	21688.63
Overtime	3084.23	4618.37
Stipend to Trainees	196.44	264.17
Productivity Linked Reward	232.77	255.10
Leave Travel Concession	29.64	47.06
Salaries & Wages Total	24061.51	26873.34
<u>B) Stores</u>		
Stores (Uniform)	93.28	1.16
Stores (Operation)	9.79	6.79
Stores (Repairs & Maintenance)	835.87	672.92
Stores Total	938.94	680.86
<u>C) Office & Administrative Expenses</u>		
Communication	45.24	46.24
Travelling Expenses	128.34	138.27
Transport Facilities for Employees	258.04	213.76
Furniture, Office Equipment, Etc.	8.60	39.13
Books & Periodicals	0.00	3.41
Stationery	13.72	13.23
Advertisement & Publicity	257.97	241.59
Legal, Arbitration & Professional Fees	711.08	1225.09
Rent, Rates & Taxes	39.31	46.27
Audit Fees and Accounting Expenses	45.00	58.76
Tax Audit Fees and Other Professional Charges	103.27	100.76
Contribution & Subscription	956.57	939.09
Office Equipment Maintenance	2.22	2.60
Entertainment	15.05	6.82
Office & Administrative Expenses Total	2584.43	3075.02
<u>D) Operation & Maintenance Expenses</u>		
Power	2077.94	2288.21
Fuel	7611.48	9039.61
Maintenance Dredging	11780.06	13024.73
R&M of Equipment, Craft, Infrastructure Facilities	11910.46	9188.82
Hire Charges of Vehicles	859.71	579.58
Hire of Crafts	11030.59	8104.65
Water Charges	768.84	703.25
Operation & Maintenance Expenses Total	46039.08	42928.85
<u>E) Security Expenses</u>		
Expenditure on CISF	4831.96	4653.00
Police & Other Security Agencies	421.95	307.56
Security Expenses Total	5253.91	4960.56
<u>F) Medical Expenses</u>		
Fees to visiting Doctors	105.51	94.35
Stores (Medical)	25.69	26.12
Medicines to Employees	424.10	373.01
Charges Paid to Outside Hospitals (Employees)	829.21	641.16
Medical exp of reitred employees	1604.29	1018.53
Other Medical Expenses	135.14	235.49
Medical Expenses Total	3123.94	2388.65
<u>G) Depreciation</u>	14789.19	12373.49
<u>(H) Other Expenses</u> - AMC for EDP	155.32	80.46
Printing & Publishing	7.63	12.07
Insurance	1210.49	1020.68
Training, Sports, Contingencies, Departmental Charges, etc.	763.09	507.80
Other Expenses Total	2136.53	1621.00
Total Operating Expenses	98927.53	94901.77

दीनदयाल पतन प्राधिकरण लाभ तथा हानि लेखों की अनुसूची		
(रु. लाख में)		
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2023-24	2022-23
अनुसूची - XII		
क) वेतन तथा मजदूरी		
वेतन तथा मजदूरी	20518.44	21688.63
समयोपरि	3084.23	4618.37
प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका	196.44	264.17
उत्पादकता आधारित पुरस्कार	232.77	255.10
अवकाश यात्रा रियायत	29.64	47.06
वेतन तथा मजदूरी कुल	24061.51	26873.34
(ख) भंडार		
भंडार सामग्री (वर्दी)	93.28	1.16
भंडार सामग्री (प्रचालन)	9.79	6.79
भंडार सामग्री (मरम्मत तथा अनुरक्षण)	835.87	672.92
भंडार सामग्री कुल	938.94	680.86
ग) कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय		
संचार	45.24	46.24
यात्रा व्यय	128.34	138.27
कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधाएं	258.04	213.76
फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि	8.60	39.13
पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएं	0.00	3.41
लेखन सामग्री	13.72	13.23
विज्ञापन तथा प्रचार	257.97	241.59
विधिक, मध्यस्थ तथा व्यवसायिक शुल्क	711.08	1225.09
किराया, दरें तथा कर	39.31	46.27
लेखा परीक्षा शुल्क और लेखांकन व्यय	45.00	58.76
कर लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य व्यावसायिक प्रभार	103.27	100.76
अंशदान एवं अभिदान	956.57	939.09
कार्यालयीन उपकरणों का अनुरक्षण	2.22	2.60
मनोरंजन	15.05	6.82
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय कुल	2584.43	3075.02
घ) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय		
बिजली	2077.94	2288.21
ईंधन	7611.48	9039.61
अनुरक्षण निकर्षण	11780.06	13024.73
उपकरणों जलयानों एवं अवसरचलात्मक सुविधाओं की मरम्मत और अनुरक्षण	11910.46	9188.82
वाहनों का भाड़ा प्रभार	859.71	579.58
जलयानों का भाड़ा	11030.59	8104.65
जल प्रभार	768.84	703.25
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय कुल	46039.08	42928.85
च) सुरक्षा व्यय		
कै.औ.सु.बल से संबंधित व्यय	4831.96	4653.00
पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां	421.95	307.56
सुरक्षा व्यय कुल	5253.91	4960.56
छ) चिकित्सा व्यय		
अतिथि चिकित्सकों के शुल्क	105.51	94.35
भंडार सामग्री (चिकित्सा)	25.69	26.12
कर्मचारियों की दवाईयां	424.10	373.01
बाहरी अस्पतालों को संदत्त प्रभार (कर्मचारी)	829.21	641.16
सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	1604.29	1018.53
अन्य चिकित्सा व्यय	135.14	235.49
चिकित्सा व्यय कुल	3123.94	2388.65
ज) मूल्यहास	14789.19	12373.49
झ) अन्य व्यय - ईडीपी हेतु वार्षिक अनुरक्षण	155.32	80.46
मुद्रण तथा प्रकाशन	7.63	12.07
बीमा	1210.49	1020.68
प्रशिक्षण, खेलकूद, आकस्मिकताएं, विभागीय प्रभार इत्यादि	763.09	507.80
अन्य व्यय कुल	2136.53	1621.00
कुल परिचालन व्यय	98927.53	94901.77

Summary of significant accounting policies for the year ended 31 March 2024

1. NATURE OF PRINCIPAL ACTIVITIES

Deendayal Port Authority (referred to as “DPA”) is a Major Port under the The Major Port Authorities Act, 2021 (Erstwhile Major Port Trust Act, 1963) functioning under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. DPA has an offshore oil terminal at Vadinar. DPA is primarily providing marine and cargo related services

2. GENERAL INFORMATION AND STATEMENT OF COMPLIANCE

DPA has its Administrative Office at Gandhidham Kutch

The financial statements of DPA have been prepared based on the revised accounting policy as set out in the recommendation of the Billimoria Committee Report and approved by the Ministry of Shipping vide its communication bearing reference No.PR-20021/2/98-PG dated 6th November 2002 and implemented with effect from the year 2003-04. The recommendations are based on the directions issued by the Ministry from time to time on various issues like rates of depreciation, useful life of assets etc.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. ACCOUNTING CONCEPTS

The financial statements have been prepared using the significant accounting policies and measurement bases summarised below. These were used throughout all periods presented in the financial statements. The accounts are prepared on historical cost concept based on accrual method of accounting as a going concern. The figures shown in the accounts are in lakhs and figures of the previous year have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to this year classification.

B. REVENUE RECOGNITION

REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised on completed service method. Operating Revenue is measured based on the rates of various services specified in the Scale of Rates approved by the TAMP from time to time, which is the consideration, adjusted for variable considerations, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

DIVIDEND INCOME

Dividend on units/shares is accounted for when the dividend is actually received.

C. FIXED ASSETS & DEPRECIATION

Recognition

Fixed Assets are stated at Original Cost of acquisition plus other incidental expenses of the same. The cost of any software purchased initially along with the computer hardware is being capitalized along with the cost of the hardware. Fixed Assets under construction are categorized as Capital Work in Progress.

Repair and maintenance costs are recognised in statement of profit and loss as incurred.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1. प्रमुख गतिविधियों का स्वरूप

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (पहले का महापत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963) के तहत भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक महापत्तन है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वाड़ीनार में एक अपतट तेल टर्मिनल है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण मुख्य रूप से समुद्री एवं नौभार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है।

2. सामान्य जानकारी तथा अनुपालन का विवरण

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्यालय गांधीधाम कच्छ में अवस्थित है।

प्राधिकरण के वित्तीय विवरण बिलिमोरिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिश में निर्धारित संशोधित लेखांकन नीति के आधार पर तैयार किए गए हैं और पत्तन परिवहन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर 2002 के संदर्भ संख्या पीआर-2002/1/98-पीजी के माध्यम से अनुमोदित किए गए हैं और वर्ष 2003-04 से लागू किए गए हैं। ये सिफारिशें मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मूल्यहास की दरों, परिसंपत्तियों के उपयोगकाल आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर जारी निदेशों पर आधारित हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

क. लेखांकन अवधारणाएँ

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का उपयोग कर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और माप संबंधी आधार का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में इनका उपयोग किया गया था। चलन के रूप में लेखांकन प्रोद्भवन पद्धति पर आधारित ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर लेखे तैयार किए गए हैं। लेखों में दर्शाए गए आंकड़े लाखों में हैं और पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ख. राजस्व मान्यता

राजस्व मान्यता

राजस्व को पूर्ण की जा चुकी सेवा पर मान्यता प्रदान की गई है। परिचालन राजस्व को समय-समय पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में विनिर्दिष्ट विविध सेवा-दरों के आधार पर मापा जाता है, जो कि एक विवेचन है और ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में यदि कोई परिवर्तनीय विवेचन हो तो उनके अनुसार समायोजित किया जाता है। ग्राहकों से संग्रहित कर राजस्व में शामिल नहीं है।

लाभांश आय

वास्तविक लाभांश प्राप्त होने पर यूनिटों/शेयरों पर लाभांश को लेखित किया जाता है।

ग. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास

मान्यता

स्थाई परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की मूल लागत तथा उनके प्रासंगिक खर्चों पर दर्शाया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ शुरू में खरीदे गए किसी भी सॉफ्टवेयर की लागत को हार्डवेयर की लागत के साथ-साथ पूंजीकृत किया जा रहा है। निर्माणाधीन स्थायी परिसंपत्तियों को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मरम्मत और रखरखाव की लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Subsequent measurement (depreciation)

Depreciation on Fixed Assets is charged on straight line method based on the useful life & scrap value of the assets fixed by the Ministry of Shipping vide its communication bearing reference **No.PR-24021/28/98-PG dated 20.08.1998** or based on the useful life fixed by the concerned Department and is applied consistently so far.

The depreciation on assets put to use for less than 30 days are provided with no depreciation and assets put to use for less than 180 days are provided with half the depreciation and assets in use for 180 days or more are provided full depreciation.

The residual values, useful lives and method of depreciation of property, plant and equipment are reviewed only when the directions are received in this regard from the Ministry.

De-recognition

An item of Fixed Asset and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on de-recognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognised in the statement of profit and loss when the asset is derecognised.

D. FOREIGN CURRENCY

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in INR, which is also the functional currency of DPA. All dollar denominated rates are converted into equivalent Indian Rupees at the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time, on the date of entry of vessel into the port limits. Payments made in Foreign Currency are accounted for at the rate prevailing on the date of transaction.

E. FINANCIAL INSTRUMENTS

INVESTMENTS

Long term Investments are valued at Cost. Long term investment are investment made for a period of more than one year. Investment have been classified in the financial statement as current and long term investment as per the provision contained in Common Framework of Financial Reporting (CFFR) by Major Ports. The investments consist of PSU Bonds, Equity participation and Term deposits with Banks. All investments are non-trade investments. Interest on investments and deposits is recognized on time basis. The interest earned/accrued on the investment of the Statutory Reserves & Infrastructure Reserve is being credited directly to the respective reserves.

F. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

A provision is recognized when the DPA has a present obligation as a result of past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions determined based on the best estimate required to settle the obligation at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed by way of note unless the possibility of outflow is remote.

अनुवर्ती माप (मूल्यहास)

स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.08.1998 के पत्र संख्या पीआर-24021/28/98-पीजी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोग-अवधि तथा स्ट्रैप मूल्य पर आधारित सीधी रेखांकन पद्धति अथवा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित उपयोग-अवधि पर प्रभारित किया जाता है और अब तक लगातार लागू किया गया है।

30 दिनों से कम समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को बिना मूल्यहास के उपबंधित किया जाता है और 180 दिनों से कम समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर आधा मूल्यहास उपबंधित किया जाता है और 180 दिनों या उससे अधिक समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर पूर्ण मूल्यहास उपबंधित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास से संबंधित अवशिष्ट मूल्य, उपयोग-अवधि और पद्धति की समीक्षा इस संबंध में मंत्रालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही की जाती है।

मान्यता-निरसन

स्थाई परिसंपत्तियों की एक मद और आरंभ में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता निरस्त की जाती है। परिसंपत्तियों की मान्यता-निरस्त होने पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (सकल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्तियों से संबंधित वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि-विवरण में मान्यता प्राप्त है।

घ. विदेशी मुद्रा

कार्यचालन एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रूपयों में प्रस्तुत किए गए हैं, जो दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की कार्यचालन मुद्रा भी है। पत्तन सीमा में जलयानों की प्रविष्टि की तारीख पर सभी डॉलर मूल्यवर्ग की दरों को भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगियों अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अधिसूचित बाजार खरीद दर पर जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो, भारतीय रूपयों के समरूप परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतानों को लेन-देन की तारीख से प्रचलित दर पर लेखित किया जाता है।

च. वित्तीय उपकरण

निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। दीर्घावधि निवेश एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया गया निवेश है। महापतनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) में निहित प्रावधान के अनुसार वित्तीय विवरण में निवेश को चालू और दीर्घ अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन निवेशों में पीएसयू बांड, इक्विटी भागीदारी और बैंकों में दीर्घावधि जमा शामिल हैं। सभी निवेश गैर-व्यापारिक निवेश हैं। निवेशों और जमा पर ब्याज को समयावधि आधार पर मान्य किए जाते हैं। सांविधिक आरक्षित और अवसंरचनात्मक आरक्षित संबंधी निवेश पर अर्जित/प्रोद्भूत ब्याज को सीधे संबंधित आरक्षित में जमा किया जाता है।

छ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

पिछली स्थितियों के परिणामस्वरूप दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वर्तमान कार्य-बाध्यता होने पर प्रावधान को मान्यता दी जाती है क्योंकि यह संभव है कि कार्य-बाध्यता का समाधान करने हेतु आर्थिक लाभ से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा और कार्य-बाध्यता की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्य-बाध्यता का निपटान करने हेतु अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने हेतु समायोजित किया जाता है। जब तक बहिर्गमन की संभावना कम न हो तब तक आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

G. GOVERNMENT GRANT

Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. DPA follows capital approach for accounting grants received by it and accordingly the amounts of grants received for an asset is reduced from the cost of such asset. Accordingly, the cost of such asset is reflected in the financial statements after reducing the related grant. Depreciation is provided on such reduced value

H. LEASES

Operating leases are considered as Revenue in nature and accordingly receipts and payments are accounted. However, one-time non-refundable upfront Premium received from lessees are apportioned over the period of lease.

I. INVENTORIES

The Moving Weighted Average Method is adopted for valuation of inventory and no depreciation policy has been adopted by the Port on the stores items

J. INCOME TAX

DPA claims exemption of its entire income under Section 11-13 of the Income Tax Act, 1961 while filing the Income Tax return. Being the issue is pending before Hon'ble ITAT since AY 2009-10 and recent judicial pronouncement w.r.t eligibility exemption u/s 11-13 of the Act, following procedure is adopted:

- Registration u/s 12AA has been obtained from the Income Tax Department.
- Income Tax provided / Paid is claimed as expenditure on a conservative and consistency basis during FY 2023-24.
- The entire income tax paid is / will be claimed as refund in the Income Tax Return.
- The receipt of Income Tax refund is / will be reckoned as income in the year of receipt.

Further to above, *The Finance Act, 2023 has inserted Section 10 [46A] and being* Deendayal Port Authority is a Authority constituted by or under a Central Act, it has applied to claim exemption u/s 10(46A) of the Act to Central Board of Direct Taxes on 31.03.2024 for AY 2024-25 which is still under consideration with the Competent Authorities.

In view of such recently introduced provisions of the Law, the above referred procedure for claiming exemption u/s 11-13 of the IT Act will be reviewed by the Management at the time of filing of Income Tax Return.

K. CASH AND BANK BALANCES

Cash comprises cash on hand and demand deposits i.e. balances held with banks for unrestrictive use. Cash equivalents are short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. All the Bank Accounts operated by DPA are in Scheduled Banks.

ज. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को तब मान्यता दी जाती है जहाँ यह यथोचित आश्वासन मिलता हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण प्राप्त अनुदान के लेखांकन लिए पूंजीगत दृष्टिकोण अपनाता है और तदनुसार परिसंपत्ति के लिए प्राप्त अनुदान की मात्रा ऐसी परिसंपत्ति की लागत से कम की जाती है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में ऐसी परिसंपत्ति की लागत संबंधित अनुदान को कम करने के बाद प्रतिबिंबित होती है। ऐसे घटे हुए मूल्य पर मूल्यहास उपबंधित किया जाता है।

झ. पट्टा

प्रचालन पट्टों को राजस्व की तरह माना जाता है और तदनुसार प्राप्तियों और संदायों को लेखित किया जाता है। तथापि, पट्टाधारकों से प्राप्त एक बार देय अप्रतिदाय अग्रिम किस्त को पट्टों-अवधि में विभाजित किया जाता है।

ट. वस्तुसूची

वस्तुसूची के मूल्यांकन हेतु चल भारित औसत पद्धति अपनाई जाती है और पत्तन द्वारा भंडारण मदों पर कोई मूल्यहास नीति नहीं अपनाई गई है।

ठ. आयकर

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11-13 के तहत आयकर विवरणी दाखिल करते समय अपनी आय में छूट का दावा प्रस्तुत किया है। चूंकि यह मुद्दा निर्धारण वर्ष 2009-10 से माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है तथा अधिनियम की धारा 11-13 के अंतर्गत पात्रता छूट के संबंध में हाल ही में न्यायिक निर्णय दिया गया है, इसलिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- आयकर विभाग से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदान/भुगतान किए गए आयकर की परंपरा और समनुरूपता के आधार पर व्यय के रूप में दावा किया गया है।
- भुगतान किए गए संपूर्ण आयकर का विवरणी में प्रतिदेय के रूप में दावा किया जाएगा।
- आयकर प्रतिदेय की प्राप्ति को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2023 में धारा 10 [46क] सम्मिलित की गई है और चूंकि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत गठित प्राधिकरण है, इसने 31 मार्च 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 10(46क) के तहत छूट का दावा करने के लिए आवेदन किया है, जो अभी भी सक्षम प्राधिकारियों के पास विचाराधीन है।

हाल ही में आरंभ किए गए ऐसे विविध प्रावधानों के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 11-13 के तहत छूट का दावा करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया की समीक्षा आयकर विवरणी दाखिल करते समय प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

ड. नकद एवं बैंक में जमा शेष

हाथ में रोकड़ और मांग संबंधी जमा अर्थात् अप्रतिबंधित उपयोग के लिए बैंक में शेष शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पावधि, अत्यंत चल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की समतुल्य राशि में सुगमतापूर्वक परिवर्तनीय हैं जो मूल्य-परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी बैंकों खाते अनुसूचित बैंकों में हैं।

L. POST-EMPLOYMENT BENEFITS AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit plans

The pension & gratuity payable to the employees of DPA recruited prior to 01-01-2004 is defined and based on the Salary of the employee at the time of retirement and length of service. DPA has created separate Trusts for Pension and Gratuity to meet the defined benefit obligations. Every year necessary contribution is made to build the corpus of these funds based on the Actuarial Valuation done by LIC of India. The corpus fund is invested with LIC of India. The pension and gratuity payments of the year have been made from the respective Trust accounts

Similarly, Leave Encashment Fund has been constituted for meeting the encashment liability with effect from 2017-18. Every year necessary contribution is being made to build the corpus of the fund based on actuarial valuation done by LIC of India as per AS-15. Based on the above valuation, the liability is recognised in accounts and necessary amount deposited with LIC Group Leave Encashment Scheme subject to a minimum contribution to the extent of actual expenditure incurred during the previous year. The payment of leave encashment availed by the employees is being made by LIC of India from the corpus of this fund.

Consequent upon the formation of Superannuation & Gratuity Fund Trusts as separate entities the financial statements of these Trusts are excluded from the Financial Statements of Deendayal Port Trust and presented separately

Short-term employee benefits

Short term benefits comprise of employee costs such as salaries, bonus etc. accrued in the year in which the associated service are rendered by employees.

Defined contribution plans

DPA's share of contribution to New Pension Scheme (TIER-I) is made to the NPS trust every month.

Other benefits

Voluntary /Special Voluntary retirement expenses are charged to statement of profit and loss in the year of its incurrence.

M. Miscellaneous

(a) All Sundry Debtors are considered good and hence no provision is made for bad debts as per Government Letter No. PR-20021/2/98-PG dated 6/11/2002. **The matter is being taken up with CAG to formulate a uniform policy in this regard by Ministry vide letter No. PD-21015/1/2017-PD-IV/327607 dated 04/05/2018.**

Pending clarification from Government of India and to comply with the CAG remarks, DPA framed a policy as under: -

(I) No provision is being made for Debts due from a Government undertaking irrespective of any time limit.

(ii) No Provision is being made for Debts recognized in books relating to PPP & other projects in the case of on-going litigation in any Court, Arbitration and other forums.

(iii) Provision is being made for the un-identifiable amounts lying in accounts for more than 5 years based on the estimate made by respective department

ढ. नियोजन के बाद के हितलाभ एवं अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

दिनांक 01-01-2004 से पूर्व भर्ती हुए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को देय पेंशन और उपदान को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय वेतन और सेवा-अवधि पर परिभाषित और आधारित हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने निर्धारित लाभ संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए पेंशन और उपदान हेतु अलग न्यास बनाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इन निधि-कोषों में प्रति वर्ष आवश्यक अंशदान दिया जाता है। इस कोष-निधि का निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। इस वर्ष के पेंशन और उपदान का भुगतान संबंधित न्यास के खातों से किया गया है।

इसी प्रकार 2017-18 से प्रभावी अवकाश नकदीकरण देयता की पूर्ति करने हेतु अवकाश नकदीकरण निधि का गठन किया गया है। लेखाकरण मानक-15 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कोष के निर्माण में प्रति वर्ष आवश्यक अंशदान किया जा रहा है। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर, देयताओं को लेखे में स्वीकृत किया गया है और गत वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की सीमा तक न्यूनतम अंशदान के अधीन आवश्यक राशि भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना में जमा की गई है। कर्मचारियों द्वारा लिए गए अवकाश नकदीकरण का भुगतान इसी निधि-कोष से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

सेवानिवृत्ति और उपदान निधि हेतु अलग-अलग संस्थाओं के रूप में न्यासों का गठन किए जाने के परिणामस्वरूप, इन न्यासों के वित्तीय विवरणों को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों से हटा दिया गया है और इन्हें अलग से प्रस्तुत किया गया है।

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ जैसे वेतन, बोनस आदि जैसी कर्मचारियों की लागत उस वर्ष प्रोद्भूत होती है जिस वर्ष में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवा प्रदान की जाती है।

निर्धारित अंशदान योजनाएँ

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की नई पेंशन योजना (टियर-I) का अंश प्रति माह एनपीएस ट्रस्ट में जमा किया जाता है।

अन्य लाभ

स्वैच्छिक/विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्ययों को संबंधित वर्ष में लाभ व हानि संबंधी विवरण में प्रभारित किया जाता है।

त. विविध

(क) सभी विविध देनदार ऋण चुकाने में समर्थ हैं और इसलिए सरकार के पत्र क्रमांक पीआर-20021/2/98-पीजी दिनांक 6/11/2002 के अनुसार अशोध्य ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय के पत्र क्रमांक पीडी-21015/1/2017- पीडी-IV/327607 दिनांक 04/05/2018 के द्वारा इस संबंध में एक समान नीति तैयार करने के लिए यह मामला नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के समक्ष उठाया जा रहा है।

भारत सरकार के लंबित स्पष्टीकरण और नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन करने हेतु दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार एक नीति बनाई गई: -

- (I) किसी भी सरकारी उपक्रम से बकाया ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है चाहे उसकी समय सीमा कोई भी हो।
- (II) किसी न्यायालय, मध्यस्थता और अन्य फोरम पर चल रही मुकदमेबाजी के मामले में पीपीपी तथा अन्य परियोजनाओं से जुड़ी बहियों में स्वीकृत ऋण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

(b) Disputed claims & interest on delayed payments are recognized on receipt basis in view of the uncertainty involved in ultimate realization.

(c) Dredging expenditure incurred for maintaining existing levels of depth and width are charged to Revenue, while expenditure incurred on achieving additional depth is treated as Capital in nature.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS 2023-24

A. Notes pertaining to Balance Sheet Items

1. Reserves & Surplus

(a) Capital Reserve represents the investment in Fixed Assets by Port's own funds and other capital receipts. The balance of Rs. 385518.00 lakhs standing to the credit of Capital Reserve does not include Capital Work in Progress incurred during the current year amounting to Rs. 76796.38 lakh

(b) Ministry of Shipping vide letter No. PG-F-15/76 dated 22/09/1976 has directed the creation of the following reserves: -

(i) 3 percent of Capital Employed to Replacement, Rehabilitation & Modernisation.

(ii) 3 percent of Capital Employed towards Development, Repayment and Contingencies.

Accordingly, these reserves are being operated accordingly since then. Capital employed has been taken as "Net Capital Block Plus Working Capital." (Working Capital is Current Assets Minus Current liabilities) as defined in Ministry of Shipping's letter No. PG-F-15/76 dated 22/09/1976

(c) "Capital Assets Replacement Reserve" has been created for the purpose of meeting the gap between historical and replacement cost of assets in compliance of Ministry's directions issued vide letter No. PGF/53/78 dated 29/06/1979 with a ceiling of Rs. 2000 lakhs.

2. Fixed Assets

(a) Furniture is charged under the Revenue heads.

(b) New Minor Works i.e. works costing less than Rs. One lakh are charged under Revenue heads.

3. Investments

(a) Equity participation with KRCL, Petronet V.K. Ltd., SRC Ltd., IPRCL are un-quoted investments. The investments of M/s. SRC Ltd. includes two shares, not listed of Rs. 2000.

(b) The equity investment of Rs. 500 lakhs, made in Petronet V. K. Ltd has eroded due to negative net worth of Petronet V K Ltd. and the company has become sick. A provision of Rs. 500 lakhs have been made during the year 2015-16 towards diminution in the value with the approval as approved by the Board vide Resolution No. 152 of 12/02/2016.

(c) During the year 2018-19 DPA had invested an amount of Rs. 25704.52 lakhs in acquiring 50,40,101 Nos. of equity shares of Dredging Corporation of India @ Rs. 510 per share in accordance with the Shareholder Agreement dated 8th March 2019. The shares are listed on Recognized Stock Exchanges and closing price as on 31/03/2024 is Rs. 680 per share on National Stock Exchange of India.

(iii) संबंधित विभाग द्वारा किए गए प्राक्कलन के आधार पर 5 वर्षों से अधिक समय तक खातों में शेष पहचान की गई राशि के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

(ख) समग्र राशि की प्राप्ति में शामिल अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति के आधार पर विलंबित भुगतानों पर विवादित दावों और ब्याज को स्वीकृति दी जाती है।

(ग) गहराई और चौड़ाई के वर्तमान स्तरों को कायम रखने हेतु किए गए निकर्षण-व्यय को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, जबकि अतिरिक्त डुबाव हासिल करने पर किए गए व्यय को पूंजी के रूप में माना जाता है।

वर्ष 2023-24 के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां

क. तुलन-पत्र मदों से संबंधित टिप्पणियां

1. आरक्षित एवं अधिशेष

(क) पूंजीगत आरक्षित पतन की अपनी निधि एवं अन्य प्राप्तियों द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश को दर्शाता है। पूंजीगत आरक्षित में जमा रु.385518.00 लाख की शेष राशि में चालू वर्ष के दौरान किए गए रु.76769.38 लाख का चालू पूंजीगत कार्य शामिल नहीं है।

(ख) पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्र संख्या पीजी-एफ-15/76 दिनांक 22/09/1976 द्वारा निम्नलिखित आरक्षितों का सृजन करने हेतु निर्देश दिए हैं:-

(i) प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण में नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत।

(ii) विकास, पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं के लिए नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत।

तदनुसार, तभी से इन आरक्षितों का संचालन किया जा रहा है। नियोजित पूंजी को "सकल पूंजीगत ब्लॉक के साथ कार्यचालन पूंजी" के रूप में लिया गया है। (कार्यचालन पूंजी चालू परिसंपत्तियां घटाकर चालू देयताएं हैं) जैसा कि पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र क्रमांक पीजी-एफ-15/76 दिनांक 22/09/1976 में परिभाषित किया गया है।

(ग) "पूंजीगत परिसंपत्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित" को मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में पत्र सं. पीजीएफ/53/78 दिनांक 29/06/1979 द्वारा रु 2000 लाख की उच्चतम सीमा सहित जारी परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक एवं प्रतिस्थापन लागत के बीच के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) फर्नीचर को राजस्व शीर्षों के तहत प्रभारित किया जाता है।

(ख) नये लघु कार्यों अर्थात् रुपए एक लाख से कम लागत वाले कार्यों को राजस्व शीर्षों के तहत प्रभारित किया जाता है।

3. निवेश

(क) केआरसीएल, पेट्रोनेट वी. के. लिमिटेड, एसआरसी लिमिटेड, आईपीआरसीएल के साथ इक्विटी सहभागिता अनुद्धृत निवेश हैं। मेसर्स एसआरसी लिमिटेड के निवेश में रु.2000 के दो असूचीबद्ध शेयर शामिल हैं।

(ख) पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड के नकारात्मक निवल मूल्य के कारण पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में किया गया रु.500 लाख का इक्विटी निवेश घट गया है और कंपनी घाटे में चली गई है। मूल्य में हुई कमी के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान रु.500 लाख के किए गए प्रावधान बोर्ड के संकल्प सं. 152 दिनांक 12/02/2016 के द्वारा अनुमोदित है।

(d) DPA has filed court cases for recovery of the principal amount of investment together with interest due in respect of the following two PSUs. These investments have been swapped with the investments of General Provident Fund in the past with the approval of the Board.

The present status of above investments is as under:

M/s Uttar Pradesh Co-Operative Spinning Mills Federation Limited (UPCSMFL), vide letter No. 1042/SMF/2023 dated 2nd September 2023 had offered a one time settlement (OTS) by way of repayment of principal amount of Rs.77,00,000 together with interest @ 16% being the coupon rate from 01-05-1999 till date of maturity that is 29-04-2004 and thereafter simple interest @ 9.5% per annum from 30-04-2004 till 31-03-2023 in full and final settlement of the dues of DPA. The Board of Deendayal Port Authority vide resolution No. 106 of its meeting held on 13-10-2023 have approved the OTS and accordingly M/s UPCSML has since repaid an amount of Rs. 2,73,24,979/- as detailed below:

Particulars	Amount (In Rs)
Principal Amount of Investment	77,00,000
Interest @ 16% per annum from 01-05-1999 till date of maturity i.e. 29-04-2004 and thereafter @ 9.5% per annum from 30-04-2004 to 31-03-2023	1,96,24,979
Total Principal + Interest Received	2,73,24,979
TDS deducted on Interest	19,62,500
Net Amount Received	2,53,62,479

The above amount has been received by way of RTGS on 7th March 2024. Accordingly, the provision for diminution of principal value of investment amounting to Rs.77,00,000/- and provision for diminution of Interest on the same amounting to Rs.1,73,72,118/- made in the Profit and Loss Account for the financial year 2018-19 has been reversed by preparing TEOs.

The port is in the process of withdrawing the suit filed before the Gujarat High Court.

Investment in MPSIDC

Name of PSU	Present Principal (Rs in Lacs)	Present Status and Remarks
Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation	27.60	The matter is pending with High Court, Jabalpur. Hearings have been conducted on the following dates: 27/06/2022, 21/07/2022, 27/08/2022, 01/09/2022, 12/09/2022, 03/11/2022, 17/01/2023 as informed by the Advocate and the matter is scheduled for final hearing.

(e) Out of total investment in FDRs, following FDRs have been pledge

- With High Court of Gujarat for ABGKCTL Litigation - Rs. 24000.00 lakhs Litigation as on 31.03.2024

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने दिनांक 8 मार्च 2019 के शेयरधारक समझौते के अनुसार रु.510 प्रति शेयर की दर से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 50,40,101 इक्विटी शेयर अर्जित करते हुए रु.25704.52 लाख की राशि का निवेश किया था। यह शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं और भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दिनांक 31/03/2024 तक बंद-भाव प्रति शेयर रु.680 है।

(घ) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित दो सार्वजनिक उपक्रमों में निवेशों से संबंधित बकाया ब्याज के साथ मूलधन की वसूली हेतु न्यायालय में मामला दायर किया है। इनकी अतीत में बोर्ड के अनुमोदन से सामान्य निधि निवेश के साथ अदला-बदली की जाती रही है।

इन निवेशों की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड (यूपीसीएसएमएफएल) ने पत्र संख्या 1042/एसएमएफ/2023 दिनांक 2 सितंबर 2023 के माध्यम से 77,00,000 रुपये की मूल राशि के पुनर्भुगतान के माध्यम से एकबारगी निपटान (ओटीएस) की पेशकश की थी, साथ ही 01-05-1999 से परिपक्वता तिथि यानी 29-04-2004 तक 16% कूपन दर पर ब्याज और उसके बाद 30-04-2004 से 31-03-2023 तक 9.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ प्राधिकरण की बकाया राशि का पूर्ण और अंतिम निपटान किया। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने 13-10-2023 को आयोजित अपनी बैठक के संकल्प संख्या 106 के माध्यम से ओटीएस को मंजूरी दे दी है और तदनुसार मेसर्स यूपीसीएसएमएफएल ने तब से रु.2,73,24,979/- की राशि चुका दी है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (रुपये में)
निवेश की मूल राशि	77,00,000
01-05-1999 से परिपक्वता तिथि यानी 29-04-2004 तक 16% प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 30-04-2004 से 31-03-2023 तक 9.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज	1,96,24,979
कुल मूलधन + प्राप्त ब्याज	2,73,24,979
ब्याज पर काटा गया टीडीएस	19,62,500
प्राप्त शुद्ध राशि	2,53,62,479

उपरोक्त राशि 7 मार्च 2024 को आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि खाते में किए गए निवेश के मूल मूल्य में कमी के लिए प्रावधान 77,00,000/- रुपये और उसी राशि पर ब्याज में कमी के लिए प्रावधान 1,73,72,118/- रुपये को टीईओ तैयार करके उलट दिया गया है।

पत्तन गुजरात उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया में है।

एमपीएसआईडीसी में निवेश

सार्वजनिक उपक्रम का नाम	मूल निवेश (रु लाखों में)	वर्तमान स्थिति एवं टिप्पणियां
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	27.60	यह मामला उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष अभी तक लंबित है जैसा कि अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित तिथियों पर सुनवाई आयोजित की गई है:- 27/06/2022, 21/07/2022, 27/08/2022, 01/09/2022, 12/09/2022, 03/11/2022, 17/01/2023 और मामले को जल्द ही अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।

4. CURRENT ASSETS.

DPA has provided a loan for a sum of Rs. 36 Crs. to Dredging Corporation of India Ltd on 1st November,2022 on the following repayment terms and conditions:

- (a) Repayment period: The said loan will be repaid in 5 yearly instalments after completion of moratorium period. The said loan shall be recovered in instalments as stated above from the monthly running invoices raised by DCI.
- (b) Interest: Interest will be paid annually including moratorium period of 3 years from the date of drawal of loan.
- (c) Rate of Interest: Interest is payable @ SBI's 3 year's MCLR prevailing as on the date of the release of loan amount and spread at the rate of 0.2%
- (d) Moratorium period: 3 years from the date of disbursement of the said loan.

Other terms & conditions :

- (a) In addition, the borrower will provide comfort letter from other ports having dredging contract with the borrower. However , if there is no contract with a particular port, then comfort letter in this regard will be obtained and submitted by the borrower from the port after obtaining the contract from the particular port. In addition, the borrower will provide corporate guarantee in this regard.

5. CAPITAL DEBT.

The Port Trust was formulated under MPT Act, 1963 on 29.02.1964. Under the provisions of the MPT Act an amount of Rs.161162478 was determined as initial capital debt which was exhibited in the balance sheet as capital debt. During the year 2020-21 matter was taken up with Ministry and a committee was constituted by Ministry to examine the premature repayment of Government loan including capital debt to DPT. Based on the recommendations by the committee, capital debt has been treated as Capital reserve.

5. [A] CONTINGENT LIABILITIES

The amount claimed by following entities mentioned below from DPA being subject matter of pending litigation is contingent: -

Sr. No	Name of Entity	Amount (in Lakhs)	Case No.	Status
01	M/s. ABGKCTL	320 Crs Claimed by ABGKCTL, 110 crs claimed by lenders	Under arbitration	<ul style="list-style-type: none"> Arbitration is ongoing. Cross examination of witness of ABGKCTL & lenders have been completed. Currently the witness of DPA are being examined. Mr Srinivas Ex Dy Conservator has been examined and his testimony has been completed. The next witness would be Mr Mitesh Vora, CA, M/s Shah and co. The next hearing would be conducted in the month of July

(च) एफ. डी. आर. में कुल निवेश में से निम्नलिखित एफ. डी. आर. गिरवी रखे गए।

एबीजीकेसीटीएल विवाद के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के पास - 31.03.2024 तक रु. 24000.00 लाख

4. वर्तमान परिसंपत्तियाँ

प्राधिकरण ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1 नवंबर, 2022 को निम्नलिखित पुनर्भुगतान नियमों और शर्तों पर 36 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है:

(क) पुनर्भुगतान अवधि: उक्त ऋण को स्थगन अवधि पूरी होने के बाद 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। उक्त ऋण की वसूली डीसीआई द्वारा जारी मासिक चालू चालानों से ऊपर बताए अनुसार किस्तों में की जाएगी।

(ख) ब्याज: ऋण लेने की तिथि से 3 वर्ष की स्थगन अवधि सहित वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ग) ब्याज दर: ब्याज एसबीआई की 3 साल की एमसीएलआर पर देय है जो ऋण राशि जारी करने की तारीख पर लागू है और 0.2% की दर से फैला हुआ है।

(घ) ऋण स्थगन अवधि: उक्त ऋण के वितरण की तिथि से 3 वर्ष।

अन्य नियम एवं शर्तें:

(क) इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को अन्य पतनों से भी सुविधा पत्र प्रदान करना होगा, जिनके साथ उधारकर्ता का ड्रेजिंग अनुबंध है। हालांकि, यदि किसी पत्तन के साथ कोई अनुबंध नहीं है, तो इस संबंध में सुविधा पत्र उधारकर्ता द्वारा उस पत्तन से अनुबंध करने के बाद प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को इस संबंध में कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करनी होगी।

5. ऋण पूंजी

पत्तन न्यास का गठन महापत्तन अधिनियम, 1963 के तहत 29.02.1964 को किया गया था। महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत रुपये 161162478 की राशि प्रारंभिक ऋण पूंजी के रूप में निर्धारित की गई थी जिसे तुलनपत्र में ऋण पूंजी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान मामला मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था और दी.प.प्रा. को पूंजीगत ऋण सहित सरकारी ऋण की समयपूर्व अदायगी की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, पूंजीगत ऋण को पूंजी आरक्षित माना गया है।

5. [क]. आकस्मिक देयताएं

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण से नीचे उल्लिखित संस्थाओं द्वारा किए गए दावे की राशि लंबित मुकदमों के कारण आकस्मिक है:-

क.स.	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपयों में)	मामला सं.	स्थिति
01	मैसर्स एबीजीकेसीटीएल	एबीजीकेसीटीएल द्वारा रु.320 करोड़ का दावा किया गया, ऋणदाताओं द्वारा रु.110 करोड़ का दावा किया गया,	मध्यस्थता के अधीन	<ul style="list-style-type: none"> मध्यस्थता जारी है। एबीजीकेसीटीएल और ऋणदाताओं के गवाहों की प्रति परीक्षा पूरी हो गई है। वर्तमान में प्राधिकरण के गवाहों की जांच की जा रही है। श्री श्रीनिवास पूर्व उप संरक्षक की जांच की जा चुकी है और उनकी गवाही पूरी हो चुकी है। अगले गवाह श्री मितेश वोरा, सीए, मैसर्स शाह एंड कंपनी होंगे। अगली सुनवाई जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी

02	Jaisu Shipping Co. Pvt. Ltd.	11911	CMA no. 116 of 2016	DPA has filed suit for recovery of Rs. 5707 lakhs and party had counter claim of Rs. 11911 lakhs. The matter is in hearing stage.
03	Doongursee Salt Works	8086	Spl C.S. No. 5 of 2014	The compensation of Rs. 8086.40 towards eviction from salt land was claimed by the party before the district court. The matter is dismissed. Plaintiff's prayer wasn't allowed and returned. A new suit Comm CS. No.3 of 2022 has been filed in the local district court at Gandhidham.
04	Bhumi Kwang	17509	Under Arbitration	The arguments have been completed and examination of witnesses has been over. Written statements are required to be submitted. The arbitration is on its last stages.
05	PSLIPL	Rs.1711	CMA no. 21 of 2017	<ul style="list-style-type: none"> Arbitration Tribunal pronounced the award. DPA has challenged the award before the commercial court. Matter is pending adjudication. PSL Ltd. (parent Company of PSLIPPL) under section 10 of insolvency and bankruptcy code 2016 has filed an application before the NCLT, wherein the Adjudicating Authority declared a moratorium for the purpose referred in section 14 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 on 15.02.2019. Thereafter on 11.09.2020, the Hon'ble NCLT passed an order of Liquidation, thereby cessation of the order of Moratorium passed earlier. The form C containing the port's claim has been admitted provisionally. The Insolvency specialist is in the process of filing an application before the Adjudicating Authority.
06	J.R.E. Infra.	176963	Under Arbitration	Arbitration is going on and is on the final stages. All the disputes are pending adjudication.
07	Frost International	29800	Under Arbitration	Cross examination of witness is completed. Last meeting was held on 07/12/2021.

02	जैशु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	11911	2016 का सीएमए सं.116	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने रु.5707 लाख की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया तथा पार्टी ने रु. 11911 लाख का प्रतिदावा किया था। इस मामले पर सुनवाई चल रही है।
03	डुंगरशी सॉल्ट वर्क्स	8086	2014 का विशेष सी.एस. सं. 5	नमक भूमि से बेदखली के लिए 8086.40 रुपये का मुआवजा पार्टी ने जिला न्यायालय में मांगा था। मामला खारिज कर दिया गया। वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई और उसे वापस कर दिया गया। गांधीधाम में स्थानीय जिला न्यायालय में एक नया मुकदमा कॉम सी.एस. संख्या 3/2022 दायर किया गया है।
04	भूमि क्वान्ग	17509	मध्यस्थता के अधीन	दलीलें पूरी हो चुकी हैं और गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। लिखित बयान प्रस्तुत किए जाने हैं। मध्यस्थता अपने अंतिम चरण पर है।
05	पी.एस.एल.आई.पी.एल	1711	2017 का सीएमए सं.21	<ul style="list-style-type: none"> मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पंचाट की घोषणा की। प्राधिकरण ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष इस पंचाट को चुनौती दी है। मामला न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। पीएसएल लिमिटेड (पीएसएलआईपीपीएल की मूल कंपनी) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 10 के तहत एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिस पर निर्णायक प्राधिकरण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए 15.02.2019 को अधिस्थगन की घोषणा की है। इसके बाद 11.09.2020 को, माननीय एनसीएलटी ने परिसमापन का आदेश पारित किया, जिससे पहले पारित अधिस्थगन के आदेश को समाप्त कर दिया गया। पोर्ट के दावे वाले फॉर्म सी को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। दिवाला विशेषज्ञ निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया कर रहा है।
06	जे.आर.ई. इन्फ्रा.	176963	मध्यस्थता के अधीन	मध्यस्थता चल रही है और अंतिम चरण में है। सभी विवाद निर्णयाधीन हैं।

08	M/s. V. K Patel	14.32	CMA 102/2017	As per the last order dtd. 11/08/21, the matter was transferred to the court at Gandhidham. A letter dated 19/05/2022 has been sent to M/s V.K.Patel for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
09	Chandanani Gope Tirathdas	1.66	CMA 83/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
10	Gammon India Ltd.	364	Spl. Ex. 178/2017	As per order of the Hon'ble High Court passed in First Appeal No. 589 of 2015, the amount of Rs. 3,57,43,230/- has already been deposited in the District Court, Gandhidham on 01.08.2016. A letter dated 23/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
11	M/s Sunshrey Associates	1.81	CMA 81/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to Sunshrey associates for their consent to refer the matter to CSC. The letter was returned back undelivered.
12	Shri Shantilal Patel	11.25	CMA 104/2017	A letter dated 17/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
13	DBM arbitration (Bundar Basin and SNA Jetty)	Rs.27crs	Under arbitration	Cross examination of witnesses with regards to Bundar Basin issue is over. Cross examination of DPA witness with regards to SNA jetty is currently in process.
14	M/s. Khurana	138.79	CMA 69 to 73/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to firm's associates for their consent to refer the matter to CSC. M/s Khurana didn't approve and stated that they would prefer the verdict of the court. The matter has been decided in favor of M/s Khurana. The Port has filed an appeal and deposited the award amount as instructed by the H.C. of Gujarat.

[B] Notes pertaining to Profit & Loss Account

1) The income tax for current year is provided for **Rs. 63678.88** lakhs.

2) DPA has accounted demands on account of Income tax for 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21 adjusted from refunds for 2021-22, 2022-23 aggregating to Rs. 663.14 Crs on conviction that DPA will get refund of said amount in due course of time pursuant to the claim of exemption of its income u/s 11-13 of the Income Tax Act, considering the recent past judgments and views of Tax Auditor. On the basis of the outcome of the pending litigations, whenever DPA will receive refund for such years, it will be reckoned as income in the year of receipt.

3) A provision of Rs. 232.77 lakhs have been made for PLR for the year 2023-24 considering the amount of Rs. 15,000/- per employee.

07	फ्रॉस्ट इंटरनेशनल	29800	मध्यस्थता के अधीन	गवाहों की प्रति-परीक्षा पूरी हो चुकी है। दिनांक 7/12/2021 को पिछली बैठक हुई थी।
08	मैसर्स. वी के पटेल	14.32	सीएमए 102/2017	दिनांक 11/08/21 के अंतिम आदेश के अनुसार, मामला गांधीधाम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले को सीएससी को संदर्भित करने के लिए मैसर्स वी.के. पटेल को उनकी सहमति के लिए दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजा गया है। आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है।
09	चंदनानी गोप तीरथदास	1.66	सीएमए 83/2017	मामले को सीएससी को भेजने के लिए फर्म को उनकी सहमति के लिए दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजा गया है। आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
10	गैमन इंडिया लिमिटेड	364	विशेष उदा. 178/2017	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की प्रथम अपील संख्या 589 पर पारित आदेशानुसार, दि. 01.08.2016 को रु. 3,57,43,230/- की राशि जिला न्यायालय, गांधीधाम में पहले ही जमा कर दी गई है। मामले को सीएससी को संदर्भित करने के लिए फर्म को उनकी सहमति के लिए 23/05/2022 को एक पत्र भेजा गया था, जिसका आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है।
11	मैसर्स सनश्रे एसोसिएट्स	1.81	सी.एम.ए 81/2017	सनश्रे एसोसिएट्स को मामले को सीएससी को संदर्भित करने हेतु सहमति के लिए दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजा गया था जो पत्र बिना सुपुर्दगी के वापस आ गया।
12	श्री शांतिलाल पटेल	11.25	सी.एम.ए 104/2017	मामले को सीएससी को संदर्भित करने हेतु फर्म को उनकी सहमति के लिए दिनांक 17/05/2022 को एक पत्र भेजा गया। आज तक उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
13	डीबीएम मध्यस्थता (बंदर बेसिन और एस.एन.ए. जेट्टी)	रु.27 करोड़	मध्यस्थता के अधीन	बंदर बेसिन मुद्दे के संबंध में गवाहों की प्रति परीक्षा पूरी हो गई है। एस.एन.ए. जेट्टी के संबंध में दीनदयाल पतन प्राधिकरण के गवाहों की प्रति परीक्षा अभी चल रही है।
14	मैसर्स खुराना	138.79	सी.एम.ए 69 से 73/2017	फर्म के एसोसिएट्स को मामले को सीएससी को संदर्भित करने के लिए उनकी सहमति मांगने हेतु 19/05/2022 को पत्र भेजा गया। मैसर्स खुराना ने मंजूरी नहीं दी और कहा कि वे अदालत के फैसले को प्राथमिकता देंगे। मामले का फैसला मैसर्स खुराना के पक्ष में आया। पोर्ट ने अपील दायर की है और गुजरात के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पंचाट राशि जमा कर दी गई है।

[ख] लाभ एवं हानि खाते से संबंधित टिप्पणियाँ

1) चालू वर्ष में आयकर हेतु रुपए 63678.88 लाख का उपबंध किया गया।

2) प्राधिकरण ने 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के आयकर के लिए मांगों को 2021-22, 2022-23 के प्रतिदाय से समायोजित करके कुल 663.14 करोड़ रुपए का हिसाब इस विश्वास पर लगाया कि आयकर अधिनियम की धारा 11-13 के तहत अपनी आय की छूट के दावे के अनुसार प्राधिकरण को हाल के पिछले निर्णयों और कर लेखा परीक्षक के मत पर विचार करते हुए समय के साथ उक्त राशि का प्रतिदाय मिल जाएगा। लंबित मुकदमों के परिणाम के आधार पर, जब भी प्राधिकरण को ऐसे वर्षों के लिए धनवापसी होगी, तो इसे प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में गिना जाएगा।

3) वर्ष 2023-24 के लिए प्रति कर्मचारी रु. 15,000/- की राशि को ध्यान में रखते हुए पीएलआर हेतु रु. 232.77 लाख का प्रावधान किया गया है।

4) A provision of Rs. 45.00 lakhs have been made for CAG Audit Fees for the year 2023-24 considering the actual fees of the year 2022-23.

6. DISPUTED DUES

In accordance with the concept of prudence and conservatism, the following amounts are not recognised in the accounts: -

A. Dues from PPP/BOT Operators

(i) Name of PPP Operator: RAS Infraport Ltd - Erstwhile operator of 13th Cargo Berth

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books
Royalty/ LF/ Port Charges / Penalty/ Goodwill etc.	<ul style="list-style-type: none"> • License Agreement terminated by DPA on 29/09/2017. • Physical Possession of Berth taken over by DPA and commercial operation started by DPA on 05.11.2017 • Claim of Rs. 244044.75 Lakhs made by DPA before the Arbitral Tribunal formed as per the terms of the License Agreement. Which was revised in affidavit by Rs. 244449.40 Lakhs • Indian Consortium members are impleaded in the arbitration proceedings. 	<p>(a) Amount of Rs. 244449.40 lakhs claimed by DPA except Rs.9209.46 lakhs already recognized in the past</p> <p>(b) Initial amount claimed by the DPA of Rs. 244449.40 lakhs which includes outstanding dues and future claim. Subsequently, during the final argument in Oct, 2020 as directed by the Tribunal damages towards future claims was discounted with discounting factor @ 11%.</p> <p>After applying discounting factor claim amount stands to Rs.112703.14 lakhs.</p> <p>(C) Counter Claim of Rs. 185687.11 lakhs made by the BOT Operator which has instead been shown as Contingent Liability</p>
Present Status <p>a) The order of the Tribunal on interim application (u/s 17) has been challenged in the commercial court.</p> <p>b) Interim Award of Arbitration Tribunal, Amount 183,90,04,471 (90% of Debt due) along with interest w.e.f. 29.09.2017 till dated of payment was Challenge by DPA. Board of DPA in its meeting held on 16.12.2020 approved the payment of Rs.183,90,04,471.00 (i.e. 90% of the debt due) along with the interest @ 6.73% (as against the interest payable as per Article 17.5 of Concession Agreement & Tribunal Order dated 18.08.2019) to the Lenders, from the date of taking over the terminal by DPA in accordance with Article 17.1(b) of the Concession Agreement. On 31.12.2020, Rs 224,21,73,201 (Rs 183,90,04,471.6- 90% of Debt Due + Rs 40,31,68,729.40 interest @ 6.73 % paid to the Lenders.</p> <p>c) DPA has taken control and physical possession of the assets of this Berth and entry is made in the books of accounts of DPA to take over the assets of this Berth in accordance with the advice in the report dated 01.03.2021 of M/s. Sundaram & Narayan,</p>		

4) वर्ष 2022-23 के वास्तविक शुल्क पर विचार करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा शुल्क के लिए रुपए 45.00 लाख का प्रावधान किया गया।

6. विवादित बकाया राशि

विवेक और प्रचलित अभ्यास के अनुसार, निम्नलिखित राशियों को लेखों में मान्यता नहीं दी गई है:-

क. पीपीपी/बीओटी प्रचालकों से बकाया

(i) पीपीपी प्रचालक का नाम: रास इन्फ्रापोर्ट लिमिटेड - 13वें नौभारघाट के पूर्व प्रचालक

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई
रॉयल्टी/ एलएफ/ पत्तन प्रभार/ शास्ति/साख इत्यादि	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 29/09/2017 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति करार समाप्त किया गया। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा घाट का भौतिक कब्जा लिया गया और दिनांक 05.11.2017 से प्रचालन कार्य का प्रारंभ किया गया। अनुज्ञप्ति करार की शर्तों के अनुसार गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 244044.75 लाख का दावा किया गया जिसे हलफनामे में संशोधित कर रु. 244449.40 लाख किया गया। संघ के भारतीय सदस्यों को मध्यस्थता की कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया है। 	<p>(क) पहले ही स्वीकृत रु. 9209.46 लाख की राशि को छोड़कर दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दावा की गई रु. 244449.40 लाख की राशि।</p> <p>(ख) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 244449.40 लाख का प्रारंभिक दावा किया गया। जिसमें बकाया देय और भविष्य के दावे शामिल हैं। तदनुसार, अक्टूबर 2020 में अंतिम सुनवाई में न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य दावों के बारे में दिए गए निर्देशों पर 11% छूट के साथ दावे में कमी की गई।</p> <p>छूट को विनियोजित करने के बाद दावा राशि रु. 112703.14 लाख हो गई।</p> <p>(ग) बीओटी प्रचालक द्वारा रु. 185687.11 लाख का प्रतिदावा किया गया जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p>
<p>वर्तमान स्थिति</p> <p>क) अंतरिम आवेदन (धारा 17 के तहत) पर न्यायाधिकरण के आदेश को वाणिज्यिक अदालत में चुनौती दी गई है।</p> <p>ख) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.09.2017 से भुगतान की तिथि तक के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट की राशि रु. 183,90,04,471 ब्याज सहित (बकाया ऋण का 90%) को चुनौती दी गई। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने दिनांक 16.12.2020 की बैठक में छूट करार के अनुच्छेद 17.1 (ख) अनुसार दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा टर्मिनल के अधिग्रहण की तारीख से ऋणदाताओं को (छूट संबंधी करार एवं न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 18.09.19 के अनुच्छेद 17.5 के अनुसार देय ब्याज के विरुद्ध) 6.73% की दर से ब्याज सहित रु. 183,90,04,471.00 (अर्थात् बकाया ऋण का 90%) के भुगतान का अनुमोदन दिया। दिनांक 31.12.2020 को रु. 224,21,73,201 (रु.183,90,04,471.6 - 90% बकाया ऋण + 6.73 % की दर से रु. 40,31,68,729.40 ब्याज) का भुगतान ऋणदाताओं को किया।</p> <p>ग) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने मैसर्स सुंदरम और नारायण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें 13वें और 15वें नौभार घाट की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था, की दिनांक 01.03.2021 की रिपोर्ट में दी गई सलाह के क्रम में, इस घाट की संपत्ति पर नियंत्रण और भौतिक कब्जा कर लिया है और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की खाता बही में प्रविष्टि कर दी गई है।</p>		

CA, appointed for advice on capitalization of assets of 13th & 15th Cargo Berth.

- d) Final arguments completed in February, 2022.
- e) Arbitration Tribunal pronounced the Award on 16.06.23. As per the Award, the issue related to Royalty, License fee and Liquidated Damages for failing to meet Performance Standard were decided in favour of DPA. The Tribunal by observing that DPA has already paid 90% debt due to the lenders, held that the matter was already been decided nothing addition aspects in this regard needs to be examined.
- f) On 17.07.2023 M/s RAS and their Indian Consortium Members have filed two separate Special Civil Applications before the Hon'ble High court of Gujarat broadly to:
- quash and set aside the Arbitration Award;
 - to stay the operation and implementation of the Arbitration Award;
 - order or direction restraining the Arbitration Tribunal from proceeding further and deciding the application dated 04.07.2023 filed by DPA;
 - to stay further proceedings in the arbitration between DPA & RAS. The matter is pending adjudication.
- g) On 25.10.2023, M/s RAS and their Indian Consortium members have filed two separate Applications u/s 34 of Arbitration & Conciliation Act before the Commercial Court, Gandhidham with the following prayer:
- to quash and set-aside the impugned award passed by the Arbitral Tribunal and to allow the claims of the Applicants-RAS Infraport Private Limited and dismiss the counter-claims of the Respondent-DPT.
- h) On 27.10.2023, DPA have challenged the Arbitral Award u/s 34 of Arbitration & Conciliation Act before the Additional District Judge, Gandhidham with the following prayer:
- to admit the appeal.
 - The record of Arbitral Proceedings disposed off on 16/06/2023 and correction allowed on 27/07/2023 by Hon'ble Lt. Arbitration Tribunal be called for.
 - the award passed by the learned Hon'ble Arbitrators dated 16/06/2023 and corrected Award dated 27/07/2023 be set aside partly to the extent disallowed / rejected in the Award and or the matter be remanded back to the Ld. Arbitral Tribunal to decide the Issues or Arbitration be reconstituted to decide the said Issues.
- i) The Issues that were not allowed by Arbitral Tribunal are;
- Payment of licence fee (from Signing of Agreement) and Royalty (from CoD) till 2014;
 - Payment of interest, penal interest and service tax on the licence fee and Royalty;
 - Claim for compensation, damages, loss of revenue and/or reimbursement of cost made towards SBI Caps;
 - Liquidated Damages for failing to fulfil the conditions precedent by M/s RAS.
- j) On 05.11.2023, Sr. counsel furnished the legal opinion along with clarification for the points raised by DPA. Based on the said Opinion, the amount recoverable from M/s RAS has been worked out.
- k) DPA filed the Execution Petition before the Court of Hon'ble Additional District Judge, Gandhidham on 07.11.2023 to enforce & execute the Arbitration Award with other prayers which includes;
- deposit the amount of Rs.130,90,13,063.33 with further interest till its actual realization;
 - Distress Warrant for the attachment of all the moveable and immovable properties of the judgment debtors and to sell the same to recover the amount;
 - To issue an order of injunction restraining the Judgment Debtor from selling, alienating, encumbering, transferring or dealing with any of its movable and

घ) अंतिम दलीलें फरवरी, 2022 में पूरी हुई।
 च) मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 16.06.23 को निर्णय सुनाया। निर्णय के अनुसार, रॉयल्टी, अनुज्ञप्ति शुल्क और प्रदर्शन मानक को पूरा न करने के लिए परिसमाप्ति क्षति से संबंधित मुद्दे प्राधिकरण के पक्ष में तय किए गए। न्यायाधिकरण ने यह देखते हुए कि प्राधिकरण ने पहले ही ऋणदाताओं को 90% ऋण का भुगतान कर दिया है, यह माना कि मामले का पहले ही निर्णय हो चुका है, इस संबंध में किसी अतिरिक्त पहलू की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

छ) दिनांक 17.07.2023 को मैसर्स रास और उनके संघ के भारतीय सदस्यों ने गुजरात के माननीय उच्चन्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग विशेष सिविल आवेदन दाखिल किए, जिनका मुख्य उद्देश्य है:

- मध्यस्थता पंचाट को रद्द करना;
- मध्यस्थता पंचाट के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाना;
- मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.07.2023 के आवेदन पर निर्णय लेने से रोकने का आदेश या निर्देश देना;
- प्राधिकरण और रास के बीच मध्यस्थता में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाना। मामला निर्णय के लिए लंबित है।

ज) दिनांक 25.10.2023 को मैसर्स रास और उनके संघ के भारतीय के सदस्यों ने वाणिज्यिक न्यायालय, गांधीधाम के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत दो अलग-अलग आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दर्ज किए हैं:

- मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय को रद्द किया जाए और आवेदक-रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के दावों को स्वीकार किया जाए तथा प्रतिवादी-डीपीटी के प्रतिदावों को खारिज किया जाए।

झ) दि. 27.10.2023 को, दी.प.प्रा ने अपर जिला न्यायाधीश, गांधीधाम के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पंचाट को चुनौती दी है:

- अपील स्वीकार करना।
- दि. 16/06/2023 को निपटाए गए और 27/07/2023 को मा. मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा सुधारित मध्यस्थता पंचाट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए।
- दिनांक 16/06/2023 को अनुभवी माननीय मध्यस्थों द्वारा पारित निर्णय और दिनांक 27/07/2023 के संशोधित निर्णय को अस्वीकृत/खारिज किए जाने तक आंशिक रूप से रोककर रखा जाए तथा/ या मामले के मुद्दों को तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाए या उक्त मुद्दों को तय करने के लिए मध्यस्थता का पुनर्गठन किया जाए।

ट) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जिन मुद्दों की अनुमति नहीं दी गई वे हैं:

- वर्ष 2014 तक अनुज्ञप्ति शुल्क (समझौते पर हस्ताक्षर के समय से) और रॉयल्टी (आरंभ की तिथि से) का भुगतान;
- अनुज्ञप्ति शुल्क और रॉयल्टी पर ब्याज, दंडात्मक ब्याज और सेवा कर का भुगतान;
- एसबीआई कैपिटल्स से मुआवजे, क्षति, राजस्व की हानि और/या लागत की प्रतिपूर्ति का दावा;
- मैसर्स रास द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के कारण परिसमाप्ति क्षतिपूर्ति।

ठ) 05.11.2023 को, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्राधिकरण द्वारा उठाए गए बिंदुओं के स्पष्टीकरण के साथ कानूनी राय प्रस्तुत की। उक्त राय के आधार पर, मैसर्स रास से वसूली योग्य राशि की गणना की गई है।

ड) दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने अन्य अनुरोधों के साथ 07.11.2023 को मध्यस्थता पंचाट को लागू और निष्पादित करने के लिए माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गांधीधाम की अदालत के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें निम्नलिखित अनुरोध भी शामिल हैं:

- वास्तविक वसूली तक रु.130,90,13,063.33 की राशि को ब्याज सहित जमा करना;
- निर्णीत ऋणी की सभी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और राशि की वसूली के लिए उसे बेचने हेतु अभिहरण अधिपत्र देना;
- निर्णीत ऋणी को उसकी किसी भी चल तथा अचल संपत्ति और परिसंपत्ति को बेचने, पृथक करने, ऋण अधीन करने, हस्तांतरित करने या उससे लेन-देन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना;

immovable properties and assets.

- that an order of injunction be passed restraining the judgment debtor from operating its Bank without keeping aside the amount of the decretal dues.
- An order requiring the Directors of the of the Judgement Debtor to make an affidavit disclosing the particulars of the assets of the judgment debtor so that award can be satisfied.

All the above litigations are pending adjudication

(ii) Name of PPP Operator: JRE Ltd - Erstwhile operator of 15th Cargo Berth

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
Royalty/ LF/ Port Charges/ Penalty/ Goodwill etc.	<ul style="list-style-type: none"> • License Agreement terminated by DPA on 29/09/2017 	<p>(a) Amount of Rs. 246602.14 lakhs except to the extent of Rs.3529.90 lakhs already booked</p> <p>(b) Initial amount claimed by DPA of Rs. 2466.02 Cr. Which was revised in affidavit as Rs. 2405.47 Cr. During the final argument in September, 2020, as directed by Tribunal DPA's claim was discounted with discounting factor @ 9.44% & 6.39% and worked out to (i) Rs. 68684.76 Lakhs & (ii) Rs.92331.91 Lakhs respectively.</p> <p>After applying discounting factor @ 9.44% & 6.39%, claim amount are as 1130.86 Cr & 1367.33 Cr respectively</p> <p>(c) Counter claim of Rs. 176963.49 lakhs made by the BOT Operator which has instead been shown as Contingent Liability</p>	<p>Arbitration Proceedings are going on.</p> <p>a) DPA has taken control and physical possession of the assets of this Berth and entry is made in the books of accounts of DPA to take over the assets of this Berth in accordance with the advice in the report dated 01.03.2021 of M/s. Sundaram & Narayan, CA, appointed for advice on capitalization of assets of 13th & 15th Cargo Berth.</p> <p>b) Final Arguments completed by both the parties in December, 2020. Parties have made written submission on oral argument by May, 2021. Before pronouncement of the award by the Arbitration Tribunal, presiding Arbitrator died in March, 2022.</p> <p>c) On 02.05.2022, JUSTICE D. K. JAIN (Fmr. Judge, Supreme Court of India)-appointed as Presiding Arbitrator and accordingly the Arbitration tribunal is re-constituted. The matter was being heard by the re-constituted Tribunal from 27.07.22. Final arguments by claimant (DPA) had been completed and final arguments by respondent</p>

- निर्णीत ऋणी को अवनति बकाया की राशि अलग रखे बिना अपने बैंक का संचालन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना।
- निर्णीत ऋणी के निदेशकों को निर्णीत ऋणी की परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाए ताकि निर्णयों को पूर्ण किया जा सके।

उपरोक्त सभी मुकदमें न्यायनिर्णय हेतु लंबित हैं।

(ii) पीपीपी परिचालक का नाम : जेआरई लिमिटेड - 15वें नौभारघाट का पूर्व परिचालक

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
रॉयल्टी/ एलएफ/ पत्तन प्रभार/ शास्ति/ इत्यादि	दिनांक 29/09/2017 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति करार समाप्त किया गया।	<p>(क) रु.3529.90 लाख को छोड़कर रु. 246602.14 लाख की राशि खाते में लिखी जा चुकी है।</p> <p>(ख) सितंबर 2020 में हुई अंतिम बहस के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 2466.02 करोड़ दावा किया गया जिसे हलफनामें में संशोधित कर रु. 2405.47 करोड़ किया जैसा न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया था। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के दावे पर 9.44% और 6.39% की छूट दी गई, तदनुसार छूट भाज्य नियोजित करते हुए (i) रु. 68684.76 लाख और (ii) रु. 92331.91 लाख क्रमशः, पर 9.44% और 6.39% के छूट भाज्य के बाद दावा राशि रु.1130.86 करोड़ और 1367.33 करोड़ क्रमशः हो गई।</p> <p>(ग) बीओटी प्रचालक द्वारा रु. 176963.49 लाख का प्रति दावा किया गया जो आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p>	<p>मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है।</p> <p>(क) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने मैसर्स सुंदरम और नारायण, चार्टर्ड अकाउंटेंट की दिनांक 01.03.21 की रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुक्रम में जिन्हें 13वें और 15वें नौभार घाट की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था इस घाट की संपत्ति पर नियंत्रण और भौतिक कब्जा कर लिया है और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की खाता बही में प्रविष्टि कर दी गई हैं।</p> <p>(ख) दिसंबर 2020 में दोनों पक्षकारों द्वारा अंतिम बहस पूरी कर ली गई। पक्षकारों ने मई 2021 के मौखिक बयान पर लिखित उत्तर दे दिया है न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पूर्व पीठासीन मध्यस्थक का मार्च 2022 में निधन हो गया।</p> <p>(ग) दि. 02.05.2022 को न्यायमूर्ति डी. के. जैन (पूर्व न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय) को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया गया तथा तदनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया गया। मामले की सुनवाई पुनर्गठित न्यायाधिकरण द्वारा 27.07.22 से की जा रही थी। दावेदार (प्राधिकरण) द्वारा अंतिम दलीलें पूरी कर ली गई तथा प्रतिवादी (जेआरई) द्वारा अंतिम दलीलें शुरू कर दी गई थीं।</p>

			<p>(JRE) had been started.</p> <p>d) On 11.08.2023, Mr. Justice J.M. Panchal, one of the Members of the Tribunal (Co-arbitrator on behalf of DPA) informed the Tribunal that he has decided to recuse himself from the present arbitral proceedings</p> <p>e) On the advice of Port Advocate DPA has nominated Shri M.R. Shah as a Co-arbitrator on behalf of DPA in place of J.M. Panchal. M/s JRE disputed the domination of Justice M.R. Shah objected this appointment and initiated the litigation</p> <p>f) Shri M.R. Shah as a Co-arbitrator on behalf of DPA has withdrawn his consent to act as an arbitrator.</p> <p>g) Thereafter on 16.02.2024, the DPA sought consent from Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao (Retd.) for being nominated by the DPA as a Member of the Arbitral Tribunal. Vide email dated 16.02.2024 Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao (Retd.) has consented for being nominated by the DPA as the Member of the Arbitral Tribunal.</p> <p>h) After completion of the final arguments, the Tribunal will proclaim the Award</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>घ) 11.08.2023 को, न्यायमूर्ति जे.एम. पंचाल, न्यायाधिकरण के सदस्यों में से एक (प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ) ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही से खुद को अलग करने का फैसला किया है।</p> <p>च) पतन अधिवक्ता की सलाह पर प्राधिकरण ने जे.एम. पंचाल के स्थान पर श्री एम.आर. शाह को प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ के रूप में नामित किया है। मैसर्स जेआरई ने न्यायमूर्ति एम.आर.शाह की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और मुकदमा शुरू किया।</p> <p>छ) प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ श्री एम.आर. शाह ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति वापस ले ली है।</p> <p>ज) इसके बाद 16.02.2024 को प्राधिकरण ने माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव (सेवानिवृत्त) से प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के लिए सहमति मांगी। 16.02.2024 के ईमेल के हवाले से माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव (सेवानिवृत्त) ने प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के लिए सहमति दे दी है।</p> <p>झ) अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायाधिकरण अपना निर्णय सुनाएंगे।</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) Name of BOT Operator: M/s CETL (formerly VLTL)

Nature of Dues	Nature of Dues	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
License Fee	The PPP operator has objected to the rates of LF revised along with revision of SOR Kandla Land	The PPP operator has objected to the rates of LF revised along with revision of SOR Kandla Land	<p>1) The Board in its meeting held on 11/9/2020 had resolved that, "The rate of Rs.203.38/m²/annum, as approved by the Board in its meeting held on 29.01.2020, is reasonable and the same will be made applicable to M/s. CETL for charging license fees from retrospective effect subject to approval by the TAMP:".</p> <p>2) Accordingly, pending demand notes were issued from time to time to M/s CETL at provisional rate of Vadinar Land SOR.</p> <p>3) The proposal for Vadinar Land SOR sent to TAMP for approval dated 27/10/2020. Joint Hearing held on 18/12/2020.</p> <p>4) The Order passed by the TAMP dated 16/3/2021 w.r.t. proposal of the Deendayal Port Authority for "<u>Fixation of lease rent of Vadinar Land applicable for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022</u>", notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 12 April 2021 vide Gazette No.158.</p> <p>5) DPA Board vide Resolution no. 134 of its meeting held on 10-01-22 has approved to refer the case to Conciliation Settlement Committee for recovery of outstanding License Fee for the period from 16-04-15 (Date of Agreement) to 15-08-2019 (on day prior to date of award of concession) amounting to approx. Rs.50.00 cr.</p> <p>6) The total outstanding amount due from M/s CETL is Rs. 49.57 crs. (Including GST/ST) and the same was communicated to M/s CETL vide letter dated 05/04/2022.</p> <p>7) M/s. COVIVA Energy Terminal Limited has filed a petition in the Hon'ble High Court of Gujarat at</p>

(iii) बीओटी परिचालक का नाम : मैसर्स सीईटीएल (पूर्व में वीएलटीएल)

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
अनुज्ञप्ति शुल्क	कंडला भूमि के दरमान के संशोधन के साथ-साथ संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों पर पीपीपी प्रचालक ने आपति दर्ज की है।	कंडला भूमि के दरमान के संशोधन के साथ-साथ संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों पर पीपीपी प्रचालक ने आपति दर्ज की है।	<p>1) बोर्ड ने 11/9/2020 को हुई अपनी बैठक में संकल्प किया था कि, "दिनांक 29.01.2020 को हुई बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित रु. 203.38/वर्गमीटर/वार्षिक की दर उचित है और इसे टैम्प के अनुमोदन के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु मैसर्स सीईटीएल पर लागू किया जाएगा"</p> <p>2) तदनुसार, मैसर्स सीईटीएल को वाडीनार भूमि के दरमान की अनंतिम दर पर समय-समय पर लंबित मांग-टिप्पणी जारी की गई।</p> <p>3) वाडीनार भूमि के दरमान का प्रस्ताव दिनांक 27/10/2020 को अनुमोदन हेतु टैम्प को भेजा गया। दिनांक 18/12/2020 को संयुक्त सुनवाई हुई।</p> <p>4) "दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए लागू वाडीनार भूमि के पट्टा-किराया के निर्धारण" हेतु दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव से संबंधित टैम्प द्वारा पारित दिनांक 16/3/2021 के आदेश को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग III अनुच्छेद 4) सं.158 द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2021 को अधिसूचित किया गया।</p> <p>5) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 10-01-22 को हुई बैठक में संकल्प सं.134 के अनुसार 16-04-15 (करार की तारीख) से 15-08-2019 (छूट पंचाट की तारीख से पूर्व दिवस) तक बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क राशि लगभग रु.50.00 करोड़ की वसूली करने हेतु समझौता निपटान समिति को मामला संदर्भित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।</p> <p>6) मैसर्स सीईटीएल से देय कुल बकाया राशि रु. 49.57 करोड़ (जीएसटी/एसटी सहित) है और इस संबंध में मैसर्स सीईटीएल को दिनांक 05/04/2022 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।</p> <p>7) मैसर्स कोविवा एनर्जी टर्मिनल लिमिटेड ने संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क को चुनौती देते हुए टैम्प और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के खिलाफ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में एक याचिका दायर की है।</p>

			Ahmedabad against the TAMP & Deendayal Port Authority challenging the revised LF,
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

(iv) Name of BOT Operator: M/s ABGKCTL

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
Royalty & LF	<ul style="list-style-type: none"> • License Agreement executed on 23/06/2006 for the Project of Development, Operation, Management and Maintenance of Berth Nos. 11 & 12 at Kandla Port as Container Terminal on Build, Operate and Transfer (BOT) basis for a period of 30 years • Due to various defaults (technical & financial), DPA issued a Termination Notice to ABGKCTL. M/s. ABGKCTL took the matter to the court, in which, the Hon'ble High Court passed an interim order dated 16/08/2013. • As per the said orders, the berth No. 11 & 12 along with the assets and structures have been taken over by DPA on 27/09/2013 for which, DPA has submitted the FDRs amounting to Rs. 224 cr. in the Court. 	As the Arbitration, proceedings are pending, no counter claim of Rs. 234535 lakhs have been recognised in books of accounts, except to the extent of Rs.2002.98 lakhs.	Arbitration is ongoing. Examination of Witness of DPA is currently undergoing. Mr. Captain Shrinivasan, Ex-DC DPA has been examined and his testimony has been completed. The next witness would be Mr. Mitesh Vora, CA of M/s. Shah & co., The next hearing would be conducted in the month of July-2024.

B. Dues from PSUs & Other Private Parties [OTHER THAN BOT / PPP] - Land Section, CE Department]

The dues outstanding from various PSUs viz. IFFCO, PCL, IOCL and other private parties viz: JRE, IMC, KESSAR & UTTL are Rs. 128.71 crores on account of challenge by parties towards revise rate structure for Kandla Land approved by TAMP vide Notification No. 106 of 11/5/2011 and 350 of 04/12/2014 in the Supreme Court of India after judgement given by the Gujarat High Court and Division Bench of Gujarat High Court.

As per opinion of Shri Ritesh Kumar, Advocate dated: 06.01.2023, DPA can raise invoice based on Category C1 in r/o IOCL, HPCL and BPCL and the rates as requested by IFFCO during the pendency of the SLPs subject any further orders passed by the Supreme Court. Accordingly, the bills are being issued in C1 category presently.

(iv) बीओटी प्रचालक का नाम मैसर्स एबीजीकेसीटीएल

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि, जिन्हें लेखा बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
रॉयल्टी और अनुज्ञप्ति शुल्क	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 23/06/2006 को 30 वर्षों की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन एवं स्थानांतरण (बीओटी) के आधार पर कंटेनर टर्मिनल के रूप में कंडला स्थित घाट सं. 11 और 12 के विकास, परिचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण संबंधी परियोजना हेतु अनुज्ञप्ति करार क्रियान्वित किया गया। विभिन्न प्रकार की चूकों (तकनीकी और वित्तीय) के कारण, प्राधिकरण ने एबीजीकेसीटी को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया। मैसर्स एबीजीकेसीटीएल इस मामले को न्यायालय तक ले गए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 16/08/2013 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। उक्त आदेशों के अनुसार, परिसंपत्तियों और ढांचों सहित घाट सं. 11 और 12 को प्राधिकरण ने दिनांक 27/09/2013 को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके लिए प्राधिकरण ने कोर्ट में रु. 224 करोड़ के जमा रसीदें प्रस्तुत की हैं। 	चूंकि मध्यस्थता कार्यवाहियां लंबित हैं, अतः रु. 2002.98 लाख की सीमा को छोड़ कर लेखा बहियों में रु. 234535 लाख का कोई प्रतिदावा नहीं किया गया है।	मध्यस्थता कार्यवाही जारी है। दीनदयाल पतन प्राधिकरण के गवाहों की जांच चल रही है। श्री कैप्टन श्रीनिवासन, पूर्व उप संरक्षक, प्राधिकरण की जांच की गई और उनकी गवाही पूरी हो गई है। अगले गवाह मैसर्स शाह एंड कंपनी के सी.ए. श्री मितेश वोरा होंगे। अगली सुनवाई जुलाई-2024 के महीने में आयोजित की जाएगी।

ख. सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निजी पार्टियों से बकाया [बीओटी/पीपीपी के अलावा] - भूमि अनुभाग, सीविल अभियांत्रिकी विभाग]

गुजरात उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 11/5/2011 की अधिसूचना सं. 106 और दिनांक 04/12/2014 की अधिसूचना सं. 350 के हवाले से, टैम्प द्वारा स्वीकृत कंडला भूमि के संशोधित दरमान को पार्टियों द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे इफको, पीसीएल, आईओसीएल और अन्य निजी पक्षकारों जैसे जेआरई, आईएमसी, केसर और यूटीटीएल से रु.128.71 करोड़ का बकाया बाकी हैं।

श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता की दिनांक 06.01.2023 की राय के अनुसार, दीनदयाल पतन प्राधिकरण आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के मामले में श्रेणी सी1 के आधार पर चालान जारी कर सकता है और विशेष याचिका के लंबित रहने के दौरान इफको द्वारा अनुरोधित दरों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अन्य आदेश के अधीन चालान जारी कर सकता है। तदनुसार, वर्तमान में बिल सी1 श्रेणी में जारी किए जा रहे हैं।

7. REVENUE FROM PPP PROJECTS

The summary of revenue recognized in the books of accounts is as under: -

All figures in Rs. Lakhs

Name of the PPP Operator	Revenue Booked in		
	FY 2023-24 (Rs. In lakhs)		
	LF	Royalty	Total
KICT	2480.73	2927.38	5408.11
IKBLL	252.76	662.34	884.58
AKBTPL	800.00	7792.93	8592.93
NAYARA	590.51	10659.03	11249.54

* Verification of revenues due from BOT Operators - DPA has appointed M/s. Ashok Chajjed, CA Firms, Ahmedabad, empanelled with the Office of C&AG, as Special Auditors to verify the revenues due to DPA from the BOT projects of (1) AKBTL, (2) KICTL (3) IFFCO Kishan Bazar Logistic Limited and (4) Nayara during the FY 2023-24. Pending receipt of Final Audit Report of such PPP Projects, revenue is recognised based on the certification by the firm in the accounts. If any short claim is noticed by CA, then the same will be recognised on raising the claim and its acceptance by PPP operator.

8. PHYSICAL VERIFICATION OF FIXED ASSETS & INVENTORY

The physical verification of inventory and fixed assets has been carried out through M/s JLN US & Co., Chartered Accountants, Vadodara, who have been awarded the work of Internal Audit of DPA. The action on the observations made by the Internal Auditor and seeking their compliance from the respective Departments of DPA is in hand. In the opinion of the management, there are no indications, internal or external, which could have the effect of impairing the value of the Assets to any material extent as at 31st March, 2024.

9. GRANT-IN-AID

- (A) During the FY 2015-16, DPA received a grant of Rs.375.00 lakhs from Central Government towards Water Spillage Works costing Rs.985.80 lakhs and the cost of this Works is reflected in the balance sheet at Rs.610.80 lakhs. The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.
- (B) During the FY 2021-22, DPA received a grant of Rs.3107.70.00 Lakhs from Central Government towards "Construction and Maintenance of Ro-Ro/Ro-Pax facility at Hazira- Gujarat on EPC mode". The same is accounted by reducing from CWIP as the work is in progress. Financial assistance under Sagarmala Programme is 50% of the total awarded cost amounting to Rs. 34.53 Crore (i.e. 50% of Rs.69.06 Crore). The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.
- (C) During the FY 2022-23, DPA received a grant of Rs. 4123.272 lakhs being 90% of the total awarded cost of Rs. 4581.42 lakhs from Central Government towards "Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat", out of which an amount of Rs. 3496.612 lakhs has been utilised during the current year, leaving balance of Rs. 626.66 lakhs. The same is accounted by reducing from CWIP as the work in progress. Financial assistance under Sagarmala programme is 100% of the total awarded cost amounting to Rs. 4581.42 lakhs. The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.

7. पीपीपी परियोजनाओं से राजस्व

लेखा-बहियों में स्वीकृत राजस्व का सारांश निम्नवत है: -

सभी आंकड़े लाख रुपयों में

पीपीपी प्रचालक का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत किया गया राजस्व		
	(लाख रुपयों में)		
	अनुज्ञप्ति शुल्क	रॉयल्टी	कुल
केआईसीटी	2480.73	2927.38	5408.11
आईकेबीएलएल	252.76	662.34	884.58
एकेबीटीपील	800.00	7792.93	8592.93
नायरा	590.51	10659.03	11249.54

* बीओटी प्रचालकों से देय राजस्व का सत्यापन - प्राधिकरण ने मैसर्स अशोक छाजेड़, सीए फर्म, अहमदाबाद, जो कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के साथ सूचीबद्ध हैं, को विशेष लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (1) एकेबीटीएल, (2) केआईसीटीएल (3) इफको किसान बाजार लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और (4) नायरा की बीओटी परियोजनाओं से दी.प.प्रा को देय राजस्व का सत्यापन करेंगे। ऐसी पीपीपी परियोजनाओं की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित होने तक, खातों में फर्म द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। यदि सीए द्वारा कोई कम दावा देखा जाता है, तो दावा करने और पीपीपी ऑपरेटर द्वारा इसकी स्वीकृति पर इसे मान्यता दी जाएगी।

8. वस्तु-सूची और स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वस्तु-सूची और स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन मैसर्स जेएलएन यूएस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वडोदरा, जिन्हें दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था, द्वारा किया जा रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए प्रेक्षणों पर कार्रवाई तथा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के संबंधित विभागों से उनके अनुपालन की रिपोर्ट मांगने का कार्य चल रहा है। प्रबंधन की राय में, ऐसे कोई आंतरिक या बाह्य संकेत नहीं हैं, जिनसे परिसंपत्तियों के मूल्य 31 मार्च, 2024 तक किसी भी तरह से कम हो सकते हैं।

9. सहायता अनुदान

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को रु. 985.80 लाख की लागत के जल छलकाव-कार्य के लिए केंद्र सरकार से रु. 375.00 लाख का अनुदान मिला था और रु. 610.80 लाख के इस कार्य की लागत को तुलन-पत्र में प्रतिबिंबित किया गया है। सरकार से अनुदान की प्राप्ति संबंधी शेष राशि प्रतीक्षित है।

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को हजीरा-गुजरात में ई. पी. सी. मोड पर रो-रो/रो पैक्स सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण के लिए रु. 3107.70.00 लाख का अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है। चूंकि कार्य प्रगति पर है अतः चालू पूंजी कार्यों से हटाकर इसे लेख में लेखांकित किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल निर्धारित लागत राशि का 50% (अर्थात रु. 69.06 करोड़ का 50%) रु.34.53 करोड़ का वित्तीय अनुदान दिया गया है। अनुदान राशि की शेष राशि की प्राप्ति अभी केन्द्र सरकार से प्रतीक्षित है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार से गुजरात के घोघा रो-रो टर्मिनल के आसपास "एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास ड्रेजिंग" के लिए प्राधिकरण को रु. 4123.272 लाख रुपये की, जो कुल प्रदत्त लागत रु. 4581.42 लाख का 90% है, अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें से चालू वर्ष के दौरान रु.3496.612 लाख का उपयोग किया गया है, तथा शेष राशि रु. 626.66 लाख का कार्य प्रगति पर होने के कारण इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर हिसाब में लिया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता रु. 4581.42 लाख कुल प्रदत्त लागत का 100% है। सरकार से अनुदान की शेष राशि की प्राप्ति प्रतीक्षित है।

(D) During the FY 2023-24, DPA received a grant of Rs. 285.73 lakhs being 1st part of last instalment of 10% of the total funds sanctioned under Sagarmala for the project of Rs. 45,81,42,400 from Central Government towards "Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat, and same has been utilised fully during the current year. The same is accounted by reducing from CWIP as work in progress. MOPS&W vide letter No. SM-25021/49/2016-SM(Sagarmala) (e 319372) dt. 16.03.2024 has approved the Revised cost estimate of Rs. 62.49 crores for the subject project with the condition that the differential cost would be met by DPA from its internal resources.

(E) During the FY 2023-24, DPA has received a grant of Rs. 904.94 lakhs being 1st instalment of financial assistance of Rs. 72.15 crores under Sagarmala scheme, at an estimated cost of Rs. 144.30 crores for the work of "Construction of RO-RO/RO-Pax Ferry services at Muldwarka", out of which an amount of Rs. 816.22 lakhs has been utilised during the current year. An amount of Rs. 2.84 crores has been released by MOSP&W on 21.02.2024, however on 12.03.2024, MOSP&W withdrawn an amount of Rs. 3.73 crores, leaving zero balance with DPA. The same is accounted by reducing from CWIP as work in progress.

10. GST, SERVICE TAX & SALES TAX ISSUES

[A] DISPUTED SERVICE TAX / GST DEMAND OF

Kandla

Sr. No.	Nature of Dispute	Year (s) to which pertains	Amt. in Dispute as on 31.03.2023	Present Status
1	Demand of Interest on delayed payment of Service Tax on bills issued to Lease Land Holders.	2014-15 to 2017-18	Rs.3,04,00,376/- with equivalent amount of penalty & penalty of Rs. 10,000 u/s 77 of Finance Act 1994	Appeal filed before CESTAT, Ahmedabad against the order in original no. KCH-EXCUS-000-COM-24-2020-21 dated 26.02.2021. (Appeal No. ST/10628/2021-CU[DB])
				Final hearing was made on 23.02.2023. Hon'ble bench has reserved the order for pronouncement in due course. The appeal filed by DPA has been admitted by the order dated 23.06.2023 and order of demand has been set aside.
2	Applicability of Service Tax on vacant land for the period 2007 to 2011	2007 to 2011	Rs. 6,94,49,319 with equivalent amount of penalty and applicable interest	Appeal filed before CESTAT, Ahmedabad against the order in original no. Raj-excuse-000-com-133-13-14 dt. 31.10.2013 (Appeal No. ST/10315/2014-DB) Stay application was granted and pre-deposit amount was waived by CESTAT, Ahmedabad.
				(Stay Order No. -M/11479/2014 dt. 25.03.2014)

- (घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण को सागरमाला के तहत स्वीकृत रु.45,81,42,400 की कुल निधियों के 10% की अंतिम किस्त के पहले भाग के रूप में 285.73 लाख रुपये का अनुदान केंद्र सरकार से "घोघा रो-रो टर्मिनल, गुजरात में एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून के आसपास निकर्षण" आदि के लिए प्राप्त हुआ और चालू वर्ष के दौरान इसका पूरा उपयोग किया गया है। इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर प्रगति पर कार्य के रूप में दर्ज किया गया है। पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या एसएम-25021/49/2016-एसएम (सागरमाला) (ई 319372) दिनांक 16.03.2024 के तहत मुख्य परियोजना के लिए रु. 62.49 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि लागत के अंतर की पूर्ति प्राधिकरण द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी की जाएगी।
- (च) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण को सागरमाला योजना के तहत रु.144.30 करोड़ की अनुमानित लागत के "मूलद्वारका में रो-रो/रो-पैक्स फेरी सेवाओं के निर्माण" कार्य के लिए रु. 72.15 करोड़ की वित्तीय सहायता की पहली किस्त के रूप में रु. 904.94 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान रु. 816.22 लाख की राशि का उपयोग किया जा चुका है। पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दि. 21.02.2024 को रु.2.84 करोड़ की राशि जारी की गई, लेकिन 12.03.2024 को मंत्रालय ने रु. 3.73 करोड़ की राशि वापस ले ली, जिससे प्राधिकरण के पास शून्य शेष रह गया। इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर प्रगति पर कार्य के रूप में दर्ज किया गया है।

10. जीएसटी, सेवाकर एवं बिक्री-कर संबंधी मामले

[क] विवादित सेवा-कर/जीएसटी संबंधी मांग

कंडला

क्रम सं.	विवाद की प्रकृति	किस वर्ष से संबंधित है	दिनांक 31-03-2023 तक की विवादित राशि	वर्तमान स्थिति
1	पट्टा भूमि धारकों को जारी किये गये बिलों से संबंधित विलंबित सेवा कर भुगतान पर ब्याज की मांग	2014-15 से 2017-18	वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 77 के अधीन शास्ति की समान राशि सहित रु. 3,04,00,376/- एवं रु.10,000 की शास्ति	दिनांक 26.02.2021 के मूल आदेश सं. केसीएच-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-24-2020-21 के विरुद्ध सीईएसटीएटी, अहमदाबाद में अपील दायर की गई है। (अपील सं. एसटी/10628/2021-सीयू [डीबी]) दि. 23.02.2023 को अंतिम सुनवाई की गई। माननीय पीठ ने नियत समय पर आदेश सुनाने के लिए इसे सुरक्षित रखा है। दिनांक 23.06.2023 के आदेश से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया है और मांग आदेश को रद्द कर दिया गया है।
2	रिक्त भूमि पर 2007 से 2011 की अवधि हेतु सेवा कर का लागू होना	2007 से 2011	शास्ति एवं लागू ब्याज की समान राशि सहित रु. 6,94,49,319	मूल आदेश सं. राज-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम 133-13-14 दिनांक 31.10.2013 के विरुद्ध सीईएसटीएटी, अहमदाबाद के समक्ष अपील दायर की गई। (अपील सं. एसटी/10315/2014-डीबी) रोक के आवेदन को मंजूरी दे दी गई और सीईएसटीएटी, अहमदाबाद द्वारा पूर्व जमा राशि माफ कर दी गई। (स्थगन आदेश सं.-एम /11479/2014 दिनांक 25.03.2014)

				Matter was heard on 06.03.2024. The order has been reserved for pronouncement in due course.
3	Demand of service tax on renting of Immovable property (Reconciliation of income showing in books of accounts with ST-3 return filed by DPA)	April 17 to June 17	Rs. 5,44,71,907	<p>SCN No: Commr/20/2020-21 dated 30.12.2020 was issued.</p> <p>The proceedings against DPA were dropped through order dated 25.04.2022. Department has filed appeal against the said order on 11/10/2022.</p> <p>The order has been passed in favour of DPA on 25.04.2022. The GST department has filed appeal against the above order on 11.10.2022.</p> <p>No notice for hearings issued.</p>
4	Claim of credit mentioned in Form Trans-1	Service Tax to GST transition period	Service Tax for Rs. 27,78,825 with equivalent amount of penalty and interest for Rs. 24,72,165.	<p>Appeal filed before Add. Commissioner (Appeals), Rajkot was rejected.</p> <p>DPA has filed writ petition application which was duly accepted by Gujarat High Court. The hearing for the matter is pending.</p> <p>Write petition application has been admitted by the High Court. Initially, the matter has been listed for hearing on 18.08.2023. However, the hearing got adjourned to 14.12.2023, to 24.01.2024 and to 29.02.2024. At present, the matter has been listed for final hearing on 04.07.2024</p>
5	in the course of GST audit for the year 2019-20, GST authorities has raised observations for the payment of Rs. 2905394.	2019-20	Rs.14,95,632.00	In this case, DPA has made payment of GST liability Rs. 8,26,840.00 and interest 5,82,922.00. DPA has made further submission before GST authorities for dropping demand amounting to Rs. 14,95,632.00 (inclusive of interest)

				दि. 06.03.2024 को मामले की सुनवाई की गई। आदेश को यथासमय सुनाए जाने हेतु सुरक्षित रखा गया है।
3	अचल संपत्ति को किराए पर देने पर सेवाकर की मांग (आय का समाशोधन लेखा बहियों और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा भरी गई एस. टी.-3 विवरणी से)	अप्रैल 17 से जून 17	रु. 5,44,71,907	<p>एससीएनसं.वाणिज्य/20/2020-21 दिनांक 30.12.2020 को जारी की गई थी।</p> <p>दिनांक 25.04.2022 के आदेश के माध्यम से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। विभाग ने उक्त आदेश के खिलाफ 11/10/2022 को अपील दायर की है।</p> <p>दिनांक 25.04.2022 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। जीएसटी विभाग ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ 11.10.2022 को अपील दायर की है।</p> <p>सुनवाई के लिए अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।</p>
4	प्रपत्र ट्रांस -1 में उधार का दावा दर्शाया गया है।	सेवाकर से जीएसटी अंतरण अवधि	रु. 27,78,825/- के सेवाकर पर समान राशि की शास्ति और रु. 24,72,165 का ब्याज	<p>अपर आयुक्त (अपील), राजकोट के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई।</p> <p>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने रिट याचिका दायर की है जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई लंबित है।</p> <p>रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। प्रारंभ में, मामले को 18.08.2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन, सुनवाई 14.12.2023, 24.01.2024 और फिर 29.02.2024 तक स्थगित कर दी गई।</p> <p>वर्तमान में, मामले को 04.07.2024 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।</p>
5	वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने रु. 2905394 के भुगतान पर आपत्ति जताई है।	2019-20	रु.14,95,632.00	इस मामले में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने रु. 8,26,840.00 की जीएसटी देयता और रु. 5,82,922.00 तक के ब्याज का भुगतान किया है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने जीएसटी अधिकारियों के समक्ष रु. 14,95,632.00 (ब्याज सहित) की मांग छोड़ने के लिए दलील प्रस्तुत की है।

OOT - Vadinar :

Sr. No.	Matter	Status
1	Appeal No. ST/341/2012 dated 15/06/2012 & ST/342/2012 dated 15/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> Department demanded deposit of service tax of Rs. 4,04,73,658/- along with interest and penalties. Accordingly stay petitions were filed before CESTAT as advised by advocate Shri Shailesh P Sheth. The CESTAT in its order No. 5/2574-2575/WZB/AHD/2012 dt. 06/12/2012 directed DPA to deposit Rs. 90 lakh and report compliance on 07/02/2013 subject to such compliance being reported, the applications for waiver of pre-deposit of balance amount involved are allowed and recovery thereof stayed till the disposal of appeals. <p>The above appeals came up for final hearing on 26.04.2023 before the Hon'ble Bench of the Tribunal comprising of Shri Ramesh Nair, Member (Judicial) and Shri C. L. Mahar, Member (Technical). I appeared on behalf of the Appellant-company as per the instructions and the department was represented by Shri Ghanshyam Soni, the Ld. AR.</p> <ul style="list-style-type: none"> After hearing both the sides at length, the Hon'ble Bench was pleased to keep the order 'reserved'. Meanwhile, as permitted by the Hon'ble Bench, Shri Shailesh P. Sheth will be filing a Synopsis soon on record and sending copy thereof to the Company
2	Appeal No. ST/11406/2016 dated 11/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> Appeal pending for hearing against order of Principal commissioner, CEC&ST, Rajkot dated 31/03/2016 confirming Service tax amounting to Rs. 81,68,976/- along with Interest and Penalties as Misc. application (MA) Early Hearing (EA) No. 10519 of 2016 was dismissed by the tribunal stating that the issue involved in this appeal is not of recurring in nature warranting out-of-turn hearing of the appeal when the backlogs pertaining to the year 2006 are pending, however main appeal No. 11406 of 2016 is pending for hearing.

[B] DISPUTED SALES TAX REFUND

The following refunds pertaining to Sales Tax are pending with department: -

Brief of Case	Sales Tax Paid Rs. (in Lakhs)	Year	Present Status
Excess Sales Tax deposited on disposal of M D Kutch Vallabh	13.18	1997-98	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
Penalty levied for Sales Tax due for Un-registered Dealer period	57.93	05-08-1985 to 12-11-1991	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
Refund due on account of Cement Purchased from out of Gujarat	13	1991 to 1993	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
	84.11		

अपतट तेल टर्मिनल : वाडीनार

क्र.सं.	मामला	स्थिति
1	अपील सं. एसटी/341/2012 दिनांक 15/06/2012 और एसटी /342/2012 दिनांक 15/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> विभाग ने रु. 4,04,73,658/- का सेवाकर तथा उस पर ब्याज एवं शास्ति जमा करने की मांग की। तदनुसार, अधिवक्ता श्री शैलेश पी शेठ की सलाह के अनुसार सीईएसटीएटी के समक्ष स्थगन याचिकाएं दायर की गईं। सीईएसटीएटी ने अपने आदेश सं. 5/2574-2575/डब्ल्यूजेडबी/एचडी/2012 दिनांक 06/12/2012 में दीनदयाल पल्लन प्राधिकरण को रु. 90 लाख जमा करने और 07/02/2013 को अनुपालन सूचित करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि शेष राशि की पूर्व-जमा संबंधी छूट हेतु आवेदनों को अनुमति हो और अपीलों के निपटान तक इसकी वसूली स्थगित की गई हो। <p>उपर्युक्त अपीलें दिनांक 26.04.2023 को न्यायाधिकरण की माननीय न्यायपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गईं, जिनमें श्री रमेश नायर, सदस्य (न्यायिक) और श्री सी.एल. महार, सदस्य (तकनीकी) को शामिल थे। मैं अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पेश हुआ और विभाग का प्रतिनिधित्व श्री घनश्याम सोनी, एलडी. ए.आर. द्वारा किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> माननीय न्यायपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अपने आदेश को 'सुरक्षित' रखा है। इसी दौरान जैसा कि माननीय न्यायपीठ की अनुमति दी है, श्री शैलेश पी. शेठ जल्द ही रिकॉर्ड पर एक सारांश दाखिल करेंगे और उसकी प्रतिलिपि कंपनी को भेजेंगे।
2	अपील सं. एसटी/11406/2016 दिनांक 11/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य आयुक्त, सीईसी और एसटी, राजकोट के दिनांक 31/03/2016 के ब्याज और शास्ति सहित रु. 81,68,976/- की सेवाकर की राशि की पुष्टि के आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए अपील विविध आवेदन (एमए) के रूप में लंबित है। 2016 की प्रारंभिक सुनवाई (ईए) संख्या 10519 को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जब वर्ष 2006 से संबंधित बैकलॉग लंबित हैं तो इस अपील में शामिल मुद्दा आवर्ती प्रकृति का नहीं है, जो अपील को बिना क्रम के (आउट-ऑफ-टर्न) सुनवाई की गारंटी देता है। लेकिन 2016 की मुख्य अपील सं. 11406 की सुनवाई लंबित है।

(ख) विवादित बिक्रीकर प्रतिदाय

बिक्री कर से संबंधित निम्नलिखित प्रतिदाय विभाग में लंबित हैं:-

मामले का सार	संदर्भ विक्रय कर रु. (लाख में)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
एम. डी. कच्छ वल्लभ के निपटान पर जमा अतिरिक्त बिक्री कर	13.18	1997-98	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
अपंजीकृत डीलर अवधि के लिए बिक्री कर हेतु लगाया गया जुर्माना	57.93	05-08-1985 से 12-11-1991	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
गुजरात के बाहर से सीमेंट खरीदने के कारण प्रतिदाय	13	1991 से 1993	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
	84.11		

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

. As per the revised guidelines on CSR for Major Ports circulated by MOS vide letter no. PD-12019/1/2020-PD-VI-Coord dated 04/03/2020, the funding shall be in the manner as prescribed below:

CSR Budget will be mandatorily created through a Board Resolution as a percentage of net profit in the following manner:

Financial Position of the Port Net Profit (Previous Financial Year)	Expenditure range of CSR in a Financial Year (% of Profit)
(a) less than Rs. 100 crores	3%-5%
(b) Rs. 100 crores to Rs. 500 crores	2%-3% (subject to minimum of Rs. 3 crores)
(c) Rs. 500 crore and above	0.5%-2%

The Net Profit (after tax) of DPA for FY 2022-23 was Rs 1074.64 crores, hence based on the above guidelines the computation of CSR contribution/ budget for the FY 2023-24 is worked out as below:

Net Profit of previous year i.e. 2022-23	Rs. 1074.64 crores
Prescribe range	2%
Proposed contribution	2%
CSR Contribution for the year 2023-24	Rs. 21.49 crores

List of CSR Activities during the Year

1	CSR Works for Improving the facilities of Garden at Sapnanagar, Gandhidham	28,04,542.55
2	Development of School premises of Shri Adipur Group Kanya Shala-Adipur	
3	Development of School premises of Shri Jagjivan Nagar	
4	Development of School premises of Ganeshnagar Govt. High School	
5	Construction of Health Centre at Kidana Village & Renovation of A.P. School, Kandla (Renovation/Repairing of ceiling at School Building at A.P. Vidhyalaya, Kandla.	21,00,652.92
6	CSR activities for development of School premises of Shri Guru Nanak Edu. Society, Gim.	9,12,918.56
7	Procurement of Water Purifier & Cooler for ST. Joseph Hospital, Gandhidham	1,44,953.00
8	CSR work for construction of overhead tank & providing 10 Nos of computers (for students) of Navjivan Viklang Sevashray, Bhachau, Kutch	4,34,000.00

11. निगमित सामाजिक दायित्व

पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 04/03/2020 के पत्र सं.पीडी-12019/1/2020-पीडी-VI-कोऑर्ड द्वारा परिचालित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार महापत्तनों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व वित्तपोषण निम्नवत होगा:-

एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निगमित सामाजिक दायित्व बजट का सृजन अनिवार्यतः शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित रूप से किया जाएगा:

पत्तन की वित्तीय स्थिति शुद्ध लाभ (विगत वित्तीय वर्ष)	एक वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की सीमा (लाभ का %)
(क) रु.100 करोड़ से कम	3%-5%
(ख) रु.100 करोड़ से रु.500 करोड़ तक	2%-3% (न्यूनतम रु. 3 करोड़ के अधीन)
(ग) रु.500 करोड़ और उससे अधिक	0.5%-2%

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का शुद्ध लाभ (कर पश्चात) रुपये 1074.64 करोड़ था, इसलिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व योगदान/बजट की गणना निम्नानुसार की गई है:

गत वर्ष अर्थात् 2022-23 का शुद्ध लाभ	रु. 1074.64 करोड़
निर्धारित सीमा	2%
प्रस्तावित अंशदान	2%
वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व अंशदान	रु. 21.49 करोड़

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों की सूची

1	सपनानगर, गांधीधाम में उद्यान की सुविधाओं में सुधार करने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी कार्य।	28,04,542.55
2	श्री आदिपुर समूह कन्या शाला-आदिपुर के विद्यालय परिसर का विकास।	
3	श्री जगजीवन नगर के विद्यालय परिसर का विकास।	
4	गणेशनगर सरकारी हाई स्कूल के विद्यालय परिसर का विकास।	
5	किडाना गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और ए.पी. स्कूल, कंडला का नवीनीकरण (ए.पी. विद्यालय, कंडला में विद्यालय भवन की छत का नवीनीकरण/अनुरक्षण)।	21,00,652.92
6	श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी, गांधीधाम के विद्यालय परिसर के विकास के लिए निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ।	9,12,918.56
7	सेंट जोसेफ अस्पताल, गांधीधाम के लिए जल शोधन और कूलर का क्रय करने हेतु।	1,44,953.00
8	नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, भचाऊ, कच्छ में ओवरहेड टैंक के निर्माण और 10 कंप्यूटर (छात्रों के लिए) उपलब्ध कराने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व कार्य।	4,34,000.00

9	CSR Activities for providing HD projector for KANYA MAHA VIDYALAYA, Adipur	1,05,113.00
10	Procurement of Automatic Sanitary pad vending machine & incinerator Machine for "CSR Activity for Installation of 125 nos. sanitary pad vending machines at Women's Hostels, NGOs etc. functioning in Kutch districts.	12,12,500.00
11	Procurement of interactive flat panel & laptop part Of CSR Activities for providing facilities in girls Hostel of Kasturba Gandhi Balika Vidhyalay, Gandhidham-Providing smart classroom	3,01,054.24
12	CSR Request for Providing "Antim Yatra Bus" & Mortuary Cabinet Morgue " for Adipur-Gandhidham from CSR Funds, Helpage Mission, Adipur	75000.00
13	Procurement of Furniture for the Shri Galpadar Panchayat Prathmic Kumar Group Sala under CSR work.	419430.00
14	CSR works for Construction of New Building for Setting up of skill development centre at Rajkot (Sewa Bharati Gujarat).	10000000.00
15	CSR works for Ladies Environment Action Foundation Trust (LEAF) for providing Infrastructure to the Primary School at Gandhinagar district	1860000.00
16	CSR works for Ladies Environment Action Foundation Trust (LEAF) for providing Infrastructure to the Primary School at Gandhinagar district.	9,30,000.00
17	CSR Activities for construction of school building for physically disabled, Deaf & Mute Childrens, C.S. Virani School, Rajkot.	2,00,000.00
18	CSR Work for construction of new administrative staff block for the Maitri Maha Vidhyalaya, Adipur	51,72,000.00
19	Financial Support under CSR for providing school bus for "Aadhaar Sankul" Manav Seva Trust, Gandhidham	25,00,000.00
20	Sainik Kalyan Board (Jamnagar & Bhuj)	37,00,000.00
21	Financial assistance under CSR for Rooftop Solar system & Afforestation under clean energy & sustainable development in 10 villages around DPA, SEED Foundation	6,90,000.00
22	Creation of Children Park at Gandhidham Military Station	15,00,000.00
23	CSR Request for Providing "Antim Yatra Bus" & Mortuary Cabinet Morgue " for Adipur-Gandhidham from CSR Funds, Helpage Mission, Adipur	17,50,314.00
24	CSR Request for conducting Awareness campaigns on T.B. Prevention & treatment, R.K. HIV Aids & Care Centre, Mumbai	18,00,000.00
25	CSR request for submitted by AAS, Indore for solid waste	14,98,035.00

9	कन्या महाविद्यालय, आदिपुर के लिए एचडी प्रोजेक्टर उपलब्ध कराने हेतु निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ।	1,05,113.00
10	कच्छ जिला में महिला छात्रावासों, गैर सरकारी संगठनों आदि में 125 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए "निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधि" के तहत स्वचालित सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर मशीन की खरीद।	12,12,500.00
11	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गांधीधाम के बालिका छात्रावास में सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के तहत स्मार्ट कक्षा तैयार करने के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और लैपटॉप की खरीद।	3,01,054.24
12	निगमित सामाजिक दायित्व के तहत हेल्पेज मिशन, आदिपुर को आदिपुर-गांधीधाम के लिए "अंतिम यात्रा बस" और मुर्दाघर के कैबिनेट" प्रदान करने हेतु।	75000.00
13	श्री गलपादर पंचायत प्राथमिक कुमार समूह शाला के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत फर्नीचर की खरीद।	419430.00
14	राजकोट में कौशल विकास केंद्र (सेवा भारती गुजरात) की स्थापना के लिए नए भवन निर्माण का कार्य निगमित सामाजिक दायित्व के तहत किया गया।	10000000.00
15	गांधीनगर जिले में प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए लेडीज एनवायरनमेंट एक्शन फाउंडेशन ट्रस्ट (एलईएफ) के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य किया गया।	1860000.00
16	गांधीनगर जिले में प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए लेडीज एनवायरनमेंट एक्शन फाउंडेशन ट्रस्ट (एलईएफ) के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य किया गया।	9,30,000.00
17	सी.एस. विरानी विद्यालय, राजकोट के शारीरिक रूप से विकलांग, मूक-बधिर बच्चों के लिए भवन के निर्माण हेतु निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ ।	2,00,000.00
18	मैत्री महाविद्यालय, आदिपुर के लिए नए प्रशासनिक स्टाफ ब्लॉक के निर्माण के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य।	51,72,000.00
19	"आधार संकुल" मानव सेवा ट्रस्ट, गांधीधाम के लिए विद्यालय बस उपलब्ध कराने हेतु निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वित्तीय सहायता।	25,00,000.00
20	सैनिक कल्याण बोर्ड (जामनगर और भुज)।	37,00,000.00
21	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, सीड फाउंडेशन के आसपास के 10 गांवों में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के तहत छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली तथा वनरोपण के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत वित्तीय सहायता।	6,90,000.00
22	गांधीधाम सैन्य स्टेशन पर बाल पार्क का निर्माण ।	15,00,000.00
23	निगमित सामाजिक दायित्व के तहत हेल्पेज मिशन, आदिपुर को आदिपुर-गांधीधाम के लिए "अंतिम यात्रा बस" और मुर्दाघर के कैबिनेट" प्रदान करने हेतु।	17,50,314.00
24	आर.के. एचआईवी एड्स एवं केयर सेंटर, मुंबई द्वारा टीबी की रोकथाम एवं उपचार पर जागरूकता अभियान चलाने हेतु निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अनुरोध।	18,00,000.00
25	गांधीधाम और कंडला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य करने हेतु ए.ए.एस., इंदौर द्वारा अनुरोध किया।	14,98,035.00

	Management at Gandhidham & Kandla.	
26	Financial assistance under CSR for providing basic facilities at Gandhidham Bus Station, GSRTC	10,00,000.00
27	CSR Request for fund under CSR for Railway Institute, Gandhidham Western Railway, Marwadi Yuva Manch, Gandhidham.	4,00,000.00
28	CSR Funds for support for Procurement of kitchen Equipment & machineries to Serve Mid day meals To Govt. School children in Bhuj- Kutch, Akshaya Patra Foundation.	22,12,400.00
29	CSR proposal project for Sanitary Pad Making Machine For School Girls, Kutch Seva Trust, Anjar.	11,15,100.00
30	CSR Request for financial Assistance on menstrual Hygiene for girls, TIPKAI, Assam.	8,00,000.00
31	Supply, Installation, testing and commissioning of essential and integral components for the installed 02 nos PSA oxygen units of 1000 LPM capacity each at Sir T Hospital, Bhavnagar	56,54,610.00
32	Admn. expenses of CSR Cell	16,97,157.30
	Total CSR Expenditure	Rs.5,37,84,023.57

CSR fund Status as on 31/03/2024

Particulars	Amount (Rs. In lakhs)
Opening Balance as on 01/04/2023	1716.69
Add; Contribution during the year	2149.00
Less; CSR Expenditure during the year	537.84
Closing balance as on 31/03/2024	3327.85

12. TOWNSHIP REVENUE

As per provisions of clause 5 (ii)/5(ix) and 10 of the Head Lease executed between the President of India and the SRC Ltd. on 28/11/1955, the income for Transfer fee and mortgage fee of plots allotted by SRC Ltd., is booked under revenue of DPA. As regards Transfer Fee the Ministry of Shipping vide letter No. PD-13011/1/2014-PD-IV (Pt.1) dated 18-07-2018, which is self-explanatory, has already confirmed that in light of the agreement entered into between DPA and the lessee the transfer fee can be retained by DPA. On similar analogy Mortgage fees have also been retained by DPA. Also the un-ambiguous provisions of Section 21(b) & 21(d) of the MPA Act, 2021 and the express provisions in the lease agreements also entitle the port to retain all rates, fees, rents & other sums of money.

26	गांधीधाम बस स्टेशन, जीएसआरटीसी पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत वित्तीय सहायता।	10,00,000.00
27	रेलवे संस्थान, गांधीधाम पश्चिम रेलवे, मारवाड़ी युवा मंच, गांधीधाम के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत वित्तीय सहायता।	4,00,000.00
28	अक्षय पात्र फाउंडेशन, भुज-कच्छ में सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के लिए रसोई उपकरण और मशीनरी की खरीद हेतु निगमित सामाजिक दायित्व निधि।	22,12,400.00
29	कच्छ सेवा ट्रस्ट, अंजार की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड बनाने की मशीन के लिए परियोजना हेतु निगमित सामाजिक दायित्व के तहत सहायता ।	11,15,100.00
30	टीआईपीकेआई, असम में लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर निगमित सामाजिक दायित्व के तहत वित्तीय सहायता।	8,00,000.00
31	सर टी. अस्पताल, भावनगर में 1000 एलपीएम क्षमता वाली 02 पीएसए ऑक्सीजन इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक और अभिन्न घटकों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग हेतु निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी कार्य ।	56,54,610.00
32	निगमित सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ का प्रशासनिक व्यय	16,97,157.30
	कुल निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	रु. 5,37,84,023.57

31/03/2024 तक निगमित सामाजिक दायित्व निधि की स्थिति

विवरण	राशि (लाख रूपयों में)
दिनांक 01/04/2023 को अथशेष	1716.69
जोड़ें; वर्ष के दौरान अंशदान	2149.00
घटाएं; वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी व्यय	537.84
दिनांक 31/03/2024 को इतिशेष	3327.85

12. नगरक्षेत्र संबंधी राजस्व

भारत के राष्ट्रपति और एसआरसी लिमिटेड के बीच दिनांक 28/11/1955 को निष्पादित मुख्य पट्टे के खंड 5 (ii)/5(ix) तथा 10 के प्रावधानों के अनुसार एसआरसी लिमिटेड द्वारा आबंटित भूखंडों के अंतरण और बंधक शुल्क संबंधी आय को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के राजस्व के तहत लेखांकित किया जाता है। अंतरण शुल्क के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय के स्वतः स्पष्ट पत्र पीडी-13011/1/2014- पीडी-IV (पार्ट.1) दिनांक 18-07-2018, द्वारा पहले ही पुष्टि की जा चुकी है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और पट्टाधारक के बीच हुए करार के मामले में अंतरण शुल्क दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा जा सकता है। इसी के समान अनुरूपता पर बंधक शुल्क भी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा गया है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 21(ख) और 21(घ) के सुस्पष्ट प्रावधानों और पट्टा करारों के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार पत्तन को यह अधिकार होगा कि सभी दरें, शुल्क, किराए और सभी राशियाँ पत्तन रख सकता है।

13. BOT PROJECTS UNDERTAKEN

Type	Name of Party	Concession Period	Date of Concession Agreement	MGT MMTPA	Status
Berth No.13	RAS Infraport Pvt. Ltd	30 year	15-03-2011	0.375	License agreement terminated and presently Terminal is operated by DPA
Berth No. 15	JRE Infraport Pvt.	30 year	27-09-2011	0.375	Arbitration is going on and is on the final stages. All the disputes are pending adjudication. Presently Terminal is operated by DPA.
Barge Jetty	Iffco Kisan Bazar & Logistics Ltd.	30 years	11-08-2011	1.00	Commercial operation started on 16/11/2013
Bulk Terminal	Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd	30 years	19-12-2012	7.00	Commercial operation started on 10/02/2015
Container Terminal	Kandla International Container Terminal	30 years	12-09-2016	1.8 (Lakh TEUS)	Operation started from Feb, 2017.
Marine Liquid Terminal	Coviva Energy Terminals Limited	30 years	16-08-2019	For SPM 10.15 & For Product Jetty 7	Construction not yet started at project site. CETL requested for Extension up to Aug-2026.
Liquid cargo & ship Bunkering Terminal	Kandla Oil Terminal Pvt. Ltd.	30 years	16.11.2013 11.12.2020 (date of award of concession)	0.85 On 1 st year of operation and from 5 th year 2.37	The concessionaire has ceased construction activity since 05.02.2023. The actual physical progress achieved is 19.48%. All the disputes are pending adjudication.
Development of Container Terminal at Tuna Tekra, Deendayal Port on BOT basis under PPP mode	M/s.Hindusthan Gateway Container Terminal Kandla Private Limited (M/s.HGCTKPL)	30 years	25.08.2023 14.03.2024 (date of award of concession)	031 Mn TEU per annum 1 st year of operation and from 8 th year 1.53 Mn TEU per annum	Upon the fulfilment of the CPs on the part of both parties, the concession for the project awarded by DPA to M/s.HGCTKPL on 14.03.2024. Construction period started from 14.03.2024

14. Capital Contracts awarded but not provided for in the accounts as at 31-03-2024 are as under:

Description	Amount (Rs.in crores)
Capital Works	Rs.231.46

13. प्रारंभ की गई बीओटी परियोजनाएँ

प्रकार	पक्षकार का नाम	छूट अवधि	छूट करार की तारीख	एमजीटी एमएमटीपीए	स्थिति
घाट सं.13	रॉस इन्फ्रा पोर्ट प्रा.लि.	30 वर्ष	15-03-2011	0.375	अनुज्ञप्ति करार समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में टर्मिनल दीनदयाल पतन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित है।
घाट सं. 15	जेआरई इन्फ्रा पोर्ट प्रा.लि.	30 वर्ष	27-09-2011	0.375	मध्यस्थता चालू है और अंतिम चरण में है। सभी विवाद न्यायनिर्णय के लिए लंबित हैं। वर्तमान में टर्मिनल का प्रचालन दीनदयाल पतन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
बजरा जेटी	इफको किसान बाजार और लॉजिस्टिक लि.	30 वर्ष	11-08-2011	1.00	16/11/2013 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ।
बल्क टर्मिनल	अदाणी कंडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लि.	30 वर्ष	19-12-2012	7.00	10/02/2015 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ।
कंटेनर टर्मिनल	कंडला अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल	30 वर्ष	12-09-2016	1.8 (लाख टैड्यू)	परिचालन फरवरी, 2017 से शुरू हुआ।
समुद्री तरल टर्मिनल	कोविवा एनर्जी टर्मिनल लिमिटेड	30 वर्ष	16-08-2019	एसपीएम के लिए 10.15 और उत्पाद जेटी के लिए 7	परियोजना स्थल पर अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सीईटीएल ने अगस्त-2026 तक विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
तरल कार्गो एवं जहाज बंकरिंग टर्मिनल	कंडला ऑयल टर्मिनल प्रा. लिमिटेड	30 वर्ष	16.11.2013 11.12.2020 (छूट प्रदान करने की तिथि)	प्रचालन के प्रथम वर्ष से 0.85 और 5वें वर्ष से 2.37	रियायतग्राही ने 05.02.2023 से निर्माण गतिविधि बंद कर दी है। वास्तविक भौतिक प्रगति 19.48% प्राप्त हुई। सभी विवाद न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं।
पीपीपी के तहत बीओटी आधार पर दीनदयाल पोर्ट के तूणा टेकरा में कंटेनर टर्मिनल का विकास	मैसर्स हिंदुस्तान गेटवे कंटेनर टर्मिनल कंडला प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एचजीसीटीकेपीएल)	30 वर्ष	25.08.2023 14.03.2024 (रियायत प्रदान करने की तिथि)	031 मिलियन टैड्यू प्रति वर्ष संचालन के पहले वर्ष से और 8वें वर्ष से 1.53 मिलियन टैड्यू प्रति वर्ष	दोनों पक्षों की ओर से सी.पी.एस. की पूर्ति होने पर, 14.03.2024 को दी.प.प्रा द्वारा मैसर्स एचजीसीटीकेपीएल को परियोजना के लिए रियायत प्रदान की गई। निर्माण अवधि 14.03.2024 से शुरू हुई है।

14. ऐसे पूंजीगत अनुबंध जो प्रदान किए गए लेकिन 31-03-2024 तक इनकी खातों में प्रविष्टि नहीं की गई, निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
पूंजीगत कार्य	रु.231.46

15. FUNDING STATUS OF SUPERANNUATION & GRATUITY

[I] FUNDING STATUS OF KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND

Mid-term Actuarial Valuation of Regular Employees as on March 2024 Rs. In crore	Corpus Fund as 31-03-2024 Rs. in Crore	Funded Status as on 31-03-2024
171.31	172.8	Fully Funded

[II] FUNDING STATUS OF KANDLA PORT TRUST SUPERANNUATION SCHEME

Actuarial Valuation of Regular Employees as on December 2023	Actuarial Valuation of Pensioners as on December 2023	Total Actuarial Valuation	Corpus Fund as 31-03-2024	Funded Status as on 31-03-2024
1099.50	853.00	1952.5	2293.30	Fully Funded

During the current year an additional provision of Rs. 42.19 crore has been made in respect of employee benefit cost over & above a provision of Rs. 32.32 crore made in previous years based on the report on the Actuaries & Consultants, so that the total liability will stand at Rs.74.51 crores.

The details are as under:

Annexure 1: Funded status of the plan		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Present value of unfunded obligations	-	-
Present value of funded obligations	3,27,007	3,13,598
Fair value of plan assets	(3,19,556)	(3,10,366)
Unrecognized Past Service Cost	-	-
Net Liability (Asset)	7,451	3,232

15. अधिवर्षिता और उपदान संबंधी वित्तपोषण की स्थिति

[I] कंडला पत्तन कर्मचारी उपदान निधि के वित्तपोषण की स्थिति

मार्च 2024 तक नियमित कर्मचारियों का मध्यावधि बीमांकिक मूल्यांकन (करोड़ रु. में)	31-03-2024 तक निधि (करोड़ रु. में)	31-03-2024 को वित्तपोषित स्थिति
171.31	172.8	पूरी तरह से वित्तपोषित

[III] कंडला पत्तन न्यास अधिवर्षिता योजना की वित्तपोषण की स्थिति

दिसंबर 2023 तक नियमित कर्मचारियों का बीमांकिक मूल्यांकन	दिसंबर 2023 तक पेंशनभोगियों का बीमांकिक मूल्यांकन	कुल बीमांकिक मूल्यांकन	31-03-2024 तक निधि	31-03-2024 को वित्तपोषित स्थिति
1099.50	853.00	1952.5	2293.30	पूरी तरह से वित्तपोषित

बीमांककों और परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ लागत के संबंध में रु. 42.19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के रु. 32.32 करोड़ के प्रावधान से अधिक है। इस प्रकार कुल देयता रु. 74.51 करोड़ है।

इसका विवरण इस प्रकार है:

अनुलग्नक 1: योजना की वित्तपोषित स्थिति		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
अवित्तपोषित देयता का वर्तमान मूल्य	-	-
वित्तपोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य	3,27,007	3,13,598
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(3,19,556)	(3,10,366)
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध देयता (संपत्ति)	7,451	3,232

Annexure 2: Profit and loss account for current period		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Current service cost	1,721	1,817
Past service cost	-	-
Interest on obligation	23,520	22,324
Expected return on plan assets	(23,277)	(22,163)
Net actuarial loss/(gain)	2,255	(978)
Loss/(gain) on curtailments and settlement	-	-
Total included in 'Employee Benefit Expense'	4,219	1,000
Total Charge to P&L	4,219	1,000

Annexure 3: Reconciliation of defined benefit obligation		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Opening Defined Benefit Obligation	3,13,598	3,07,924
Current service cost	1,721	1,817
Interest cost	23,520	22,324
Actuarial loss (gain)	4,861	(2,164)
Past service cost	-	-
Loss (gain) on curtailments	-	-
Liabilities extinguished on settlements	-	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(16,693)	(16,303)
Prior year charge	-	-
Closing Defined Benefit Obligation	3,27,007	3,13,598

अनुलग्नक 2 : चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
वर्तमान सेवा लागत	1,721	1,817
विगत सेवा लागत	-	-
देयता पर ब्याज	23,520	22,324
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	(23,277)	(22,163)
शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	2,255	(978)
कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
'कर्मचारी हितलाभ व्यय' में शामिल कुल	4,219	1,000
लाभ एवं हानि पर कुल प्रभारित	4,219	1,000

अनुलग्नक 3: परिभाषित हितलाभ देयता का समाशोधन		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
घोषित हितलाभ देयता अथशेष	3,13,598	3,07,924
चालू सेवा लागत	1,721	1,817
ब्याज लागत	23,520	22,324
बीमांकिक हानि/(लाभ)	4,861	(2,164)
विगत सेवा लागत	-	-
कटौती पर हानि/(लाभ)	-	-
निपटान पर समाप्त देयताएं	-	-
क्रय के स्वरूप में ग्रहण की गई देयताओं का एकीकरण	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय भेद	-	-
लाभ का भुगतान	(16,693)	(16,303)
पूर्व वर्ष शुल्क	-	-
घोषित हितलाभ देयता इतिशेष	3,27,007	3,13,598

Annexure 4: Reconciliation of net defined benefit liability		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Net opening provision in books of accounts	3,232	2,232
Employee Benefit Expense as per Annexure 2	4,219	1,000
	7,451	3,232
Benefits paid by the Company	-	-
Contributions to plan assets	-	-
Closing provision in books of accounts	7,451	3,232

Annexure 5: Composition of the plan assets		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	%	%
Government of India Securities	0.00%	0.00%
State Government Securities	0.00%	0.00%
High quality corporate bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Policy of insurance	100.00%	100.00%
Bank Balance	0.00%	0.00%
Other Investments	0.00%	0.00%
Total	100%	100%

अनुलग्नक 4: शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का समाशोधन		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाख में)	रु. (लाख में)
लेखा बहियों में शुद्ध अथशेष	3,232	2,232
अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	4,219	1,000
	7,451	3,232
कंपनी द्वारा संदत्त लाभ	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों में अंशदान	-	-
लेखा बहियों में इतिशेष	7,451	3,232

अनुलग्नक 5: योजनागत परिसंपत्तियों की संरचना		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	%	%
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.00%	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमा नीति	100.00%	100.00%
बैंक शेष	0.00%	0.00%
अन्य निवेश	0.00%	0.00%
कुल	100%	100%

Annexure 6: Bifurcation of liability as per schedule III		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Current Liability*	7,451	3,232
Non-Current Liability	-	-
Net Liability	7,451	3,232

The current liability is calculated as expected contributions for the next 12 months.

Annexure 7: Table of experience adjustments		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Defined Benefit Obligation	3,27,007	3,13,598
Plan Assets	3,19,556	3,10,366
Surplus/(Deficit)	(7,451)	(3,232)
Experience adjustments on plan liabilities	(4,476)	6,193
Actuarial loss/(gain) due to change in financial assumptions	9,337	(8,357)
Actuarial loss/ (gain) due to change in demographic assumption	-	-
Experience adjustments on plan assets	(2,606)	1,186
Net actuarial loss/ (gain) for the year	2,255	(979)

Annexure 8: Principle actuarial assumptions		
Particulars	31-Mar-2024 (12 months)	31-Mar-2023 (12 months)
Discount Rate	7.25% p.a.	7.50% p.a.
Salary Escalation Rate	7.00% p.a.	7.00% p.a.
Pension Escalation Rate	3.75% p.a.	3.75% p.a.
Expected Rate of Return	7.25% p.a.	7.50% p.a.
Withdrawal Rates	0% at all ages	0% at all ages

अनुलग्नक 6: अनुसूची III के अनुसार देयता का द्विभाजन		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
वर्तमान देयता *	7,451	3,232
वर्तमान से अन्य देयता	-	-
शुद्ध देयता	7,451	3,232

वर्तमान देयता का परिकलन आने वाले 12 महीनों के लिए अपेक्षित अंशदान के रूप में किया जाता है।

अनुलग्नक 7: अनुभव समायोजन तालिका		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
परिभाषित हितलाभ देयता	3,27,007	3,13,598
योजनागत परिसंपत्तियां	3,19,556	3,10,366
अधिशेष/(घाटा)	(7,451)	(3,232)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन	(4,476)	6,193
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	9,337	(8,357)
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	(2,606)	1,186
वर्ष के लिए शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	2,255	(979)

अनुलग्नक 8: प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान		
विवरण	31-मार्च-2024 (12 माह)	31-मार्च-2023 (12 माह)
छूट दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	7.00% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
पेंशन वृद्धि दर	3.75% प्रतिवर्ष	3.75% प्रतिवर्ष
प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
निकासी दर	0% सभी स्तर पर	0% सभी स्तर पर

Table 8 : Bifurcation of Plan Assets	
Particulars	Value of Assets (Crore Rs.)
Balance with LIC as on 31-Mar-2024	2,293.30
Math. Reserve of life annuity component	543.41
Math. Reserve of ROC component	358.03
Total	3,194.74

12. INTERNAL AUDIT

The Ministry of Shipping has directed that the internal audit work is required to be entrusted to independent chartered accountancy firm. Accordingly, in compliance of the same the work of internal audit of DPA has been awarded to M/s JLN US & Co., Chartered Accountants, Vadodara, who carried out the same and action on the reports and compliances are being perused with the respective Departments of DPA.

13. STATISTICAL INFORMATION

The details of the existing staff strength and cost there as is as under: -

A. Employees

Category	Strength	
	2023-24	2022-23
Class – I	73	73
Class – II	48	49
Class – III	744	802
Class –IV	381	429
Shore Workers	46	55
Dock Workers	286	305
Total	1578	1713
Employee Cost (Rs. In lakhs)	23874.95	26609.17

B. Pensioners & Family Pensioners

Category	Numbers	
	31-03-2024	31-03-2023
Pensioners & Family Pensioners	4469	4550

14. MISCELLANEOUS

(a) The figures of previous year have been re-grouped and re-classified, where ever necessary to confirm this year classification.

(b) M/s Ashok Chajjed & Associates, Ahmedabad have been appointed as Tax Auditor for the year 2023-24 to carry out tax audit under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961

(c) The audited accounts of Kandla Port Superannuation Scheme (KPTSS) Trust, Kandla Port Employees Gratuity Fund & Kandla Port Employees Welfare Trust are annexed.

तालिका 8: योजनागत परिसंपत्तियों का द्विभाजन	
विवरण	परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
31-मार्च-2024 तक एलआईसी के पास शेष राशि	2,293.30
जीवन वार्षिकी घटक का गणितिक आरक्षित	543.41
आरओसी घटक का गणितिक आरक्षित	358.03
कुल	3,194.74

12. आंतरिक लेखा परीक्षा

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्देश दिया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म को दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, उसके अनुपालन में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा का उक्त कार्य मैसर्स जेएलएन यूएस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वडोदरा को दिया गया है जिन्होंने लेखापरीक्षा की और उनकी रिपोर्ट तथा अनुपालन पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी की जा रही है।

13. सांख्यिकीय सूचना

वर्तमान कार्मिक क्षमता और लागत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क. कर्मचारी

प्रवर्ग	क्षमता	
	2023-24	2022-23
श्रेणी - I	73	73
श्रेणी - II	48	49
श्रेणी - III	744	802
श्रेणी - IV	381	429
तटीय कामगार	46	55
गोदी कामगार	286	305
कुल	1578	1713
कर्मचारी लागत(रु. लाख में)	23874.95	26609.17

ख. पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी

प्रवर्ग	संख्या	
	31-03-2024	31-03-2023
पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी	4469	4550

14. विविध

- (क) जहाँ कहीं इस वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि किया जाना अनिवार्य है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत और पुनः समूहित किया गया है।
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए कर लेखा परीक्षा करने हेतु मैसर्स अशोक छाजेड़ एंड एसोसिएट्स अहमदाबाद को कर लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।
- (ग) कंडला पत्तन अधिवर्षिता योजना (केपीटीएसएस), कंडला पत्तन कर्मचारी उपदान निधि और कंडला पत्तन कर्मचारी कल्याण न्यास के लेखा परीक्षित लेखे इसके साथ संलग्न हैं।

**KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024**

F.Y 2022-23	LIABILITIES	F.Y 2023-24	F.Y 2022-23	ASSETS	F.Y 2023-24
1,800,634,203	GRATUITY FUND	1,727,951,372	1,746,553,578	INVESTMENTS IN LIC	1662895490
1,800,634,203	TOTAL	1,727,951,372	54,080,625	CASH IN BANK	65055883
			1,800,634,203	TOTAL	1,727,951,372

As per our report of even dated
For Ashok Chhajer & Associates

Chartered Accountants
FRN 10064W

DEEPA BAHROO
M No 122390
Partner

UDIN: 24122390BKAMWF8620
Place : Ahmedabad
Date: 29/05/2024



For Kandla Port Employee
Gratuity Scheme

FA & CAO / TRUSTEE

Place : Gandhidham
Date: 29/05/2024

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि

31 मार्च 2024 को तुलनपत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23	देयताएं	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	परिसंम्पत्तियाँ	वित्तीय वर्ष 2023-24
1,80,06,34,203.00	उपदान निधि	1,72,79,51,372.47	1,74,65,53,578.00	एलआईसी में निवेश	1662895490
			5,40,80,625.00	बैंक में नकद शेष	65055883
1,80,06,34,203	कुल	1,72,79,51,372	1,80,06,34,203	कुल	1,72,79,51,372

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 10064डब्ल्यू

दीपा बाहरू

एम सं. 122390

साझेदार

यूडीआईन: 24122390बीकेएमडब्ल्यूएफ8620

स्थान: अहमदाबाद

दिनांक: 29/05/2024

स्थान: गांधीधाम

दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि हेतु

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY SCHEME
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT**

F.Y 2022-23	EXPENDITURE	F.Y 2023-24	F.Y 2022-23	INCOME	Amount	F.Y 2023-24
230,903,088.00	TO PAYMENT OF GRATUITY	203,160,668	134,798,151	BY INTEREST EARNED		131,329,411
3,972,904.00	TO PREMIUM PAID TO LIC	4,281,840		LIC	129,798,296	
4,030,567.00	TO PRO-RATA PAYMENT			IOB	706	
142,246.00	TO PRO-RATA REFUNDED TO DPA	1,404,021		SBI	1,503,902	
94.00	TO BANK CHARGES	93		By Additional Interest Credited BY LIC due to version change	26,507	
95,250.00	TO FUND CHARGES		4,416,404	BY OTHER RECEIPTS		
			4,595,910	PRO RATA RECEIPTS		791,590
				DEATH CLAIM RECEIVED FROM LIC		4,042,790
	Excess of Income over Expenditure carried over to Gratuity Fund Account		95,333,684	EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME		72,682,831
239,144,149.00	TOTAL	208,846,622	239,144,149	TOTAL		208,846,622

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates

Chartered Accountants

FRN 10064W

DEEPA BAHROO

M No 122390

Partner

UDIN: 24122390BKAMWF8620

Place : Ahmedabad

Date: 29/05/2024



For Kandla Port Employee Gratuity Scheme



Place : Gandhinagar
Date: 29/05/2024

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान योजना
आय एवं व्यय लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23	व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23
23,09,03,088.00	उपदान का भुगतान	20,31,60,668	13,47,98,151.00	अवित्त व्याज द्वारा	13,13,29,411
				एलआईसी	12,97,98,296.18
39,72,904.00	एलआईसी को भुगतान किए गए प्रीमियम	42,81,840		आईओबी	706.00
				एसबीआई	15,03,902.00
40,30,567.00	यथानुपात भुगतान			संस्करण परिवर्तन के कारण एलआईसी ने अतिरिक्त व्याज जमा किया	26,506.97
1,42,246.00	डीपीए को यथानुपात वापसी	14,04,021			
94.00	बैंक शुल्क	-			
95,250.00	निधि शुल्क	93		अन्य प्राप्तियां	
		-	44,16,404.00	यथानुपात प्राप्तियां	7,91,590
			45,95,910.00	एलआईसी से प्राप्त मृत्यु दावे	40,42,790
	व्यय से अधिक आय का उपदान निधि खाते में अंतरण	-	9,53,33,684.00	आय से अधिक व्यय	7,26,82,831
23,91,44,149.00	कुल	20,88,46,622	23,91,44,149.00	कुल	20,88,46,622

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

अशोक छाजेड एवं एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 10064डब्ल्यू

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना हेतु

दीपा बाहरू

एम सं. 122390

साझेदार

यूईआईएन: 24122390बीकेएमडब्ल्यूएफ8620

स्थान: अहमदाबाद

दिनांक: 29/05/2024

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यायी

स्थान: गांधीधाम

दिनांक: 29/05/2024

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY SCHEME
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24**

F.Y 2022-23	RECEIPTS	F.Y 2023-24	F.Y 2022-23	PAYMENTS	F.Y 2023-24
	OPENING BALANCE			GRATUITY PAID TO PENSIONER	
56,828,609	With State Bank of India	54,055,226	230,903,083		203,160,668
24,802	With Indian Overseas Bank	25,399			
1,639,114,476	Investment with LIC	1,746,580,085		RECOVERIES FROM GRATUITY	
			50,468	Paid to DPA	
	INTEREST EARNED			Paid to KPTSS	
133,405,552	From LIC	129,798,296			
				Maturity value of Policy No 710002134 redeposited with LIC in new policy version 710003763	
692	From IOB	706	41,190,266		
1,391,907	From SBI	1,503,902			
	RECEIPTS FROM LIC			PAYMENTS TO LIC	
231,327,288	Gratuity Claims	213,482,893	231,327,288	Claim paid from LIC	213,482,893
4,595,910	Death Claim Received	4,042,790	3,973,965	Premium and charges	4,281,840
46,646,352	LIC Premium credited to corpus			Fund Charges debited from Policy fund	
				Initial Contribution to LIC	
			5,455,026	Initial Contribution in respect of officers Transferred	
			95,250	Fund Mgt & Other Charges	
4,416,404	Pro-Rata Gratuity Receipts from Other Ports	791,590	4,030,567	Pro-rata Gratuity remitted to Other Ports	1,404,021
			142,246	Pro-rata Gratuity refunded to DPA	
50,468	RECEIPTS FROM DPA		94	Bank Charges	93
	Recovery of Overpayments on behalf of DPA				
	Maturity value of Policy No 710002134 received from LIC				
41,190,266	Overpayment Of Gratuity remitted by KPTSS			CLOSING BALANCE	
			54,055,226	With State Bank of India	65,029,872
	Recovery of overpayment on behalf of KPTSS		25,399	With Indian Overseas Bank	26,011
			1,787,743,843	INVESTMENT WITH LIC	1,662,895,490
2,358,992,726	TOTAL	2,150,280,888	2,358,992,726	TOTAL	2,150,280,888

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W

DEEPA BAHROO
M.No 122390
Partner
UDIN: 24122390BKAMWF8620
Place : Ahmedabad
Date: 29/05/2024

For Kandla Port Employee Gratuity Scheme



कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान योजना
वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त एवं भुगतान सेवा

वित्तीय वर्ष 2022-23	प्राप्तियां	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2023-24
अप्रैल से			23,09,03,088.00	चैतन से भुगतान किया गया उपदान	20,31,60,668.00
5,68,28,609.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास	5,40,55,226.17			
24,802.00	इंडियन ओवरसीज बैंक के पास	25,399.19			
1,83,91,14,476.00	एलआईसी में निवेश	1,74,65,80,085.00		उपदान से बचो	
			50,468.00	डीएफ को भुगतान	-
	अतिरिक्त ब्याज			केन्द्रीय सरकार को भुगतान	-
13,34,05,552.00	एलआईसी से	12,97,98,296.18			
692.00	इंडियन ओवरसीज बैंक से	706.00	4,11,90,266.00	नई वॉलेटी संस्करण 710003763 में वॉलेटी सं. 710002134 का परिपक्वता मूल्य एलआईसी को पुनः उधार किया गया	-
13,91,907.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	15,03,902.00			
	एलआईसी से प्राप्तियां			एलआईसी को भुगतान	
23,13,27,288.00	उपदान के दावे	21,34,82,893.00	23,13,27,288.00	एलआईसी से दावे का भुगतान	21,34,82,893.00
45,95,910.00	पावर मूल्य दावे	40,42,790.00	39,73,965.00	भूमिगत और धारा	42,81,840.00
4,66,46,352.00	एलसी प्रीमियम लिमि में उधार किया	-		वॉलेटी लिमि से लिमि धारा के जमा	-
				एलआईसी में प्रत्येक अंशदान	-
			54,55,026.00	स्वान्तर्गत अधिकारियों के संबंध में वार्षिक अंशदान	-
			95,250.00	लिमि प्रबंधन और अन्य धारा	-
44,16,404.00	अन्य पदों से प्राप्त ब्याजमुक्त उपदान प्राप्तियां	7,91,590.00	40,30,567.00	अन्य पदों को ब्याजमुक्त उपदान शीघ्र किया	14,04,021.00
			1,42,246.00	प्रतिपक्ष को ब्याजमुक्त उपदान वापस किया	-
50,468.00	प्रतिपक्ष से प्राप्तियां	-	94.00	बैंक धारा	93.07
	प्रतिपक्ष की ओर से अतिरिक्त भुगतान की बचो				
4,11,90,266.00	एलआईसी से पावर वॉलेटी सं.710002134 का परिपक्वता मूल्य	-		इतिरिक्त	
	केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र उपदान का अधिक भुगतान	-	5,40,55,226.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6,50,29,872.17
	केन्द्रीय सरकार की ओर से अधिक भुगतान की बचो	-	25,399.00	इंडियन ओवरसीज बैंक	26,010.79
			1,78,77,43,843.00	एलआईसी में निवेश	1,66,28,95,489.51
2,35,89,92,726.00	कुल	2,15,02,80,887.54	2,35,89,92,726.00	कुल	2,15,02,80,887.54

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

अधिकृत छात्रों एवं छात्रावास के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एलआईसी 100648888

डीएफ बाहर

एन सं. 122390

साक्षर

वृद्धिआईसी-24122390411एलआईसीएलआईसी8820

स्थान: अद्वैतबाद

दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना हेतु

लिमि बलाधिकार एवं मुद्रण सेवा अधिकारी एवं न्यायी

स्थान: गोपीधाम

दिनांक: 29/05/2024

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND
KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY FUND ACCOUNT
AS ON 31-03-2024

AMOUNT 2022-2023	PARTICULARS	AMOUNT 2023-24
1,895,967,887	Opening Balance	
	Add:	
	Excess of Income over Expenditure carried over to Gratuity Fund Account	1,800,634,203
1,895,967,887		
	LESS	
95,333,684	Excess of Expenditure over Income carried over to Gratuity Fund Account	1,800,634,203
1,800,634,203	CLOSING BALANCE carried over to Balance Sheet	72,682,831
		1,727,951,372
1,895,967,887	TOTAL	1,800,634,203

As per our report of even dated
For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W

DEEPA BAHROO

M No 122390


Partner

UDIN: 24122390BKAMWF8620

Place : Ahmedabad

Date: 29/05/2024

For Kandla Port



Place : Gandhinagar
Date: 29/05/2024

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि
31-03-2024 को कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान निधि लेखा

राशि 2022-2023	विवरण	राशि 2023-24
1,89,59,67,887.00	अथशेष	1,80,06,34,203.00
	जोड़ें:	
	व्यय से अधिक आय को उपदान	
	निधि खाते में डाला गया	-
1,89,59,67,887.00		1,80,06,34,203.00
	घटाएं	
	आय से अधिक व्यय को उपदान	
9,53,33,684.00	निधि खाते में डाला गया	7,26,82,830.92
1,80,06,34,203.00	तुलनपत्र में इतिशेष को समहित किया गया	1,72,79,51,372.08
1,89,59,67,887.00	कुल	1,80,06,34,203.00

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 10064डब्ल्यु

दीपा बाहरू
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईन: 24122390बीकेएमडब्ल्युएफ8620
स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि हेतु

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 29/05/2024

KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY FUND (KPTEGF)**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS OF KPTEGF****1. Basis of Preparation of Financial Statements of KPTEGF**

Cash basis of accounting is followed in the preparation of financial statement of Gratuity fund.

2. Contribution to KPTEGF

Based on actuarial valuation contribution to Gratuity fund is made.

3. Investment of KPTEGF

The investment of KPTEGF comprises of

- (a) Investment Group Gratuity Scheme of LIC of India, Rajkot bearing nos. 710003763, 710003617, 710003184, 707024.
- (b) Balance held with State Bank of India, Gandhidham & Indian Overseas Bank Gandhidham to finance the day to day obligation.



कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी उपदान निधि (केपीटीईजीएफ)

केपीटीईजीएफ के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. केपीटीईजीएफ के वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

उपदान निधि के वित्तीय विवरण को तैयार करने में लेखांकन के नकद आधार का पालन किया जाता है।

2. केपीटीईजीएफ को अंशदान

उपदान निधि में अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

3. केपीटीईजीएफ का निवेश

केपीटीईजीएफ के निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) भा.जी.बी.निगम, राजकोट की निवेश समूह उपदान योजना, जिनका क्रमांक -710003763, 710003617, 710003184, 707024 है।

(ख) दिन-प्रतिदिन के देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, गांधीधाम और इंडियन ओवरसीज बैंक गांधीधाम के पास जमा शेष रखा गया है।

**KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2024**

46

Amount 2022-23	LIABILITIES	Amount 2023-24	Amount 2022-23	ASSETS	Amount 2023-24
33,587,310,575	SUPERANNUATION FUND	34,247,768,743	10,525,524,846	ANNUITY FROM LIC	10,085,828,514
				ANNUITY FROM LIC	10,525,524,846
				Add: New Annuity Purchase	
				Sub Total	10,525,524,846
				Less: Annuity Written Off	439,696,332
			199,448,893	ANNUITY FROM SBI LIFE	187,287,822
				Less: Annuity Written Off	12,161,071
			21,820,676,868	CORPUS FUND WITH LIC	22,933,042,756
				INCOME TAX :-	
				A.Y. 2017-18	257,798,598
				A.Y. 2016-17	248,851,940
				A.Y. 2015-16	5,862,153
				A.Y. 2015-16	183,192,154
				A.Y. 2014-15	15,953,666
				A.Y. 2014-15	118,977,496
				A.Y. 2013-14	62,336,120
				A.Y. 2012-13	53,481,430
				A.Y. 2014-15	1,604,475
				A.Y. 2011-12	37,827,520
				A.Y. 2010-11	21,095,290
				A.Y. 2009-10	14,226,920
				A.Y. 2008-09	6,576,500
			1,033,410,042	A.Y. 2007-08	5,625,780
				CASH IN BANK :-	
			6,396	Balance with IOB	6,414
			8,243,530	Balance with State Bank of India	8,193,195
33,587,310,575	TOTAL	34,247,768,743	33,587,310,575	TOTAL	34,247,768,743

For Kandla Port Superannuation Scheme

As Per Our Report Of Even Date

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 100641W



Deepa Bahroo
Partner
UDIN:24122390BKAMWG9564
Place : Gandhidham
Date : 29/05/2024

FA & CAO & TRUSTEE



Date : 29/05/2024

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र

राशि 2022-23	देवताएं	राशि 2023-24	राशि 2022-23	परिसंपत्तियां		राशि 2023-24
33,58,73,10,575.00	अधिवर्षिता तिथि	34,24,77,68,743.48	10,52,55,24,846.00	एलआईसी से वार्षिकी		10,08,58,28,514.00
				एलआईसी से वार्षिकी	10,52,55,24,846.00	
				जोड़े-आई वार्षिकी खाते	-	
				उप योग	10,52,55,24,846.00	
				घटाएं- वार्षिकी बड़े खाते	43,96,96,332.00	
			19,94,48,893.00	एलबीआई लाइफ से वार्षिकी	19,94,48,893.00	18,72,87,822.00
				घटाएं-वार्षिकी बड़े खाते	1,21,61,071.00	
			21,82,06,76,868.00	एलआईसी से कॉर्पस तिथि		22,93,30,42,756.38
				आय कर :-		
				निर्धारण वर्ष 2017-18	25,77,98,598.00	
				निर्धारण वर्ष 2016-17	24,88,51,940.00	
				निर्धारण वर्ष 2015-16	58,62,153.00	
				निर्धारण वर्ष 2015-16	18,31,92,154.00	
				निर्धारण वर्ष 2014-15	1,59,53,666.00	
				निर्धारण वर्ष 2014-15	11,89,77,496.00	
				निर्धारण वर्ष 2013-14	6,23,36,120.00	
				निर्धारण वर्ष 2012-13	5,34,81,430.00	
				निर्धारण वर्ष 2014-15	16,04,475.00	
				निर्धारण वर्ष 2011-12	3,78,27,520.00	
				निर्धारण वर्ष 2010-11	2,10,95,290.00	
				निर्धारण वर्ष 2009-10	1,42,26,920.00	
				निर्धारण वर्ष 2008-09	65,76,500.00	
			1,03,34,10,042.00	निर्धारण वर्ष 2007-08	56,25,780.00	1,03,34,10,042.00
				बैंक में रेकडू:-		
			6,396.00	आईओबी में शेष राशि		6,413.81
			82,43,530.00	भारतीय स्टेट बैंक में शेष राशि		81,93,195.39
33587310575	कुल	34247768743.48	33,58,73,10,575.00	कुल		34247768743.58

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेंड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 100641डब्ल्यू

दीपा बाहरु
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईन: 24122390बीकेएमडब्ल्यूजी9564
स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना के लिए

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 29/05/2024

**KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24**

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24						
2022-23		2023-24		2022-23		2023-24
Rs.		Rs.		Rs.		Rs.
RECEIPTS				PAYMENTS		
Opening Balance with Banks				Payment to pensioners		
(a) With Union Bank of India, Gandhidham		6,396		Pro rata pension contribution paid to other ports		
6,219		8,243,530				
6,602,449		21,820,676,868				
Investment in Corpus Fund with LIC						
Interest Earned		177		164,478,135		127,167,708
(a) On Union Bank Gandhidham		264,221		740,000,000		852,500,000
442,195		1,705,157,440				159
1,591,568,040				Bank Charges		
708,456,309		678,627,382				
21,038,256		20,336,348		CLOSING BALANCE:		
288,012,259		391,239,683				6,414
164,478,135		127,167,708		6,396		8,193,495
740,000,000		852,500,000		8,243,530		
Amount withdrawn from LIC Corpus fund		799,986				
1,360,804		1,883,368		Investment in LIC		22,933,042,756
14,120,392		11,000				
Pro-Rata Pension Received						
Excess FMA						
</						

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

2022-23 रु.	प्राप्तियां	2023-24 रु.	2022-23 रु.	भुगतान	2023-24 रु.
	बैंकों में अग्रशेष :			पेंशनभोगियों को भुगतान	1,68,60,03,875.00
6,219.00	(क) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गांधीधाम में	6,396.11	1,63,67,63,190.00	अन्य पतनों को प्रदत्त यथानुपात पेंशन अंशदान	-
66,02,449.39	(ख) भारतीय स्टेट बैंक में	82,43,530.39			
20,84,55,74,704.00	भारतीय जीवन बीमा निगम में निधि में निवेश	21,82,06,76,868.00			
	अर्जित ब्याज				
177.00	(क) यूनियन बैंक, गांधीधाम	177.00	16,44,78,135.00	पेंशनभोगियों को संदत्त सराशीकरण	12,71,67,708.00
4,42,195.00	(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,64,221.00	74,00,00,000.00	एलआईसी से प्राप्त कॉर्पस भुगतान	85,25,00,000.00
1,59,15,68,040.00	(ग) एलआईसी में कॉर्पस निधि	1,70,51,57,440.22		बैंक प्रभार	159.40
70,84,56,309.00	एलआईसी ऑफ इंडिया से अदा वार्षिकी	67,86,27,382.00			
2,10,38,256.00	एसबीआई लाइफ से अदा वार्षिकी	2,03,36,348.00			
28,80,12,259.00	एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा क्रय मूल्य वापसी	39,12,39,683.00		इतिशेष:	
16,44,78,135.00	एलआईसी ऑफ इंडिया से प्राप्त सराशीकरण	12,71,67,708.00			
74,00,00,000.00	एलआईसी कॉर्पस निधि से आहरित राशि	85,25,00,000.00	6,396.00	यूनियन बैंक	6,413.81
13,60,804.00	अधिक पेंशन वापस प्राप्त	7,99,986.00	82,43,530.39	एसबीआई बैंक	81,93,195.39
1,41,20,392.00	यथानुपात प्राप्त पेंशन	18,83,368.00		एलआईसी में निवेश	22,93,30,42,756.38
-	अतिरिक्त एफएमए	11,000.00	21,82,06,76,868.00		
24,38,16,59,939.39		25,60,69,14,107.72	24,38,16,59,939.39		25,60,69,14,107.98

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

अशोक छाजेंड एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 100641डब्ल्यू

दीपा बाहरू

एम सं. 122390

साझेदार

यूडीआईन: 24122390बीकेएमडब्ल्यूजी9564

स्थान: गांधीधाम

दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना के लिए

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम

दिनांक: 29/05/2024

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

AMOUNT 2022-23	INCOME	AMOUNT 2023-24	AMOUNT 2022-23	EXPENDITURE	AMOUNT 2023-24
1,592,010,412	Interest Earned	1,705,421,838	1,636,763,190	Payment to Pensioners	1,686,003,875
708,456,309	Monthly Annuity Pay Out from LIC	678,627,382	337,877,687	Annuity Purchase Price Written Off	451,857,403
21,038,256	Monthly Annuity Pay Out from SBI Life	20,336,348	11,491,820	Pro Rata Pension paid	
1,360,804	Pension Received Back (Excess Payment Recovered)	799,986		Excess Annuity payout adjusted by LIC from ROC in r/o expired pensioners	
14,120,392	Pro-Rata Pension Contribution Received from other Ports	1,883,368	4,311,082	PP of Annuities closed = Rs.394352932 less PP refunded by LIC =Rs.391239583	3,113,249
292,323,341	Return of Corpus by LIC in respect of Expired Pensioners	394,352,932		Bank Charges	159
-	Excess of Expenditure over Income carried over to Superannuation Fund A/C.	-	638,865,735	Excess Gratuity recovered & remitted to KPTEGF	
-	Excess FMA	11,000		Excess of Income over Expenditure carried over to Superannuation Fund	660,458,168
2,629,309,514	TOTAL	2,801,432,854	2,629,309,514	TOTAL	2,801,432,854

As Per Our Report Of Even Date

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 100641W

Deepa Bahroo
M.No. 122390
Partner
UDIN:24122390BKAMWG9564
Place : Gandhidham
Date : 29/05/2024



For Kandla Port Superannuation Scheme

FA & CAO & TRUSTEE



Place : Gandhidham
Date : 29/05/2024

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
वर्ष 2023-24 के लिए आय और व्यय लेखा

राशि 2022-23	आय	राशि 2023-24	राशि 2022-23	व्यय	राशि 2023-24
1,59,20,10,412.00	अर्जित ब्याज	1,70,54,21,838.22	1,63,67,63,190.00	पेंशनभोगियों को भुगतान	1,68,60,03,875.00
70,84,56,309.00	एलआईसी द्वारा वार्षिकी भत्ते का मासिक भुगतान	67,86,27,382.00	33,78,77,687.00	वार्षिकी क्रय मूल्य को बट्टे खाते में डालना	45,18,57,403.00
2,10,38,256.00	एसबीआई लाईफ द्वारा वार्षिकी भत्ते का मासिक	2,03,36,348.00	1,14,91,820.00	यथानुपात पेंशन भुगतान	-
13,60,804.00	पेंशन की वापस प्राप्ति (अधिक भुगतान की वसूली)	7,99,986.00	43,11,082.00	एलआईसी द्वारा मृत पेंशनभोगियों के संदर्भ में निधि की वापसी से अधिक वार्षिकी के भुगतान का समायोजन किया गया। बट्ट वार्षिकी का क्रय मूल्य = रु.394352932 घटाएं एलआईसी द्वारा खरीद धनवापसी =रु.391239683	31,13,249.00
1,41,20,392.00	अन्य पतनों से प्राप्त यथानुपात पेंशन अंशदान	18,83,368.00		बैंक प्रभार	158.74
29,23,23,341.00	एलआईसी से मृत पेंशनरों से सम्बंधित निधि की	39,43,52,932.00		अतिरिक्त उपदान की वसूली की गई और केपीटीईजीएफ को प्रेषित की गई	-
-	आय से अधिक व्यय को अधिवर्षिता निधि लेखा में ले जाया गया।	-	63,88,65,735.00	व्यय से अधिक आय को अधिवर्षिता निधि में ले जाया गया	66,04,58,168.48
-	अतिरिक्त एफएमए	11,000.00			
2,62,93,09,514.00	कुल	2,80,14,32,854.22	2,62,93,09,514.00	कुल	2,80,14,32,854.22

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेंड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन 100641डब्ल्यू

दीपा बाहरू
एम सं. 122390

साझेदार
यूडीआईन: 24122390बीकेएमडब्ल्यूजी9564
स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 29/05/2024

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना के लिए

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 29/05/2024

KANDLA PORT TRUST SUPERANNUATION SCHEME (KPTSS)**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS OF KPTSS****1. Basis of Preparation of Financial Statements of KPTSS**

Cash basis of accounting is followed in the preparation of financial statement of Superannuation fund.

2. Contribution to Superannuation Fund

Based on actuarial valuation contribution to Superannuation fund is made.


3. Investment of KPTSS

The investment of KPTSS comprises of

- (a) Investment in Corpus fund maintained with LIC of India, Rajkot
- (b) Annuities in respect of retired employee purchase through LIC of India & SBI Life.
- (c) Balance held with State Bank of India, Gandhidham & Union Bank Gandhidham to finance the day to day obligation.

4. Income Tax

The amount paid to Income Tax Department for the assessment year 2006-07 till 2017-18 has been shown in balance sheet as recoverable on the presumption that the appeal filed before Hon'ble Gujarat High Court /ITAT/CIT(Appeals) will be decided in favour of trust and accordingly the same shall be adjusted against the future contribution payable by DPT.



कंडला पत्तन न्यास अधिवर्षिता योजना (केपीटीएसएस)

केपीटीएसएस के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. केपीटीएसएस के वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अधिवर्षिता निधि के वित्तीय विवरण को तैयार करने में लेखांकन के नकद आधार का पालन किया गया है।

2. अधिवर्षिता निधि में अंशदान

अधिवर्षिता निधि में अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

3. केपीटीएसएस का निवेश

केपीटीएसएस के निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, राजकोट के पास रखी गई निधि में निवेश ।

(ख) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वार्षिकी की खरीद भारतीय जीवन बीमा निगम और एसबीआई लाइफ से की गई।

(ग) दिन-प्रतिदिन की देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, गांधीधाम और यूनियन बैंक गांधीधाम के पास रखी जमा राशि।

4. आयकर

आकलन वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक आयकर विभाग को भुगतान की गई राशि को तुलनपत्र में इस संभावना के साथ वसूली योग्य दिखाया गया है कि आईटीएटी/सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर अपील का फैसला न्यास के पक्ष में होगा और तदनुसार वह दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा भविष्य के देय अंशदान के साथ समायोजित किया जाएगा।



DEENDAYAL PORT AUTHORITY

**SEPARATE AUDIT REPORT FOR THE YEAR
2023-24 WITH ACTION TAKEN REPORT
ON AUDIT OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT**



दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा तथा लेखा
परीक्षा रिपोर्ट और तत्संबंधित करवाई से
सम्बंधित टिप्पणियाँ

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Deendayal Port Authority for the year ended 31 March 2024.

Para of the SAR	Action taken Notes
<p>We have audited the attached Balance Sheet of the Deendayal Port Authority (DPA) as at 31 March 2024 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 44 (2) of the Major Port Authority Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Port's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.</p> <p>2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.</p> <p>3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.</p> <p>4. Based on our audit, we report that:</p> <p>(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except those which are specifically referred in this report.</p> <p>(ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustee under Section 44 (1) of the Major Port Authority Act, 2021</p> <p>(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the DPA as required under Section 44 (1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books.</p> <p>(iv) We further report that:</p>	<p>Factual position :</p>

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेख से संबंधित भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखापरीक्षा संप्रेक्षण	अनुवर्ती कार्यवाई संबंधी टिप्पणियां
<p>महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44 (2) के साथ पठित नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन हमने 31 मार्च 2024 को के अनुसार दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेख की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पत्तन के प्रबंधतंत्र पर है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय प्रकट करना है।</p> <p>2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धति की समनुरूपता, लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानों आदि से संबंधित लेखाकरण अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों तो, निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं ।</p> <p>3. हमने साधारणतया भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम ऐसी योजना बनाते हुए लेखा परीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथन से मुक्त है अथवा नहीं। किसी भी लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर राशि को समर्थन देने वाले साक्ष्यों का परीक्षण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन निहित हैं । एक लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराती है । .</p> <p>4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:</p> <p>(i) हमने वे सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी हमें सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यकता थी सिवाय उनके जिन्हें इस रिपोर्ट में विशेष रूप से संदर्भित किया गया है।</p> <p>(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 (1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं</p> <p>(iii) हमारी राय में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन यथाअपेक्षित समुचित लेखा बहियों तथा अन्य संबद्ध अभिलेखों का रख-रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा उक्त बहियों का परीक्षण करने पर पाया गया ।</p> <p>(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :</p>	<p>वास्तविक स्थिति है।</p>

A. Comments on financial position	
Investments: ₹4,799.43 crore (Schedule IV)	
<p>In Schedule 4 – Investments, the Port has disclosed the entire investments against General Reserve. It does not disclose the corresponding investments against particular Reserves like, Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernization, Reserve for Development Repayment of Loans & Contingencies, Infrastructure Reserve which was being followed till 2022-23.</p> <p>Statutory Reserves of ₹238.45 crore include 3% Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernization amounting to ₹118.39 crore and 3% Reserve for Development Repayment of Loans & Contingencies amounting to ₹120.06 crore. These reserves respectively include ₹1.40 crore and ₹1.52 crore being the interest allocated in the year 2023-24 out of the total interest earned by the Port on its investments during the period 2023-24. Schedule No.5 – Current Assets discloses a short term investment of ₹38.15 crore against the Statutory Reserves. However, the Schedule No.4 – Investments does not disclose the balance investment of ₹200.30 crore (₹238.45 crore - ₹38.15 crore) against the Statutory Reserves by way of earmarking from the General Reserve Investments</p>	<p>Overall Investments of Deendayal Port Authority consists of Investments against Reserve Funds also and have been classified accordingly in the books of accounts as per consistent practice.</p> <p>However, observation of Audit is noted and earmarking of Investments shall be made henceforth.</p>
B. Comments on Profitability	
Profit & Loss Accounts	
Income	
Estate Rentals (Schedule IV)- ₹349.09 crore	
<p>The above includes an amount of ₹135.52 crore in respect of the invoices for Annual lease rent for Land at Kandla issued to 101 parties. The whole amount was accounted by DPA as Income for the year 2023-24. However, this also includes an amount of ₹56.78 crore being the proportionate Estate Rentals for the year 2024-25.</p> <p>This has resulted in understatement of Current Liabilities (Income received in Advance) and overstatement of Income by ₹56.78 crore. Consequently, Surplus is also overstated to that extent.</p>	<p>As per consistent practice, lease Rental income is booked in accounts on the basis of invoices raised during the year irrespective of the periodicity of the lease period.</p> <p>However, observation of audit has been noted and shall be complied with effect from FY 2024-25.</p>
C. General	
Summary of Significant accounting policies for the year ended 31 March 2024	
C.1 Cash Flow Statement	
<p>Paragraph 2 (General Information and Statement of Compliance) under the Summary of Significant Accounting policies for the year ended 31 March 2024 states that the financial statements of DPA have been prepared based on the revised accounting policy as set out in the recommendation</p>	<p>Preparation of Cash Flow Statement as per AS 3 has been proposed in the Common Framework for Financial Reporting (CFFR) as per Major Port Authorities Act, 2021 and shall be followed upon implementation</p>

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ	
निवेश: ₹ 4,799.43 करोड़ (अनुसूची IV)	
<p>अनुसूची 4 - निवेश, पतन ने सामान्य आरक्षित के नामे संपूर्ण निवेश का प्रकटन किया है। विशेष आरक्षित के नामे जैसे कि प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित, ऋणों और आकस्मिकताओं के विकास पुनर्भुगतान के लिए आरक्षित, अवसंरचनात्मक ढांचे के आरक्षित संबंधित निवेश का प्रकटन नहीं किया गया है, जिसका पालन 2022-23 तक किया जा रहा था।</p> <p>₹238.45 करोड़ के सांविधिक आरक्षित में प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए 3% आरक्षित किया गया है, जिसकी राशि ₹118.39 करोड़ है तथा ऋण और आकस्मिकताओं के विकास पुनर्भुगतान के लिए 3% आरक्षित किया गया है, जिसकी राशि ₹120.06 करोड़ है। वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान पतन द्वारा अपने निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज में से इन आरक्षितों में क्रमशः ₹1.40 करोड़ और ₹1.52 करोड़ ब्याज आबंटित किया गया।</p> <p>अनुसूची संख्या 5 - सांविधिक आरक्षित के नामे चालू परिसंपत्तियाँ ₹38.15 करोड़ के अल्पकालिक निवेश का प्रकटन करती हैं। तथापि, अनुसूची संख्या 4 - निवेश के तहत सामान्य आरक्षित निवेश से निर्धारित कर सांविधिक आरक्षित के नामे ₹200.30 करोड़ (₹238.45 करोड़ - ₹38.15 करोड़) के शेष निवेश का प्रकटन नहीं किया गया है।</p>	<p>दीनदयाल पतन प्राधिकरण के समग्र निवेश में आरक्षित निधि के नामे निवेश भी शामिल है और इन्हें लगातार अभ्यास के अनुसार खातों बहियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण को दर्ज कर लिया गया है और अब से निवेश का प्रकटन किया जाएगा।</p>
ख. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ	
लाभ और हानि खाते	
आय	
संपत्ति किराया (अनुसूची IV) - ₹349.09 करोड़	
<p>उपरोक्त में 101 पक्षों को जारी किए गए कंडला में भूमि के लिए वार्षिक पट्टा किराया के चालान के संबंध में ₹135.52 करोड़ की राशि शामिल है। पूरी राशि को दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 के लिए आय के रूप में दर्ज किया। तथापि, इसमें वर्ष 2024-25 के लिए आनुपातिक संपदा किराया के रूप में ₹56.78 करोड़ की राशि भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप चालू उत्तरदायित्व (अग्रिम में प्राप्त आय) को कम करके दिखाया गया है और आय को ₹56.78 करोड़ से अधिक दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, अधिशेष को उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।</p>	<p>वर्ष के दौरान प्रचलित अभ्यास के अनुसार लीज़ अवधि नियमानुसार उठाए गए चालान के आधार पर पट्टा किराया के आय को खातों में दर्ज किया जाता है।</p> <p>तथापि, लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण को दर्ज कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 से इसका अनुपालन किया जाएगा।</p>
ग. सामान्य	
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	
ग.1 नकदी प्रवाह विवरण	
<p>31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश के तहत अनुच्छेद 2 (सामान्य जानकारी और अनुपालन का विवरण) में कहा गया है कि दीनदयाल पतन प्राधिकरण के वित्तीय विवरण संशोधित लेखांकन नीति के आधार पर तैयार किए गए हैं, जैसा कि बिलिमोरिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिश में निर्धारित किया गया है और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, (वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा) ।</p>	<p>महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा में लेखांकन मानक 3 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है और कार्यान्वयन के बाद इसका पालन किया जाएगा।</p>

<p>of the Billimoria Committee Report and approved by the Ministry (Common Framework for Financial Reporting).</p> <p>The Common Framework for Financial Reporting provides for the preparation of Cash Flow Statements under Accounting Standard- 3. However, the Port has not prepared a Cash Flow Statement and attached the same to the Financial Statements for the year 2023-24, which is deviation from the CFFR and the consistent practice followed by the Port in the Previous Years.</p>	
<p>C.2 Inventories</p>	
<p>As per Common Framework for Financial Reporting (CFFR) provisions for major ports, Inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value and a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs to be formulated. However, in deviation from the CFFR provisions, the port has adopted moving weighted average method for valuation of inventory and no depreciation policy has been adopted for the store items. In view of the above, the correctness of the value of Inventories ₹0.54 crore disclosed in the Balance Sheet could not be vouchsafed.</p>	<p>(i) DPA has adopted moving weighted average method for valuation of inventory as per consistent practice and disclosure made accordingly in the Notes.</p> <p>(ii) Policy for valuation of Inventories and for provision for slow moving/nonmoving items in inventory has been proposed in the Common Framework for Financial Reporting (CFFR) as per Major Port Authorities Act, 2021 and shall be followed upon implementation.</p>
<p>C.3 Current Liabilities & Provisions (Schedule-7)</p>	
<p>Deposits from Merchant, Contractors & Others ₹683.35 crore</p>	
<p>The above includes ₹8.43 crore being Traffic Deposits in respect of DPA Offshore Oil Terminal at Vadinar. However, as per the party-wise records maintained by DPA, the balance as on 31 March 2024 is ₹31.31 crore against 147 parties.</p> <p>The management stated that reconciliation is under process. In the absence of the reconciliation, Audit is not in a position to vouchsafe the correctness of the amount accounted under this head.</p>	<p>Reconciliation of party ledger for Traffic Deposits at OOT, Vadinar is on hand and difference shall be rectified in the current financial year.</p>
<p>C.4 Cargo Handling & Storage Charges</p>	
<p>Royalty Income from BOT: ₹220.41 crore</p>	
<p>The above includes royalty income received from three BOT operators amounting to ₹113.82. As per clause 9.4 of the Concession Agreement entered into with the concessionaires, the Concessionaire shall submit a financial statement of the Gross Revenue for every six monthly periods ending 30 September and 31 March every year, duly certified by its Statutory Auditors to the Port. The Port shall at its own cost have the option to appoint an Additional Auditor to conduct a special audit of the Gross Revenue. However, special audit in respect of these three concessionaires for the year 2023-24 has not been conducted. In the absence of same, the veracity of Royalty Income of ₹113.82 crore pertaining to the BOT</p>	<p>The Special Audit Report can be finalized only after completion of the Statutory Audit of the PPP Operator as communicated by Chartered Accountant (Special Auditor) appointed for this purpose. As soon as the Special Audit is concluded the report shall be submitted to Audit. Special Audit Reports for the period up to FY 2022-23 has already been submitted to Audit. However, income certificates in respect of PPP operators for the</p>

<p>वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के लेखांकन मानक-3 के अंतर्गत नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने का प्रावधान दिया गया है। तथापि, पतन ने नकदी प्रवाह विवरण तैयार नहीं किया है तथा उसे वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में संलग्न नहीं किया है, जो कि वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा और पिछले वर्षों में पतन द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रथा से विचलन है।</p>	
<p>ग.2 वस्तुसूची</p>	
<p>महापतनों के लिए वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार, वस्तुसूची का मूल्यांकन औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम कर के किया जाना चाहिए तथा वस्तुसूची की धीमी/अचल वस्तुओं के मूल्यहास के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए। तथापि, वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के प्रावधानों से हटकर, पतन ने सूची के मूल्यांकन के लिए चल भारित औसत पद्धति को अपनाया है और भंडार मर्दों के लिए कोई मूल्यहास नीति नहीं अपनाई गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तुलनपत्र में दर्शाए गए वस्तुसूची का मूल्य ₹0.54 करोड़ की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है।</p>	<p>(i) दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने सुसंगत अभ्यास के अनुसार वस्तुसूची के मूल्यांकन के लिए चल भारित औसत पद्धति को अपनाया है और तदनुसार टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया है।</p> <p>(ii) महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार वस्तुसूची के मूल्यांकन और वस्तुसूची में धीमी गति से चलने वाली/नहीं चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान की नीति को वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा में प्रस्तावित किया गया है और कार्यान्वयन के बाद इसका पालन किया जाएगा।</p>
<p>ग.3 चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7)</p>	
<p>व्यापारी, ठेकेदार और अन्य से जमा राशि ₹683.35 करोड़</p>	
<p>उपरोक्त में दीनदयाल पतन प्राधिकरण के वाडीनार के अपतट तेल टर्मिनल के संबंध में ₹8.43 करोड़ यातायात जमा राशि शामिल हैं। तथापि, दीनदयाल पतन प्राधिकरण द्वारा तैयार पक्षकारों के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 147 पक्षकारों के नामों ₹31.31 करोड़ शेष राशि है।</p> <p>प्रबंधन ने कहा कि सुलह प्रक्रियाधीन है। सुलह के अभाव में, लेखापरीक्षा इस शीर्ष के तहत दर्ज की गई राशि की सत्यता की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है।</p>	<p>अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार में यातायात जमाराशि के लिए पक्षकारों के बहीखातों से मिलाया जा रहा है तथा पाए गए अंतर को चालू वित्तीय वर्ष में सुधार दिया जाएगा।</p>
<p>ग.4 कार्गो प्रहस्तन और भंडार शुल्क</p>	
<p>बीओटी से राजस्व आय: ₹220.41 करोड़</p>	
<p>उपरोक्त में तीन बीओटी प्रचालकों से ₹113.82 की राजस्व आय शामिल है। रियायतग्राहियों के साथ किए गए छूट समझौते के खंड 9.4 के अनुसार, रियायतग्राही अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा पतन को सकल राजस्व का वित्तीय विवरण, विधिवत प्रमाणित कर प्रति छः माह अवधि के लिए 30 सितंबर और प्रति वर्ष 31 मार्च को प्रस्तुत करेंगे। पतन के पास सकल राजस्व का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर एक अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प होगा। लेकिन, वर्ष 2023-24 के दौरान इन तीन रियायतग्राहियों का विशेष लेखापरीक्षा नहीं किया गया है। इसके अभाव में, खाताबहियों में दर्शाए गए बीओटी प्रचालकों से संबंधित ₹113.82 करोड़ की राजस्व आय की सत्यता को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका है।</p>	<p>विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (विशेष लेखा परीक्षक) द्वारा बताए गए पीपीपी प्रचालकों के सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। जैसे ही विशेष लेखापरीक्षा समाप्त हो जाएगी, रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट पहले ही लेखापरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है।</p>

operators as reflected in the books of accounts could not be verified by Audit. The observation is being raised by Audit since 2016-17.	financial year 2023-24 duly certified by Chartered Accountant (Special Auditor) appointed by DPA has been provided to Audit.
C.5 Notes pertaining to Balance Sheet Items	
Infrastructure Reserve: ₹309.41 crore.	
<p>(a) Based on the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) notification (31 March 2005), the Port created an Infrastructure Reserve by way of appropriation from the year 2010-11. On the basis of TAMP notification dated 27 January 2015, the Port stopped appropriations to the Infrastructure Reserve from the year 2015-16. The closing balance of ₹309.41 crore in the Infrastructure Reserve as on 31 March 2024 represents the amount appropriated during the period 2010-11 to 2014-15 and interest allocated to the Infrastructure Reserve out of the interest earned by the Port on its investments during the period 2010-11 to 2023-24. The Port has not utilized any amount from the fund during the period 2010-11 to 2023-24</p> <p>This material fact in respect of the creation of Infrastructure Reserve, discontinuation of appropriation to the Infrastructure Reserve and pendency of the decision of the Board regarding the utilization of the Infrastructure Reserve has not been disclosed in the Notes forming part of Accounts.</p> <p>(b) Infrastructure Reserve of ₹309.41 crore includes ₹21.96 crore being the interest allocated in the year 2023-24 out of the total interest earned by the Port on its investments during the period 2023-24. Schedule No.5 – Current Assets discloses a short term investment of ₹91.95 crore against the Infrastructure Reserve. However, the Schedule No.4 – Investments does not disclose the balance investment of ₹217.46 crore (₹309.41 crore - ₹91.95 crore) against the Infrastructure Reserve by way of earmarking from the General Reserve Investments.</p>	<p>(a) Audit observation has been noted and necessary disclosure shall be made in Notes to Accounts from F.Y 2024-25 onwards.</p> <p>(b) Audit observation is noted and earmarking of Investments shall be made henceforth.</p>
C.6 Reserves & Surplus	
<p>The above Notes state that:</p> <p>(a) Capital Reserve represents the investment in Fixed Assets by Port's own funds and other capital receipts. The balance of ₹3,855.18 crore standing to the credit of Capital Reserve does not include Capital Work in Progress incurred during the current year amounting to ₹767.96 crore.</p> <p>(b) Ministry of Shipping vide letter No. PGF-15/76 dated 22/09/1976 has directed the creation of the following reserves:</p> <p>(i) 3 per cent of Capital Employed to Replacement,</p>	<p>As pointed by Audit in SAR of 2022-23, annual ceiling of 3% of capital employed has to be maintained in Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernization and Reserve for Development, Repayment of loans and Contingencies respectively. In order to maintain the annual ceiling as suggested by Audit in FY 2022-23, the reserves were not utilized in FY 2023-24.</p>


2016-17 से लेखापरीक्षा द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है	फिर भी, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (विशेष लेखा परीक्षक) द्वारा पीपीपी प्रचालकों के आय प्रमाणपत्र विधिवत रूप से प्रमाणित कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा को दिया गया है।
ग.5 तुलनपत्र मदों से संबंधित टिप्पणियां	
अवसंरचनात्मक आरक्षित: ₹309.41 करोड़	
<p>(क) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैप) अधिसूचना (31 मार्च 2005) के आधार पर, पत्तन ने वर्ष 2010-11 से विनियोजन के माध्यम से एक अवसंरचनात्मक आरक्षित तैयार किया। 27 जनवरी 2015 की महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिसूचना के आधार पर, पत्तन ने वर्ष 2015-16 से अवसंरचनात्मक आरक्षित के लिए विनियोजन बंद कर दिया। 31 मार्च 2024 तक अवसंरचनात्मक आरक्षित में ₹309.41 करोड़ का इतिशेष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान विनियोजित राशि और 2010-11 से 2023-24 की अवधि के दौरान पत्तन द्वारा अपने निवेश पर अर्जित ब्याज में से अवसंरचनात्मक आरक्षित को आबंटित ब्याज को दर्शाता है। पत्तन ने 2010-11 से 2023-24 की अवधि के दौरान निधि से कोई राशि उपयोग नहीं की है।</p> <p>अवसंरचनात्मक आरक्षित को तैयार करने, अवसंरचनात्मक आरक्षित के लिए विनियोजन को बंद करने तथा अवसंरचनात्मक आरक्षित के उपयोग के संबंध में मंडल के निर्णय के लंबित रहने के संबंध में इस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रकटन लेखाबहियों की टिप्पणियों में नहीं किया गया है।</p> <p>(ख) 2023-24 की अवधि के दौरान पत्तन द्वारा अपने निवेश पर अर्जित कुल ब्याज में से वर्ष 2023-24 में आबंटित ब्याज ₹21.96 करोड़ अवसंरचनात्मक आरक्षित ₹309.41 करोड़ में शामिल हैं, अनुसूची संख्या 5 - अवसंरचनात्मक आरक्षित के नामे ₹91.95 करोड़ के अल्पकालिक निवेश को चालू परिसंपत्तियां प्रकट करती हैं। लेकिन, अनुसूची संख्या 4 - निवेश के अंतर्गत सामान्य आरक्षित निवेश से निर्धारित करके अवसंरचनात्मक आरक्षित के नामे ₹217.46 करोड़ (₹309.41 करोड़ - ₹91.95 करोड़) के शेष निवेश का प्रकटन नहीं करता है।</p>	<p>(क) लेखापरीक्षा अवलोकन को दर्ज कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लेखाखाता टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।</p> <p>(ख) लेखापरीक्षा अवलोकन दर्ज कर लिया गया है और आगे से निवेशों का निर्धारण किया जाएगा।</p>
ग.6 आरक्षित एवं अधिशेष	
<p>उपरोक्त टिप्पणी में कहा गया है कि:</p> <p>(क) पूंजी आरक्षित के द्वारा पत्तन के स्वयं के निधि और अन्य पूंजी प्राप्तियों द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश को दर्शाता है। पूंजी आरक्षित खाते में जमा ₹3,855.18 करोड़ की शेष राशि में चालू वर्ष के दौरान किए गए ₹767.96 करोड़ के पूंजीगत कार्य शामिल नहीं हैं।</p> <p>(ख) पोत-परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 22/09/1976 के पत्र संख्या पीजीएफ-15/76 के तहत निम्नलिखित आरक्षित के निर्माण का निर्देश दिया है:</p> <p>(i) प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत।</p>	जैसा कि 2022-23 के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण और विकास के लिए आरक्षित, ऋणों और आकस्मिकताओं का पूनर्भुगतान के लिए आरक्षित में नियोजित पूंजी के 3% की वार्षिक सीमा को बनाए रखना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरक्षित राशि का उपयोग नहीं किया गया।

<p>Rehabilitation & Modernisation.</p> <p>(ii) 3 per cent of Capital Employed towards Development, Repayment and Contingencies.</p> <p>(c) Capital Assets Replacement Reserve has been created for the purpose of meeting the gap between historical and replacement cost of assets in compliance of Ministry's directions issued vide letter No. PGF-53/78 dated 29/06/1979 with a ceiling of ₹20.00 crore.</p> <p>Audit observed that, as stated in the above Notes, the Port has consistently transferred an amount equal to the capital expenditure incurred during the previous year to the Capital Reserve from the three Reserves mentioned above and from the General Reserve. However, during the year 2023-24, the Port did not transfer any amount to the Capital Reserve, despite incurring a capital expenditure of ₹670.99 crore.</p> <p>This is a deviation from the accounting practice which was consistently being followed in the past years and in contradiction to the Notes mentioned above.</p>	<p>However, audit observation is noted and necessary disclosure shall be made from FY 2024-25 as applicable.</p>
<p>Notes pertaining to Profit & Loss Account</p>	
<p>C.7 Disputed Dues (Note No.6)</p>	
<p>As per the Note forming part of Accounts(No. 6), the dues outstanding from various PSUs and other private parties are ₹128.71 crores on account of challenge by the parties against revising the rate structure for Kandla Land approved by TAMP vide Notification No. 106 of 11/5/2011 and 350 of 04/12/2014 in the Supreme Court of India after judgement given by the Gujarat High Court.</p> <p>However, as per the available records, the actual amount outstanding from various PSUs and other private parties as on 31 March 2024 is ₹544.07 crore. Thus the note is deficient to that extent.</p>	<p>Dues outstanding during the financial year are being disclosed under the Notes pertaining to P&L-B "Dues from PSUs & Other Private Parties (Other than BOT/PPP) as per consistent practice.</p> <p>Accordingly, total outstanding of Rs.128.71 Cr for FY 2023-24 has been disclosed in the Notes.</p> <p>However, observation of audit is noted. Total outstanding as on the balance date shall also be disclosed henceforth.</p>
<p>C.8 Revenue from PPP Projects</p>	
<p>As per note no.7, DPA has appointed a Special Auditors to verify the revenues due to DPA from the four BOT projects during the FY 2023-24. Pending receipt of Final Audit Report of BOT Projects, revenue is recognized based on the certification by the firm in the accounts. If any short claim is noticed by the Special Auditors, then the same will be recognised on raising the claim and its acceptance by PPP operator.</p> <p>Audit observed that the Special auditors appointed for the BOT projects had suggested a recovery of ₹112.09 core for the period from 2014-15 to 2022-23 from two concessionaires. The Position of the recovery against the above dues pointed out in the Special Audit Report and the balance amount recoverable as on 31-03-2024 is not disclosed in the above Note (Revenue from PPP Operators).</p>	<p>Observation of Audit has been noted. The Position of the recovery towards the dues pointed out in the Special Audit Report shall be disclosed after due reconciliation.</p>


<p>(ii) विकास, पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं के लिए नियोजित पूंजी का 3 प्रतिशत।</p> <p>(ग) मंत्रालय द्वारा दिनांक 29/06/1979 को जारी पत्र संख्या पीजीएफ-53/78 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक और प्रतिस्थापन लागत के बीच के अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिकतम सीमा ₹20.00 करोड़ तक का पूंजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित तैयार किया गया है।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि, जैसा कि उपरोक्त टिप्पणियों में कहा गया है, पतन ने पिछले वर्ष के दौरान किए गए पूंजी व्यय के बराबर राशि को ऊपर उल्लिखित तीनों आरक्षितों और सामान्य आरक्षित से पूंजी आरक्षित में लगातार स्थानांतरित किया है। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान, पतन ने ₹670.99 करोड़ का पूंजी व्यय करने के बावजूद पूंजी आरक्षित में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की।</p> <p>यह लेखांकन पद्धति से विचलन है जिसका विगत वर्षों में लगातार पालन किया जा रहा था तथा यह ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के विपरीत है।</p>	<p>लेकिन, लेखापरीक्षा अवलोकन को दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिया जाएगा।</p>
<p>लाभ एवं हानि खाते से संबंधित टिप्पणियाँ</p>	
<p>ग.7 विवादित बकाया (टिप्पणी संख्या 6)</p> <p>लेखारिपोर्ट के भागरूप टिप्पणी (सं. 6) के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 11/5/2011 के अधिसूचना संख्या 106 और दिनांक 04/12/2014 के अधिसूचना संख्या 350 तहत महापतन शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कंडला भूमि हेतु दर संरचना को संशोधित करने के विरुद्ध पक्षों द्वारा चुनौती किए जाने के कारण विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निजी पक्षों से ₹128.71 करोड़ की राशि बकाया है।</p> <p>हालाँकि, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निजी पक्षों से वास्तविक बकाया राशि ₹544.07 करोड़ है। इस प्रकार यह टिप्पणी उस सीमा तक अपर्याप्त है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित अभ्यास के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निजी पक्षों (बीओटी / पीपीपी के अलावा) से बकाया राशि का प्रकटन लाभ एवं हानि खाताबहियों से संबंधित टिप्पणियों के तहत किया गया है।</p> <p>तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 128.71 करोड़ रुपये का कुल बकाया का प्रकटन टिप्पणियों में किया गया है।</p> <p>हालाँकि, लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण को दर्ज कर लिया गया है। अब से निर्धारित तिथि पर कुल बकाया राशि का भी प्रकटन किया जाएगा।</p>
<p>ग.8 पीपीपी परियोजनाओं से राजस्व</p> <p>टिप्पणी संख्या 7 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने चार बीओटी परियोजनाओं से प्राधिकरण को मिलने वाले राजस्व की पुष्टि करने के लिए एक विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। बीओटी परियोजनाओं की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित रहने तक, खातों में फर्म द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है। यदि विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा किसी दावे में कमी पाई जाती है, तो उसे दावा प्रस्तुत करने और पीपीपी प्रचालकों द्वारा उसकी स्वीकृति पर मान्यता दी जाएगी।</p> <p>लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओटी परियोजनाओं के लिए नियुक्त विशेष लेखापरीक्षकों ने दो रियायतग्राहियों से 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए ₹112.09 करोड़ की वसूली का सुझाव दिया। विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई उपरोक्त बकाया राशि के नामें वसूली की स्थिति और 31-03-2024</p>	<p>लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण को दर्ज कर लिया गया है। विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई बकाया राशि की वसूली की स्थिति का प्रकटन उचित सुलह के बाद किया जाएगा।</p>

D. Grant-in-Aid							
A factual position on the receipt of grant, utilization of grant during the year furnished to the Administrative Ministry is given as under:							
Rs. In Crore							
S r . N o .	Name/Purpose of the Grant and name of the Ministry	Opening Balance as on 01.04.23	Receipts during 2023-24	Utilisation during 2023-24	Withdrawn by MoPS&W	Closing Balance as on 31.03.24	Factual position.
	Grant - MoPSW Sagarmala Division						
1	Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Gogha RO-RO Terminal, Gujarat.	6.26	2.86	9.12	0.00	0.00	
2	Construction of RO-RO / RO-Pax Ferry services at Muldwarka.	0.00	11.89	8.16	3.73	0.00	
	Total	6.26	14.75	17.28	3.73	0.00	
E. Non-compliance to Common Framework for Financial Reporting provisions							
1.	As per the CFFR provisions, The Profit and Loss account shall contain by way of a note the detailed quantitative information in regard to the installed and actual capacity of the port to handle ships/cargo specifying the tonnage, the actual utilization of the port during the year and the actual number of vessels/tonnage handled. However, the same has not been complied with.						<p>Detailed quantitative information in regard to the installed and actual capacity of the port to handle ships/cargo specifying the tonnage, the actual utilization of the port during the year and the actual number of vessels/tonnage handled has never been disclosed so far.</p> <p>However observation of audit has been noted. The proposed Common Framework for Financial Reporting (CFFR) as per Major Port Authorities Act, 2021 is under finalization and necessary disclosure shall be made as applicable upon implementation.</p>
2.	The Port has Intertidal land of 2,20,416 acres. The bifurcation of Freehold and leasehold land has not been shown in the Balance sheet as required under CFFR.						<p>The value of land appearing in the Balance Sheet is towards the cost incurred and capitalised on schemes/projects carried out for development of land and not the value of land. The entire port area belongs to Government of India and cannot be classified into Freehold and leasehold land.</p> <p>However observation of Audit has been noted and necessary disclosure shall be provided to the extent possible.</p>

तक वसूली योग्य शेष राशि का प्रकटन उपरोक्त टिप्पणी (पीपीपी प्रचालकों से राजस्व) में नहीं किया गया है।							
घ. अनुदान सहायता							
वर्ष के दौरान अनुदान के उपयोग पर प्रशासनिक मंत्रालय को दी गई अनुदान प्राप्ति की तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है:							
करोड़ रुपए में							
क्र.सं.	नाम/ अनुदान का उद्देश्य और मंत्रालय का नाम	01.04.23 तक आरंभिक शेष राशि	2023-24 के दौरान प्राप्ति	2023-24 के दौरान उपयोग	मंत्रालय द्वारा वापसी	31.03.24 को इतिशेष	वास्तविक स्थिति है।
	अनुदान - मंत्रालय का सागरमाला प्रभाग						
1	घोघा रो-रो टर्मिनल, गुजरात में एप्रोच चैनल, टर्मिंग सकिल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास निकर्षण ।	6.26	2.86	9.12	0.00	0.00	
2	मुलदवारका में रोरो/रोपैक्स फेरी सेवा का निर्माण ।	0.00	11.89	8.16	3.73	0.00	
	कुल	6.26	14.75	17.28	3.73	0.00	
च. वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के प्रावधानों का गैर-अनुपालन							
1. वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में टिप्पणी के माध्यम से जलयानों/ टनभार के साथ कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए पत्तन की स्थापित तथा वास्तविक क्षमता के संबंध में विस्तृत मात्रात्मक जानकारी शामिल होगी और पत्तन का वास्तविक उपयोग एवं प्रहस्तित जलयानों/टनभार की वास्तविक संख्या का उल्लेख होगा। लेकिन, इसका अनुपालन नहीं किया गया है।							वर्ष के दौरान जलयानों/कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए पत्तन में स्थापित तथा वास्तविक क्षमता के संबंध में विस्तृत मात्रात्मक जानकारी, जिसमें पत्तन का वास्तविक उपयोग और प्रहस्तित जलयानों/टनभार की वास्तविक संख्या शामिल है, अब तक इसका प्रकटन नहीं किया गया है। तथापि लेखापरीक्षा के संप्रेक्षणों को दर्ज कर लिया गया है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार प्रस्तावित वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा (सीएफएफआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्यान्वयन के बाद आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. पत्तन के पास 2,20,416 एकड़ की अंतरज्वारीय भूमि है। वित्तीय रिपोर्ट की सामान्य रूपरेखा के तहत तुलनपत्र में फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का विभाजन नहीं दिखाया गया है।							तुलनपत्र में बताई गई भूमि का मूल्य भूमि के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं/परियोजनाओं पर किए गए व्यय एवं पूंजी के उपयोग के प्रति है, न कि भूमि के मूल्य के प्रति। पूरा पत्तन क्षेत्र भारत सरकार का है और इसे फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखापरीक्षा के संप्रेक्षणों को दर्ज कर लिया गया है और यथासंभव आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

F. Management Letter	
<p>Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.</p> <p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure - I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of the DPA as at 31 March 2024; and</p> <p>(b) In so far as it relates to Profit and Loss Account of the Profit for the year ended on that date.</p> <p>(vii) A Review of Accounts showing the summarized financial results of DPA for three years ended 31 March 2024 is given in Annexure –II.</p>	<p>Factual position.</p>
<p>For and on behalf of the</p> <p>Comptroller and Auditor General of India</p> <p>Sd/-</p> <p>(Sandip Roy)</p> <p>Director General of Audit (Shipping),</p> <p>Mumbai</p>	 <p>(B Bhagyanath)</p> <p>Financial Advisor & Chief</p> <p>Accounts Officer,</p> <p>Deendayal Port Authority</p>
<p>Place : Mumbai</p> <p>Date: 7th October 2024</p>	<p>Place : Gandhidham</p> <p>Date: 9th October 2024</p>

ग. प्रबंधन पत्र	
<p>जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।</p> <p>(i) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं। (ii) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए हैं, तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं: (i)</p> <p>(ii) (क) जहां तक यह तुलन-पत्र से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक डीपीए की स्थिति; और</p> <p>(iii) (ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते से संबंधित है।</p> <p>(iv) 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए डीपीए के सारांशित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले खातों की समीक्षा अनुलग्नक-II में दी गई है।</p>	तथ्या-त्मक स्थिति.
<p>भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से</p> <p>एसडी/-</p> <p>(संदीप रॉय)</p> <p>महानिदेशक लेखा परीक्षा (शिपिंग),</p> <p>मुंबई</p>	<p>(बी भाग्यनाथ)</p> <p>वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,</p> <p>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</p>
<p>स्थान : मुंबई</p> <p>दिनांक : 7 अक्टूबर 2024</p>	<p>स्थान : गांधीधाम</p> <p>दिनांक : 9 अक्टूबर 2024</p>

Para of the SAR	Action taken Notes
Annexure – I	
1. Adequacy of Internal Audit System The Internal Auditor has conducted the audit for the year 2023-24 and submitted its reports. The reports are yet to be submitted to the Board.	The reports shall be submitted to the board in the ensuing meeting.
2. Adequacy of Internal Control System The Internal Control System of the Port requires strengthening for the following reasons:	
(i) Confirmation of balances outstanding as on 31.3.2024 from Sundry Debtors and Sundry Creditors have not been obtained by the Port. There is no system of obtaining balance confirmation from Sundry Debtors, which is essential for monitoring and control over recovery of dues .In the absence of the above, the veracity of amount of Debtors and Creditors appearing in the Financial Statements could not be confirmed by Audit.	All cargo and vessel related charges are collected in advance. Majority of debtors are related to PPP operators and Land dues and are disputed. Confirmation of such debtors is not being called for in view of the on-going litigation.
(ii) Dead stock register was not maintained .Hence discrepancies, if any, could not be ruled out	The observation of audit is already covered in the scope of Internal Audit and action is on hand to comply with the same.
3. System of Physical Verification of Fixed Assets Physical Verification was done by Internal Auditor. As reported by them, Register of Fixed Assets has not been updated as per GFR-22 and name of the supplier, location of Assets, Unique Identification Number of Assets, Bill Number and Date etc .are missing in most of the items.	From April, 2023 onwards, Asset Register is being maintained in ERP and each asset has been assigned with unique identification number. ERP generated Fixed Asset Register has also been provided to Audit. Observations made by the Internal Auditor will be complied with in respect of Assets which have been capitalized prior to April, 2023.
4. System of Physical Verification of Inventories	
(i) The material in stores as per storage norms prescribed for various types of materials was not verified. (ii) The timely disposal of unserviceable materials as per procedure was not ensured.	Observation of Audit has been noted and appropriate action shall be taken to comply with the same.
5. Regularity in payment of statutory dues DPA was regular in depositing undisputed statutory dues.	Factual position.
--sd-- Dy. Director	 (B Bhagyanath) Financial Advisor & Chief Accounts Officer, Deendayal Port Authority
Place: Mumbai Date : 7th October 2024	Place: Gandhidham Date : 9th October 2024


एस ए आर का पैरा	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
अनुलग्नक-1	
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक लेखा परीक्षक ने वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षा आयोजित की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट अभी बोर्ड को प्रस्तुत की जानी है।	रिपोर्ट आगामी बैठक में बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता बंदरगाह की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित कारणों से मजबूत बनाने की आवश्यकता है:	
(i) विविध देनदारों और विविध लेनदारों से 31.3.2024 तक बकाया शेष राशि की पुष्टि बंदरगाह द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। विविध देनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो बकाया राशि की वसूली पर निगरानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त के अभाव में, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाले देनदारों और लेनदारों की राशि की सत्यता की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।	सभी कार्गो और जहाज़ से संबंधित शुल्क अग्रिम रूप से वसूले जाते हैं। अधिकांश देनदार पीपीपी ऑपरेटरों और भूमि बकाया से संबंधित हैं और विवादित हैं। चल रहे मुकदमे के मद्देनजर ऐसे देनदारों की पुष्टि नहीं की जा रही है।
(ii) डेड स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। इसलिए, यदि कोई विसंगतियां थीं, तो उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता था।	लेखापरीक्षा का अवलोकन पहले से ही आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल है तथा इसके अनुपालन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जीएफआर-22 के अनुसार अचल संपत्तियों का रजिस्टर अपडेट नहीं किया गया है और अधिकांश मदों में आपूर्तिकर्ता का नाम, संपत्तियों का स्थान, संपत्तियों की विशिष्ट पहचान संख्या, बिल संख्या और दिनांक आदि गायब हैं।	अप्रैल, 2023 से ईआरपी में एसेट रजिस्टर बनाए रखा जा रहा है और प्रत्येक एसेट को विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है। ईआरपी द्वारा तैयार किया गया फिक्स्ड एसेट रजिस्टर भी ऑडिट को उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल, 2023 से पहले पूंजीकृत की गई संपत्तियों के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन किया जाएगा।
4. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
(i) विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए निर्धारित भंडारण मानदंडों के अनुसार स्टोर में सामग्री का सत्यापन नहीं किया गया था। प्रक्रिया के अनुसार अनुपयोगी सामग्रियों का समय पर निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया था।	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं तथा उनके अनुपालन हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी।
5. वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता डीपीए निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित थी।	तथ्यात्मक स्थिति.
स्थान: मुंबई दिनांक: 7 अक्टूबर 2024	स्थान: गांधीधाम दिनांक: 9 अक्टूबर 2024

ANNEXURE – II																																																																																																							
Review of accounts of Deendayal Port Authority for three years ended 31 March 2024 by the Comptroller and Auditor General of India (The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)																																																																																																							
1. Financial Position The Financial Position of Deendayal Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2024 is given below: (₹ in crore)																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th><th>2023-24</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIABILITIES</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Capital Reserve</td><td>3292.67</td><td>3852.34</td><td>3855.18</td></tr> <tr> <td>Other Reserves</td><td>3334.82</td><td>3864.89</td><td>5207.48</td></tr> <tr> <td>Borrowings</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Deferred Tax Liability</td><td>97.90</td><td>97.90</td><td>97.9</td></tr> <tr> <td>Current Liabilities and Provisions</td><td>3915.49</td><td>5159.96</td><td>6422</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>10640.88</td><td>12975.09</td><td>15582.56</td></tr> <tr> <td>ASSETS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Net Fixed Assets</td><td>2286.00</td><td>2424.12</td><td>3138.14</td></tr> <tr> <td>Work – in – Progress</td><td>745.98</td><td>1107.27</td><td>972.51</td></tr> <tr> <td>Investments</td><td>2481.87</td><td>984.29</td><td>4799.44</td></tr> <tr> <td>Current Assets and Loans & Advances</td><td>5121.27</td><td>8459.41</td><td>6672.47</td></tr> <tr> <td>Deferred Tax Assets</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Other Assets/ Misc. Expenditure</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Sheds handed over to BOT Operator</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>SVRS Expenditure</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>10635.12</td><td>12975.09</td><td>15582.56</td></tr> <tr> <td>Working Capital *</td><td>1205.78</td><td>3299.45</td><td>250.47</td></tr> <tr> <td>Net Worth **</td><td>6627.49</td><td>7717.23</td><td>9062.66</td></tr> <tr> <td>Capital Employed ***</td><td>3491.78</td><td>5723.57</td><td>3388.61</td></tr> <tr> <td>Net Surplus (Before appropriation)</td><td>552.36</td><td>1430.40</td><td>1334.69</td></tr> <tr> <td>Return on Capital Employed **** (Percentage)</td><td>15.82</td><td>24.99</td><td>39.39</td></tr> <tr> <td>Capital Employed (Including work – in – progress)</td><td>4237.76</td><td>6830.84</td><td>4361.12</td></tr> <tr> <td>Return on Capital Employed (Including work – in – progress) (Percentage)</td><td>13.03</td><td>20.94</td><td>30.60</td></tr> </tbody> </table>				Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	LIABILITIES				Capital Reserve	3292.67	3852.34	3855.18	Other Reserves	3334.82	3864.89	5207.48	Borrowings	0.00	0.00	0	Deferred Tax Liability	97.90	97.90	97.9	Current Liabilities and Provisions	3915.49	5159.96	6422	Total	10640.88	12975.09	15582.56	ASSETS				Net Fixed Assets	2286.00	2424.12	3138.14	Work – in – Progress	745.98	1107.27	972.51	Investments	2481.87	984.29	4799.44	Current Assets and Loans & Advances	5121.27	8459.41	6672.47	Deferred Tax Assets	0	0	0	Other Assets/ Misc. Expenditure	0	0	0	Sheds handed over to BOT Operator	0	0	0	SVRS Expenditure	0	0	0	Total	10635.12	12975.09	15582.56	Working Capital *	1205.78	3299.45	250.47	Net Worth **	6627.49	7717.23	9062.66	Capital Employed ***	3491.78	5723.57	3388.61	Net Surplus (Before appropriation)	552.36	1430.40	1334.69	Return on Capital Employed **** (Percentage)	15.82	24.99	39.39	Capital Employed (Including work – in – progress)	4237.76	6830.84	4361.12	Return on Capital Employed (Including work – in – progress) (Percentage)	13.03	20.94	30.60
Particulars	2021-22	2022-23	2023-24																																																																																																				
LIABILITIES																																																																																																							
Capital Reserve	3292.67	3852.34	3855.18																																																																																																				
Other Reserves	3334.82	3864.89	5207.48																																																																																																				
Borrowings	0.00	0.00	0																																																																																																				
Deferred Tax Liability	97.90	97.90	97.9																																																																																																				
Current Liabilities and Provisions	3915.49	5159.96	6422																																																																																																				
Total	10640.88	12975.09	15582.56																																																																																																				
ASSETS																																																																																																							
Net Fixed Assets	2286.00	2424.12	3138.14																																																																																																				
Work – in – Progress	745.98	1107.27	972.51																																																																																																				
Investments	2481.87	984.29	4799.44																																																																																																				
Current Assets and Loans & Advances	5121.27	8459.41	6672.47																																																																																																				
Deferred Tax Assets	0	0	0																																																																																																				
Other Assets/ Misc. Expenditure	0	0	0																																																																																																				
Sheds handed over to BOT Operator	0	0	0																																																																																																				
SVRS Expenditure	0	0	0																																																																																																				
Total	10635.12	12975.09	15582.56																																																																																																				
Working Capital *	1205.78	3299.45	250.47																																																																																																				
Net Worth **	6627.49	7717.23	9062.66																																																																																																				
Capital Employed ***	3491.78	5723.57	3388.61																																																																																																				
Net Surplus (Before appropriation)	552.36	1430.40	1334.69																																																																																																				
Return on Capital Employed **** (Percentage)	15.82	24.99	39.39																																																																																																				
Capital Employed (Including work – in – progress)	4237.76	6830.84	4361.12																																																																																																				
Return on Capital Employed (Including work – in – progress) (Percentage)	13.03	20.94	30.60																																																																																																				
* Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities; ** Net Worth represents Capital Reserve and Other Reserves; *** Capital Employed represents Net Fixed Assets Plus Working Capital; **** Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.																																																																																																							
Factual position.																																																																																																							

अनुलग्नक-II																																																																																																							
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के खातों की समीक्षा																																																																																																							
<p>1. वित्तीय स्थिति</p> <p>31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए व्यापक शीर्षकों के तहत दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:</p> <p>(रु. करोड़ में)</p> <table> <tr> <th>विवरण</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th><th>2023-24</th></tr> <tr> <td>देयताएँ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>पूँजी रिजर्व</td><td>3292.67</td><td>3852.34</td><td>3855.18</td></tr> <tr> <td>अन्य रिजर्व</td><td>3334.82</td><td>3864.89</td><td>5207.48</td></tr> <tr> <td>उधार</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr> <td>आस्थगित कर देयता</td><td>97.90</td><td>97.90</td><td>97.9</td></tr> <tr> <td>वर्तमान देयताएँ और प्रावधान</td><td>3915.49</td><td>5159.96</td><td>6422</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>10640.88</td><td>12975.09</td><td>15582.56</td></tr> <tr> <td>संपत्ति</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2286.00</td><td>2424.12</td><td>3138.14</td></tr> <tr> <td>शुद्ध अचल संपत्ति</td><td>745.98</td><td>1107.27</td><td>972.51</td></tr> <tr> <td></td><td>2481.87</td><td>984.29</td><td>4799.44</td></tr> <tr> <td>कार्य प्रगति पर</td><td>5121.27</td><td>8459.41</td><td>6672.47</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>निवेश</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>वर्तमान संपत्ति और ऋण एवं अग्रिम</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>1.0635.12</td><td>12975.09</td><td>15582.56</td></tr> <tr> <td>कार्यशील पूँजी *</td><td>1205.78</td><td>3299.45</td><td>250.47</td></tr> <tr> <td>नेट वर्थ **</td><td>6627.49</td><td>7717.23</td><td>9062.66</td></tr> <tr> <td>नियोजित पूँजी ***</td><td>3491.78</td><td>5723.57</td><td>3388.61</td></tr> <tr> <td>नेट सरप्लस (विनियोजन से पहले)</td><td>552.36</td><td>1430.40</td><td>1334.69</td></tr> <tr> <td>नियोजित पूँजी पर रिटर्न **** (प्रतिशत)</td><td>15.82</td><td>24.99</td><td>39.39</td></tr> <tr> <td>नियोजित पूँजी (कार्य-प्रगति सहित)</td><td>4237.76</td><td>6830.84</td><td>4361.12</td></tr> <tr> <td>नियोजित पूँजी पर रिटर्न (कार्य-प्रगति सहित) (प्रतिशत)</td><td>13.03</td><td>20.94</td><td>30.60</td></tr> </table> <p>* कार्यशील पूँजी वर्तमान परिसंपत्तियों में से वर्तमान देनदारियों को घटाने पर प्राप्त राशि को दर्शाती है;</p> <p>** नेट वर्थ पूँजी रिजर्व और अन्य रिजर्व को दर्शाती है;</p> <p>*** नियोजित पूँजी शुद्ध अचल संपत्तियों और कार्यशील पूँजी को दर्शाती है;</p> <p>**** नियोजित पूँजी पर रिटर्न नियोजित पूँजी में शुद्ध अधिशेष (विनियोजन से पहले) का प्रतिशत दर्शाता है।</p>				विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	देयताएँ				पूँजी रिजर्व	3292.67	3852.34	3855.18	अन्य रिजर्व	3334.82	3864.89	5207.48	उधार	0.00	0.00	0	आस्थगित कर देयता	97.90	97.90	97.9	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	3915.49	5159.96	6422	कुल	10640.88	12975.09	15582.56	संपत्ति					2286.00	2424.12	3138.14	शुद्ध अचल संपत्ति	745.98	1107.27	972.51		2481.87	984.29	4799.44	कार्य प्रगति पर	5121.27	8459.41	6672.47		0	0	0	निवेश	0	0	0		0	0	0	वर्तमान संपत्ति और ऋण एवं अग्रिम	0	0	0		1.0635.12	12975.09	15582.56	कार्यशील पूँजी *	1205.78	3299.45	250.47	नेट वर्थ **	6627.49	7717.23	9062.66	नियोजित पूँजी ***	3491.78	5723.57	3388.61	नेट सरप्लस (विनियोजन से पहले)	552.36	1430.40	1334.69	नियोजित पूँजी पर रिटर्न **** (प्रतिशत)	15.82	24.99	39.39	नियोजित पूँजी (कार्य-प्रगति सहित)	4237.76	6830.84	4361.12	नियोजित पूँजी पर रिटर्न (कार्य-प्रगति सहित) (प्रतिशत)	13.03	20.94	30.60
विवरण	2021-22	2022-23	2023-24																																																																																																				
देयताएँ																																																																																																							
पूँजी रिजर्व	3292.67	3852.34	3855.18																																																																																																				
अन्य रिजर्व	3334.82	3864.89	5207.48																																																																																																				
उधार	0.00	0.00	0																																																																																																				
आस्थगित कर देयता	97.90	97.90	97.9																																																																																																				
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	3915.49	5159.96	6422																																																																																																				
कुल	10640.88	12975.09	15582.56																																																																																																				
संपत्ति																																																																																																							
	2286.00	2424.12	3138.14																																																																																																				
शुद्ध अचल संपत्ति	745.98	1107.27	972.51																																																																																																				
	2481.87	984.29	4799.44																																																																																																				
कार्य प्रगति पर	5121.27	8459.41	6672.47																																																																																																				
	0	0	0																																																																																																				
निवेश	0	0	0																																																																																																				
	0	0	0																																																																																																				
वर्तमान संपत्ति और ऋण एवं अग्रिम	0	0	0																																																																																																				
	1.0635.12	12975.09	15582.56																																																																																																				
कार्यशील पूँजी *	1205.78	3299.45	250.47																																																																																																				
नेट वर्थ **	6627.49	7717.23	9062.66																																																																																																				
नियोजित पूँजी ***	3491.78	5723.57	3388.61																																																																																																				
नेट सरप्लस (विनियोजन से पहले)	552.36	1430.40	1334.69																																																																																																				
नियोजित पूँजी पर रिटर्न **** (प्रतिशत)	15.82	24.99	39.39																																																																																																				
नियोजित पूँजी (कार्य-प्रगति सहित)	4237.76	6830.84	4361.12																																																																																																				
नियोजित पूँजी पर रिटर्न (कार्य-प्रगति सहित) (प्रतिशत)	13.03	20.94	30.60																																																																																																				

1. Working Results The working results of the Deendayal Port Authority for the last three years ending 31 March 2024 are summarized below: (₹ in crore)				Factual position.
Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	
Revenue				
Operating Income	1971.93	2611.48	2493.15	
Non – Operating Income	168.66	531.11	611.09	
Total	2140.59	3142.59	3104.24	
Expenditure				
Operating Expenditure	816.27	949.02	989.28	
Non – Operating Expenditure	500.16	47.81	143.48	
Total	1316.43	996.83	1132.76	
Extra ordinary items	0	0	0	
Prior Period Charges	0	0	0	
Net Surplus before tax	824.15	2145.76	1971.48	
Less : Provision for Tax	271.79	715.37	636.79	
Add/ Less: Deferred tax liability/ assets	0	0	0	
Add: Withdrawn from Welfare Fund	0	0	0	
Net Surplus before Appropriation	552.36	1430.39	1334.69	
Less: Mandatory Appropriations/ Transfer to Reserve Funds, etc.	202.78	343.98	200.22	
Surplus/ Deficit transferred to General Reserve Fund	349.59	730.65	1120.33	
Percentage of Net surplus to :				
(i) Operating Income	28.01	54.77	53.53	
(ii) Net Fixed Assets	24.16	59.01	42.53	
(iii) Net Worth	8.33	18.54	14.73	

1.कार्य परिणाम 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के कार्य परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं: (₹ करोड़ में)				तथ्यात्मक स्थिति.
विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	
राजस्व				
परिचालन आय	1971.93	2611.48	2493.15	
गैर-परिचालन आय	168.66	531.11	611.09	
कुल	2140.59	3142.59	3104.24	
व्यय				
परिचालन व्यय	816.27	949.02	989.28	
गैर-परिचालन व्यय	500.16	47.81	143.48	
कुल	1316.43	996.83	1132.76	
असाधारण आइटम	0	0	0	
पूर्व अवधि शुल्क	0	0	0	
कर से पहले शुद्ध अधिशेष	824.15	2145.76	1971.48	
घटाएँ: कर के लिए प्रावधान	271.79	715.37	636.79	
जोड़ें/घटाएँ: आस्थगित कर देयता/संपत्तियाँ	0	0	0	
जोड़ें: कल्याण निधि से निकाली गई राशि	0	0	0	
विनियोजन से पहले शुद्ध अधिशेष	552.36	1430.39	1334.69	
घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन/आरक्षित निधि में स्थानांतरण, आदि	202.78	343.98	200.22	
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा	349.59	730.65	1120.33	
शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत:				
(i) परिचालन आय	28.01	54.77	53.53	
(ii) शुद्ध अचल संपत्तियाँ	24.16	59.01	42.53	
(iii) शुद्ध संपत्ति	8.33	18.54	14.73	

2. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)					Factual position.
Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Deendayal Port Authority are shown below					
Particulars		2021-22	2022-23	2023-24	
a.	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	130.80	163.94	103.90	
b.	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	63.47	166.76	40.31	
c.	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	32.78	22.03	25.62	
d.	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	0.00	0.00	0.00	
e.	Percentage of Profit before Tax to:				
	a) Net Worth	12.44	27.80	21.75	
	b) Capital Employed	23.56	37.49	58.18	
	c) Operating Income	41.79	82.17	79.08	
-sd Dy. Director					 (B Bhagyanath) FA & CAO
Place: Mumbai Date : 7 th October 2024					Place: Gandhidham Date : 9 th October 2024

1. अनुपात विश्लेषण (तरलता और शोधन क्षमता) दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की तरलता और शोधन क्षमता तथा वित्तीय स्वास्थ्य पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं					
विवरण		विवरण	2022-23	2023-24	तथ्यात्मक स्थिति.
क.	चालू परिसंपत्तियों का चालू देनदारियों में प्रतिशत (प्रावधानों सहित)	130.80	163.94	103.90	
ख.	चालू देनदारियों में त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	63.47	166.76	40.31	
ग.	परिचालन आय में विविध देनदारों का प्रतिशत	32.78	22.03	25.62	
घ.	पूँजी रिजर्व और सामान्य रिजर्व में ऋण का प्रतिशत	0.00	0.00	0.00	
	कर से पहले लाभ का प्रतिशत:				
	क. शुद्ध संपत्ति	12.44	27.80	21.75	
	ख. नियोजित पूँजी	23.56	37.49	58.18	
	ग. परिचालन आय	41.79	82.17	79.08	
- एसडी उप निदेशक					(बी भाग्यनाथ) एफए और सीएओ
स्थान: मुंबई दिनांक: 7 अक्टूबर 2024					स्थान: गांधीधाम दिनांक: 9 अक्टूबर 2024